राजस्थान विधान सभा

३४ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक २४ अप्रेल, सन् १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११ बजकर २५ मिनिट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ५९२

वर्तमान वर्ष में हाई स्कूल के, प्रधानाध्यापकों के जन सेवा आयोग द्वारा किये गये सिलेक्शन के प्रतिवेदन का प्रकाशन

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा गे—(क) चालू वर्ष में हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के लिये सिलेक्शन किया जाकर पी. . सी. द्वारा राज्य सरकार के पास कब रिपोर्ट भेजी गई ?

(ख) पी. एस. सी. द्वारा सिलेक्टेड अध्यापकों की सूची अभी तक प्रकाशित नहीं होने क्या कारण है ?

(ग) उक्त सूची में कितने नये व्यक्तियों को हेड मास्टर बनाया गया है ?

(घ) उक्त प्रधानाध्यपकों के सिलेक्शन में कौन कौन पदाधिकारी थे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मन्त्राणी)—(क) चालू वर्ष में कोई सिलेक्शन किया गया परन्तु १९५५ में जरूर हुआ था । ८ अगस्त, सन् १९५५ को जन सेवा आयोग की प्राप्त हुई ।

(ख) जन सेवा आयोग की सिफारिश की सूची पर पूरा विचार करना आवश्यक हो था इसलिये सूची अभी तक प्रकाशित नहीं की गई ।

Page No 2

[श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल]

(ग) क्योंकि सूची विचाराधीन है इसलिये अभो यह प्रश्न नहीं पैदा होता।

(घ) चेयरमेन पी. एस. सी., शिक्षा सचिव, अतिरिक्त सचिव नियुक्ति विभाग व अध्यक्ष शिक्षा विभाग।

श्री चांदमल मेहता—यह सूची इतने समय तक विचाराधीन किस कारण से रही ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—एक कारण यह हो गया कि डिप्टी इन्स्पेक्टर्स सीनियोरिटी और एक्सपीरियंस के लिहाज से ऊंचे पड़ते थे, पर इस क्राइटेरिया में ५ साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिये इसलिये इस पर विचार करना आवश्यक हो गया।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या पी. एस. सी. ने जो निर्णय लिया है उसमें सरका परिवर्तन करना चाहती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—सारा प्रश्न ही विचाराधीन है। यह बहुत बड़ा है कि जो व्यक्ति इतने सीनियर होते हुए भी सिर्फ इस कारण से हेडमास्टर्स में नहीं आवें तो उनके साथ अन्याय होगा।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या पी. एस. सी. के सिलेक्शन के पहले सरकार ने पर विचार नहीं किया था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—शायद ध्यान में नहीं आया होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या ध्यान में आने पर अब सब के मामले सरकार दुब एग्ज़ामिन करेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने निवेदन किया कि इन सारी बातों पर वि किया जा रहा है, उसका नतीजा निकलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या सरकार, जो आदमी रह गये हैं उनको पी. एस. के पास भेजना चाहती है या पी. एस. सी. ने जिनको एप्रूव कर दिया है उनको सरकार रो चाहती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जो विषय विचाराधीन हैं उस बारे में, जब तक वि निर्णय नहीं हो जाय तब तक कोई विचार प्रकट करना उचित नहीं होगा।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि कौन सी बात विचाराधीन है, आया जि पी. एस. सी. ने एप्रूव कर दिया है उनको रोकना चाहती है या नये आदमियों को एड (ऐ करने के कारण देर की जा रही है ?

Page No 3

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने बताया कि उनके साथ इस मामूली क्राइटेरिया के कारण अन्याय होने वाला था, उसका हल निकालने के लिये यह सारा मामला विचाराधीन है।

श्री चांदमल मेहता—जो आदमी पी. एस. सी. द्वारा एप्रूव कर दिये गये हैं उनकी सूची क्यों नहीं प्रकाशित कर दी जाती, जो बच रहे हैं उनको पी. एस. सी. के पास भेजा जा सकता है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—सभी मामला एक साथ तय हो जायगा।

श्री चांदमल मेहता—कौन तय कर रहा है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—सरकार।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह मामला दुबारा पी. एस. सी. के पास जायगा?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जो प्रश्न विचाराधीन है उसके बारे में अन्तिम निर्णय से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री चांदमल मेहता—इस प्रश्न पर विचार करके निर्णय करने में सरकार को कितना समय और लगेगा?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जल्दी ही निर्णय किया जायगा क्योंकि इस कारण हमें भी बहुत अव्यवस्था का अनुभव करना पड़ रहा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस वर्ष के अन्त तक और नये वर्ष के शुरू होने से पहले निर्णय होने की उम्मीद है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी हां।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ५६३

जनवरी १६५५ के पश्चात इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स किशनगढ़ के अधीन काम करने वाले अध्यापकों की राज्य सेवा से मुक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स किशनगढ के मातहत काम करने वाले किन किन अध्यापकों को नौकरी से मुक्त किया गया ?

(ख) ऐसे कौन कौन अध्यापक हैं जिनकी नियुक्ति सब्स्टेन्टिव पोस्ट पर हुई थी लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी से मुक्त कर दिया गया ?

(ग) उक्त अध्यापकों ले से किन किन को सब्स्टीट्यूट टीचर्स के स्थान पर नियुक्त किया जा चुका है ?

(घ) १ जनवरी, १९५५ के बाद उक्त इन्सपेक्टर के मातहत कुल कितने नये अध्यापकों की नियुक्तियां की गई ?

(ङ) उक्त अध्यापकों में सब्स्टेन्टिव पोस्ट पर किन किन की नियुक्तियां हुई हैं और उनको कौन कौन सा ग्रेड दिया गया है ?

(च) उक्त इन्सपेक्टर के मातहत काम करने वाले इन्टर ट्रेन्ड मेट्रिक ट्रेन्ड और इन्टर पास कितने अध्यापक हैं जिन्हें मिडिल या मिडिल ट्रेन्ड की ग्रेड दी जा रही है ?

(छ) उक्त अध्यापकों की लेन्थ ऑफ सर्विस कितनी कितनी है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बनीवाल (उपमंत्राणी)—(क) केवल गत १६ अध्यापकों को जो केवल सत्र के लिये ही रखे गये थे।

इस सम्बन्ध में (ख) की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ऐसे किसी अध्यापक को अलग नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न भाग 'क' के उत्तर से सम्बन्धित सदन की मेज पर रखी हुई तालिका के क्रमांक ४,५,६,९,१०,११,१३,१४ और १५ पर अंकित अध्यापकों को सब्स्टीट्यूट अध्यापकों के स्थान पर लिया जा चुका है।

(घ) १५५ अध्यापकों की।

(ङ) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(च) इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(छ) प्रश्न भाग 'च' के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई तालिका में यह सूचना दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No 5

श्री चांदमल मेहता—जिन व्यक्तियों के लिये कहा गया है कि इसी सत्र के लिये रखे गये थे, क्या यह सही है कि उनकी नियुक्ति के बारे में जो ऑर्डर हुआ उसमें यह हवाला नहीं दिया गया था कि सब्स्टेन्टिव पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—सब्स्टीट्यूट्स रखे जाते हैं उन्हें सब्स्टीट्यूट का अपोइन्टमेंट लेटर मिलता है।

श्री चांदमल मेहता—जिन १६ अध्यापकों को अलग किया गया, उन्हें उसी सत्र के लिये रखा गया था तो क्या यह सही है कि सब्स्टेन्टिव पोस्ट पर नियुक्ति की गई थी, उसमें इस बात का कोई हवाला नहीं था कि इनकी नियुक्ति इसी सत्र के लिये की गई है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जिसमें किसी चीज का हवाला नहीं हो तो उससे सब्स्टीट्यूट ही समझना चाहिये। जब तक सब्स्टेन्टिव या परमानेन्ट वेकेन्सी के अगेन्स्ट में नहीं लिया जावे तब तक सब्स्टीट्यूट ही समझना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता— उसमें क्लीअर लिखा गया है कि सब्स्टेन्सिव पोस्ट पर नियुक्त किया गया और जब १६ व्यक्तियों को निकाला गया तो उसको भी निकाल दिया गया, ऐसा क्यों किया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— जब ट्रेनिंग में गये हुए व्यक्ति वापिस आये तो १६ व्यक्तियों को निकाल दिया गया। अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें क्लिअर यह लिखा गया है तो मेरी जानकारी में तो यह बात है नहीं। आप अपनी जानकारी अब दे रहे हैं, तो उसकी जानकारी प्राप्त की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—आपने पहले जवाब दिया और अब जो जवाब देरही हैं, उसमें फर्क है। आप देख सकती हैं, प्रश्न यह है—

१ जनवरी १९५५ के बाद उक्त इन्सपेक्टर के मातहत कुल कितने नये अध्यापकों की नियुक्तियां की गई ?

उक्त अध्यापकों में सब्स्टेन्टिव पोस्ट पर किन किन की नियुक्तियां हुई हैं और उनको कौन कौन सा ग्रेड दिया गया है ?"

जो १६ आदमियों को निकाला गया है उसमें दामोदर मास्टर है उसको सब्स्टेन्टिव पोस्ट पर लिया गया था और अब उसके स्थान पर नये आदमी को लिया गया है और उसको निकाला गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— सब्स्टेन्टिव पोस्ट पर सब्स्टीट्यूट होगा, इसलिये हटा दिया गया होगा।

श्री चांदमल मेहता— है या नहीं, होगा या नहीं; मैं तो साफ जानना चाहता हूं, है या नहीं।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने बताया कि १६ को अलग किये गये सब्स्टी-च्यूट ही होंगे तभी तो अलग किया गया। अब आप जो सूचना दे रहे हैं उसके संबन्ध में कागजात मंगा कर देख लिये जावेंगे।

श्री चांदमल मेहता— मैं चेलेंज करता हूं कि दामोदर सब्स्टेन्टिव पोस्ट पर था और उसको अलग किया गया है। आपने मुझे जो सूची दी है उसमें इसको किसी सबस्टीच्यूट के एवज में नहीं लिया गया पाया जाता। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन, करूंगा कि आपने जो जवाब दिया है वह पहले जवाब से मेल नहीं खाता और पहले और दूसरे जवाब में अन्तर है।

If the reply is contradictory the hon'ble member can approach me and I will decide it.

प्रश्न संख्या ५६४

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जयचन्द्र मोहिल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६५

श्री भोपालसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५६६

निरीक्षक शिक्षा विभाग सीकर द्वारा अध्यापकों के शिकायती स्थानान्तर

श्री भैंरूसिंह (१६) क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) इस वर्ष निरीक्षक शिक्षा विभाग सीकर द्वारा किन किन अध्यापकों के कहां से किस किस जगह शिकायतों पर स्थानान्तरण किये गये ?

(ख) स्थानान्तरण करने के पूर्व व पश्चात् किन किन की शिकायतों की जांच की गई और उनमें से प्रत्येक का क्या नतीजा रहा ?

[श्री भैंरू सिंह]

(ग) इस प्रकार के स्थानान्तरण के कारण किन किन अध्यापकों को टी. ए. नहीं दिया गया ?

(घ) क्या शिकायतें झूठी साबित होने पर ऐसे अध्यापकों को वापिस उसी स्थान पर नियुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो किन किन को ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल— (क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(ख) सभी शिकायतों की जांच कराई जाने पर वे सही पाई गई ।

(ग) किसी को भी नहीं, क्योंकि शिकायत पर स्थानान्तर होने पर, टी. ए. नहीं दिया जाता है ।

(घ) शिकायतें झूठी साबित नहीं हुई इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैंरू सिंह— जिन अध्यापकों का ट्रान्सफर किया गया, क्या उनका ट्रान्सफर शिकायतों की जांच होने से पहले किया गया या जांच होने के बाद में किया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— जांच होने पर ही किया गया ।

श्री भैंरू सिंह— जिन अध्यापकों के नाम दिये गये हैं, क्या यह सही है कि उनमें से अधिकांश की जांच होने से पहले ही ट्रान्सफर कर दी गई थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी—मेरे पास तारीख तो है नहीं । उन सबकी जांच हुई और शिकायत सही पाई गई और इस वजह से उनका ट्रान्सफर किया गया ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५६७

ग्राम बकरवालिया (त० रूपनगर) में १५ अक्टूबर, १९५५ के पश्चात् लकड़ी काटने संबन्धी कृषकों पर मुकदमे

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) १५ अक्टूबर, १९५५ के बाद ग्राम बकरवालिया, तहसील रूपनगर में किन किन किसानों के खिलाफ अपनी जमीन में से लकड़ी काटने के अपराध में मुकदमें चलाये गये ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) ऐसे कौन कौन किसान हैं जिनके खिलाफ जुरमाने किये जा चुके हैं ?

(ग) उक्त जुरमाने किस अपराध में किस अधिकारी द्वारा किये गये हैं ?

श्री संपतराम (उपमंत्री)—(क) १५ अक्टूबर, ५५ के बाद ग्राम बकरवालिया तहसील रूपनगर के किसी किसान के खिलाफ उसकी जमीन में से पेड़ काटने के बाबत कोई मुकदमा नहीं चलाया गया ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) कोई नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—आप यह सूचना किस आधार पर दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—सरकारी रेकॉर्ड के आधार पर दी जा रही है ।

श्री चांदमल मेहता—मैं इस सूचना को चैलेंज करता हूं ।

प्रश्न संख्या ५६८

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री कस्तूरचंद ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५६६

जयपुर जिला बोर्ड में अनुसूचित जाति के इन्सपेक्टर, सुपरवाईजर्स व क्लर्क्स

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर जिला बोर्ड के कार्यालय में कितने इन्सपेक्टर्स, सुपरवाइज़र्स, और क्लर्क हैं व इनमें शिड्यूल्ड कास्ट के कितने क्लर्क हैं ?

(ख) जिला बोर्ड के कुल स्टाफ में हरिजनों में से कितने लोग हैं तथा वे किस किस पद पर व कहां कहां हैं ?

Page No 9

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(ग) क्या उक्त विभाग में नियुक्तियां करते समय शिडूल्ड कास्ट में से नियुक्तियां किए जाने का ध्यान रखा गया था ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) दो शिक्षा निरीक्षक, दो औषधालय निरीक्षक व १६ लेखक हैं। बोर्ड में सुपरवाईज़र का कोई पद नहीं है। अनुसूचित जाति का कोई क्लर्क बोर्ड में नहीं है।

(ख) कुल ५ अधिकारी हैं जो निम्न पदों व स्थानों पर कार्य कर रहे हैं :

(१)	अध्यापक	छारदड़ा
(२)	चतुर्थ श्रेणी	सामोद
(३)	,, ,,	नारायना
(४)	,, ,,	जिला बोर्ड रसायन शाला, जयपुर
(५)	,, ,,	कार्यालय जिला बोर्ड, जयपुर।

(ग) जी हां।

(घ) यदि कोई अनूसूचित जाति का उम्मीदवार किसी रिक्त स्थान के उपयुक्त मिल जाता है तो उसको उस स्थान पर लगाया जाता है।

प्रश्न संख्या ६००

सीकर जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूल के अलाउन्स प्राप्त नहीं करने वाले प्रधानाध्यापक

श्री भैरूंसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(क) सीकर जिले में कितने प्राइमरी व मिडिल स्कूल्स हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि सीकर विभाग के प्राइमरी व मिडिल स्कूल्स के प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का अलाउन्स नहीं मिलता है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों नहीं और किन किन को मिलता है और किन किन को नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) मिडिल स्कूल ३७.
प्राइमरी स्कूल ३००.

(ख) जी नहीं।

(ग) यह अलाउन्स नई ग्रेड लेने वालों को ही मिलता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति के मामले की जांच की जाकर अलाउन्स दिये जाने की कार्यवाही की गई है।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार के ऐसे आदेश हैं कि प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टरों को व मिडिल स्कूल के हेडमास्टरों को प्रधानाध्यापकों का एलाउन्स मिलना चाहिये?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह एलाउन्स नई ग्रेड लेने वालों को ही मिलता है, पुराने ग्रेड वालों को नही मिलता। इसके अलावा वह संख्या पर भी डिपेन्ड करता है।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि उस आदेश में कोई इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है कि पुराने ग्रेड वालों को नहीं दिया जावेगा और नई ग्रेड लेने वालो को ही दिया जावेगा?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह तो हेडमास्टरों को जानकारी होनी चाहिये कि किस हालत में उनको हेडमास्टर का एलाउन्स मिलेगा। जब वे ग्रेड चूज़ करते हैं उसी समय उनको पता लग ज़ाता है कि उनको एलाउन्स किन किन सूरतों में मिलेगा।

श्री भैंरू सिंह—क्या कोई भी हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल का इस प्रकार का एलाउन्स पाने का हकदार नहीं है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जिस समय डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं उसी समय यह साफ होता है कि किन किन सूरतों में एलाउन्स मिलेगा, इसलिये उनको किसी प्रकार की गल्तफहमी नहीं रहती है।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि सीकर में नई मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स के हेड मास्टरों को यह एलाउन्स मिल रहा है?

श्री अध्यक्ष—That is subject to enquiry. Any other supplementary. Next

प्रश्न संख्या ६०१

किशनगढ़ सब डिवीजन की सरकार के नियन्त्रण में आई हुई २०० रु० से कम आमदनी वाली जागीरें

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री चांदमल मेहता]

(१) किशनगढ़ सब डिविजन में ऐसी कितनी जागीरें हैं जो २००)रु० से कम आमदनी की हैं और सरकार के नियंत्रण में हैं ?

(२) उक्त जागीरें किस कानून के अन्तर्गत सरकार के कब्जे में हैं ?

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—(क) कोई नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६०२

कस्बा तिजारा के पब्लिक गार्डन व उसमें के गेस्ट हाउस के प्रबन्ध में सुव्यवस्था करने संबन्धी

श्री घासीराम:— क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कस्बा तिजारा में एक पब्लिक गार्डन है जो कि अलवर रियासत के समय से चला आरहा है और उस का इन्तजाम भी राज्य की ओर से होता है और गेस्ट हाउस भी उसमें बना हुआ है ?

(ख) अगर यह सच है तो उसका प्रबन्ध किस प्रकार किया जा रहा है, कितने माली हैं कितने बैल जोड़ी हैं ? कितनी रकम उस पर हर साल खर्च होती है ?

(ग) क्या यह सही है कि बैल चारा के प्रबन्ध न होने के कारण भूखे मर रहे हैं और बाग की हालत खराब होती जा रही है ?

(घ) क्या सरकार बाग की हालत से सन्तुष्ट है और अगर नहीं है, तो भविष्य में बाग की हालत सुधारने के लिये क्या इन्तजाम करने जा रही है ?

श्री सम्पतराम (उपमंत्री)—(क) जी हां ।

(ख) इस समय इस बाग व गेस्ट हाउस की देख भाल तहसील द्वारा होती है । एक चौधरी व दो माली मुकर्रर हैं । तीन बैल हैं और सालाना खर्चा करीब पांच हजार रुपया है ।

[श्री सम्पतराम]

(ग) जी नहीं। तीन बैलों में से एक बैल बुढ़ापे की वजह से बेकार सा हो रहा है।

(घ) बाग की वर्तमान हालत को अधिक सन्तोषजनक रखने के कारण इस बाग को सरकारी बागात विभाग को सौंपने का निश्चय कर लिया है। और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री घासीराम:—क्या यह सही है कि बैलों को नीलाम कर दिया गया है?

श्री संपतराम:—हमारे पास जो इन्फोर्मेशन थी उसी के आधार पर मैंने यह उत्तर दिया है।

श्री घासीराम:—क्या यह सही है कि बाग को दो महिने से पानी नहीं दिया गया और बैलों को नीलाम कर दिया गया?

श्री संपतराम:—यह तो अलग प्रश्न है।

श्री घासीराम:—अध्यक्ष महोदय, यह अलग प्रश्न नहीं है, जो जवाब दिया गया है उसी से संबन्ध रखता है।

श्री संपतराम:—आप इसके लिये अलग प्रश्न पूछें।

श्री घासीराम:—बूढ़े बैल को कब बदला जावेगा?

श्री संपतराम:—बुढ़ापे का प्रभाव तो सब पर होता ही है।

श्री घासीराम—क्या नया बैल नहीं मिल रहा है?

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६०३

लोसल (जि० सीकर) स्थित सरकारी अस्पताल में सेठ गणेशरामजी फतहचंदजी द्वारा ट्यूबवेल लगाने की स्वीकृति देने की प्रार्थना

श्री भैरूसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि सीकर जिले में लोसल स्थित सरकारी अस्पताल में सेठ गणेशरामजी फतहचंदजी मोर मु० खुमसर ने सेवा समिति नवयुवक मंडल के द्वारा ट्यूबवेल लगाने की डी. एम. एच. ओ. सीकर से अनुमति मांगी है?

Page No 13

[श्री भैंरू सिंह]

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय डाक्टर की मौखिक स्वीकृति के कारण यह सामान खरीद लिया गया है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि अब डी. एम. एच. ओ. सीकर ने ट्यूबवेल लगाने की स्वीकृति नहीं दी है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—[क] अनुमति मांगी थी परन्तु अभी इस अस्पताल का भवन सरकार के अधिकार से बाहर है।

[ख] जी नहीं।

[ग] प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[घ] इस अस्पताल के भवन को एक गैर सरकारी समिति ने बनवाया है। इसको अभी सरकार ने अपने अधिकार में नहीं लिया है। अतः कानूनी तौर पर इसके विषय में अभी सरकार किसी भी प्रकार की आज्ञा देने में असमर्थ है।

श्री भैंरू सिंह—अभी तक सरकार ने उसको अपने अधिकार में क्यों नहीं लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एग्रीमेंट नहीं होने से सरकार ने अपने अधिकार में नहीं लिया। समिति के अधिकार में है। समिति से ट्रान्सफर करने की कार्यवाही हो रही है।

श्री भैंरू सिंह—सरकारी डाक्टर मुकर्रर किया गया उसके पहले मकान पर कब्जा किसका था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कब्जा हमारा है मगर लीगल कार्यवाही बाकी है।

श्री अध्यक्ष—formalities पूरी हो रही हैं।

श्री भैंरू सिंह—सरकार को इस पर क्या अधिकार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हमारी डिस्पेन्सरी है।

श्री भैंरू सिंह—जब उन्होंने मकान बनाया है और वे ही वहां पर ट्यूब वेल बनाना चाहते हैं तो उनको क्यों नहीं लगाने दिया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे किसी दूसरे की दस्तन्दाजी पसन्द नहीं करते।

श्री भैरू सिंह—जब सरकार यह समझती है कि यह मकान सरकार के अधिकार में आवेगा और उसके लिये फोरमलीटीज़ चल रही हैं तो फिर ट्यूब वेल लगाने की आज्ञा क्यों नहीं देती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जिन्होंने मकान बनाया है वही लगाना चाहते हैं।

श्री भैरू सिंह—क्या सरकार को यह पूर्णतया विश्वास हो गया है कि जिन्होंने मकान बनाया है वे शीघ्र ही ट्यूब वेल्स लगावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लिखित में हमारे पास आया है।

प्रश्न संख्या ६०४

राजगढ़ (जिला. चूरू.) में धानकों के कुन्ड हेतु स्वीकृत धनराशि

श्री प्रभुदयाल—क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) राजगढ़ सादुलपुर, जिला चूरू में धानकों के कुन्ड के लिये कब व कितनी रकम मन्जूर हुई थी और अब तक कितना कार्य हो चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि नायब-तहसीलदार व तहसीलदार ने जान-बूझ कर उन्हें आज तक एक पैसा तक नहीं दिया है ?

(३) क्या यह सही है कि हरिजनों ने काफी अर्से पहले अपने हिस्से का कार्य कर दिया है लेकिन सरकारी रकम न मिलने से कार्य पूरा नहीं हो सकता है ?

(४) क्या यह सही है कि हरिजनों से समय समय पर रिश्वत आदि मांगी गई व उनकी मजबूरी जाहिर करने से यह कार्य नहीं हो पा रहा है ?

(५) क्या सरकार जांच करने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) राजगढ़ सादुलपुर जिला चूरू में धानकों के कुन्ड के लिये २,००० रु. मन्जूर हुए थे।

(२) यह रकम जिला विकास कमेटी के द्वारा तारीख २१-५-५५ को मन्जूर की गई थी। आज तक कुन्ड की खुदाई केवल ६ हाथ हुई है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(३) नहीं।

(४) नहीं।

(५) ऐसा नहीं मालूम होता। पूर्ण विवरण मिलने पर तहकीकात की जा सकती है।

(६) इसका उत्तर ५ के उत्तर में दिया जा चुका है।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार के पास इनकी समय समय पर शिकायतें नहीं आई है?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार के पास जिन्होंने रुपया लिया उनके खिलाफ शिकायत आई है कि वाउचर नहीं, अकाउन्ट ठीक नहीं है इस प्रकार की।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार इस बात की जांच करने के लिये तैयार है कि धानकों को तहसीलदार बार बार तंग करता है इसकी लिखित रूप में शिकायतें सरकार के पास आई हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया आपको जांच की रिपोर्ट है उसमें १६७४ रु० १५ आने का हिसाब पेश किया था जब कि कुन्ड के लिये २००० रुपया मन्जूर हुआ था। हिसाब में खामियां थीं उसकी सूचना भेज दी गई कि ठीक हिसाब पेश नहीं किया गया।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि हिसाब ठीक तरह से पेश करने पर भी ६ महिने तक पैसा नहीं दिया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या—छः महिने तो क्या ६ दिन भी नहीं लगते।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार उन भोले भाले हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तहसीलदार बार बार तंग करता है, इसके बारे में कोई कार्यवाही करेगी?

श्री अध्यक्ष—आप सवाल पूछिये, वाकेआत पूछिये, आप तो बहस करने लग गये।

श्री प्रभुदयाल—अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार साहब उन लोगों को अननेसेसरी हरेसमेंट करते हैं इसलिये कहना पड़ता है।

Page No 16

श्री अध्यक्ष—यह बहस का मौका नहीं है आप फेक्टस पूछियेगा।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार इसकी जांच कराने के लिये तैयार है ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—सोते मत रहियेगा।

प्रश्न संख्या ६०५

चम्बल नदी में नांव पड़ने के स्थान व उतराई दर

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) चम्बल नदी में कौन कौनसी जगह नाव पड़ती है और उतराई किस दरसे ली जाती है?

(ब) क्या यह नाव घाट नीलाम किये जाते हैं ?

(स) क्या किसी जगह उतराई नहीं ली जाती है ?

(द) किसी जगह उतराई के पैसे लिये जावें और किसी जगह नहीं, इसके क्या करण हैं ?

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—(अ) चम्बल नदी पर नाव निम्न जगह पर पड़ती है—

(१) तहसील केशोराय पाटन।	(१०) तथा (११) स्थानों पर
(२) तहसील लाडपुरा कोटा	२ घाट पर
डिगोद	२ घाट पर
पीपलदा	३ घाट पर
मैंसरोडगढ़	३ घाट पर
धौलपुर	२ घाट पर जिसमें एक सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन है।
बाड़ी	१ घाट पर
राजा खेड़ा	४ घाट पर
बसेड़ी	१ घाट पर

उतराई आम तौर पर दो पैसे से एक आना प्रति व्यक्ति लिया जाता है, किन्तु बरसात की मौसम में जब नदी चढ़ाव पर होती है और नावों पर ज्यादा आदमी लगते हैं तो ठेकेदार २ आने से ६ आने प्रति व्यक्ति ले लेते हैं।

[श्री सम्पतराम]

(ब) सिवाय घाट कोटा शहर व भैंसरोडगढ़ बाकी सब घाट नीलाम किये जाते हैं।

(स) सिर्फ एक घाट भैंसरोड़गढ़ पर उतराई नहीं ली जाती है।

(द) घाट भैंसरोड़गढ़ पर उतराई नहीं लिये जाने का यह कारण है कि वहां नावड़िये सरकारी मुलाजिम हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या और जगह भी सरकार नावड़िये अपनी तरफ से रखना चाहती है ?

श्री सम्पतराम—अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कानून पहले से चले आ रहे हैं, उन सब कानूनों को एक निश्चित नीति निर्धारित करके समान स्तर पर लाने का सरकार विचार रखती है ?

श्री श्रीदास गोयल—पाली घाट पर ठेका नीलाम करती है, वहां क्या गर्वनमेंट अपनी तरफ से अरेन्जमेंट करेगी ?

श्री सम्पतराम—विचाराधीन है, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम हैं जो कई स्टेटों के समय से चले आ रहे हैं, जागीरदारों के समय से चले आ रहे हैं, आम तौर पर ठेका ही होता है।

श्री श्रीदास गोयल—पाली घाट पर ठेका होता है या क्या ?

श्री सम्पतराम—यह इनफोरमेशन मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—रामेश्वर घाट पर क्या प्रबन्ध है ?

श्री सम्पतराम—मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने बता दी। ये कोई साधारण ही घाट होंगे।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार चम्बल नदी पर जो रामेश्वर घाट और पाली घाट है जिसमें मोटरें तक उतारी जाती हैं, क्या उनको साधारण घाट ही समझती है ?

श्री सम्पतराम—यह अलग से सवाल है।

श्री श्रीदास गोयल—यह सवाल पूछा गया है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, आपने जिक्र तक नहीं किया इन घाटों का ?

Page No 18

श्री सम्पतराम—आप इसके लिये अलग से सवाल पूछिये।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल पूछा गया है इस प्रकार है—चम्बल नदी में कौन कौन सी जगह नाव पड़ती हैं और उतराई किस दर से ली जाती है ? इस तरह से चम्बल नदी को क्रोस करने के लिए काफी घाट बने हुये हैं उनका डिटेल्स में जवाब आना चाहिये ?

श्री सम्पतराम—जो मेरे पास सूचना थी मैंने आपको बता दी, अगर आप कुछ स्पेसिफिक बातें पूछना चाहते हैं तो अलग से सवाल पूछिये।

श्री हिम्मतसिंह—कोटा में किस किस जगह और लाड़पुरा में कितनी जगह नावें पड़ती हैं ?

श्री सम्पतराम—यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप इसके लिए अलग से सवाल पूछिए।

श्री हिम्मतसिंह—अभी आपने बताया था कि दो जगह नावें पड़ती हैं ?

श्री सम्पतराम—तहसील लाड़पुरा में दो जगह नावें पड़ती हैं।

श्री हिम्मतसिंह—कौन कौन सी जगह ?

श्री सम्पतराम—कौन कौन सी जगह पड़ती हैं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—तीसरी जगह तो कोई नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—Be sure.

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का 'अ' भाग इस प्रकार है—चम्बल नदी में कौन कौन सी जगहें नाव पड़ती हैं और उतराई किस दर से ली जाती है ? इस प्रश्न के द्वारा सारे राजस्थान में जहां जहां चम्बल नदी की उतराई पड़ती है सभी जगह शामिल हो जाती हैं। मैंने दो घाटों का नाम बताया, पाली घाट और रामेश्वर घाट, इनका सम्बन्ध भी इससे है इसके जवाब नहीं दिये गये ?

श्री अध्यक्ष—आपने भाग 'अ' का उत्तर सुन लिया।

श्री श्रीदास गोयल—अगर माननीय मंत्री मैंने जिन दो घाटों के सम्बन्ध में पूछा उनका उत्तर देने में इनकेपेबल है तो कल वे उसका उत्तर दे दें।

श्री सम्पतराम—अध्यक्ष महोदय, मैंने चम्बल नदी पर कहां कहां हमारे ठेके होते हैं, कौन कौन से बड़े घाट हैं वह सब सूचना मैंने सदन के सामने रख दी, अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो मैं उसका अलग से जवाब दे सकता हूं, अलग सवाल पूछने पर।

श्री श्रीदास गोयल—बड़े घाट और छोटे घाटों के संबंध में आपके पास क्या क्रेटेरिया है? क्या जिस घाट पर मवेशी उतरते हों, मोटरें उतरती हैं, क्या उन घाटों को भी आप छोटे ही मानते हैं?

श्री सम्पतराम—इन सभी बातों के आधार पर ही तो छोटे बड़े घाट माने जाते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—जिन जगहों पर दुर्व्यवस्था है उसके लिये मैंने जानकारी चाही है, यदि माननीय उपमन्त्री महोदय आज अपनी मजबूरी समझते हैं उत्तर देने में, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको इसके लिये दुबारा टाइम लेना चाहिये।

श्री सम्पतराम—इत्तला दे रहे हैं, उसके बारे में जांच करके जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष—If the replies are evasive or incomplete the Hon'ble members have a right to put in a notice for half-an-hour discussion. There is no question of having a discussion here and now.

महाराज श्री केसरीसिंह—सभी घाटों पर टे नहीं लिया जायगा. यह कब से विचाराधीन है?

श्री सम्पतराम—यह तो मैंने कहा नहीं कि टेक्स नहीं लिया जायगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—आपने अभी फरमाया कि सभी जगह एक सा कानून होगा, यह कब से विचाराधीन है?

श्री सम्पतराम—युनीफाइड रूल्स बनाने के बारे में सरकार सोच रही है।

म श्री केसरीसिंह—यह विचार कब से हो रहा है?

श्री सम्पतराम—कई दिनों से विचार हो रहा है और अब शीघ्र ही निर्णय होने वाला है।

महाराज श्री केसरीसिंह—मेरा यह सवाल यह कब से विचार शुरू हुआ When did it start?

श्री सम्पतराम—जब जब नयी परिस्थितियां आई उसके मुताबिक विचार किया गया और अब भी विचार करना जारी है।

प्रश्न संख्या ६०६

ग्राम तेल उद्योग विकास हेतु केन्द्र द्वारा राजस्थान को वर्तमान वर्ष में ऋण व अनुदान की स्वीकृति

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) ग्राम तेल उद्योग के विकास के लिये केन्द्र द्वारा राजस्थान को चालू वर्ष में कितना ऋण व अनुदान देना स्वीकार किया गया और उसमें से कितना मिल चुका है ?

(२) सरकार द्वारा इस उद्योग के विकास के लिये १९५५–५६ के आर्थिक वर्ष में कितना रुपया स्वीकृत किया गया ?

(३) कितनी कितनी रकम किस किस जिले में किस किस तरह से खर्च की गई।

श्री भोगीलाल पंड्या—अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उत्पादन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान की विभिन्न संस्थाओं व सहकारी समितियों और राज्य बोर्ड को ६ आदर्श ग्राम तेल उत्पादन केन्द्रों के लिये ५८,५०० रु० तथा सुधरे हुए नमूने की १०० घानियां खरीदने के लिये १३,६२५ रु० कुल ७२,१२५ रु० की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई और तिलहन संग्रह के लिये १,३५,००० रु० तथा सुधरे नमूने की ५० घानियां खरीदने के लिये ७,५०० रु० कुल १,४२,५०० रु० का ऋण स्वीकार किया गया तथा यह कुल ऋण व सहायता की २,१४,६२५ रु० की रकम प्राप्त हो चुकी है।

(२) राजस्थान सरकार द्वारा १९५५-५६ के आर्थिक वर्ष में इस उद्योग के लिये कोई रकम स्वीकृत नहीं की गई।

(२) अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से प्राप्त उपरोक्त रकम २,१४,६२५ रु० का उपयोग जिलेवार इस प्रकार किया गया—

			सहायता	ऋण
१.	जिला कोटा	मॉडल सेन्टर		
		२५ नूतन घानी	६,५००	
		तिलहन स्टॉक	६,१२५	७०,०००
२.	जिला जयपुर	तिलहन स्टॉक		५१,०००
३.	जिला भीलवाड़ा	मॉडल सेन्टर		
		तिलहन स्टॉक	९,५००	११,०००

[श्री भोगीलाल पंड्या]

४.	जिला पाली	मॉडल सेन्टर तिलहन स्टॉक	६,५००	३,०००
५.	जिला चित्तौड़	मॉडल सेन्टर	६,५००	
६.	जिला बांसवाड़ा	मॉडल सेन्टर	६,५००	
७.	जिला जोधपुर	मॉडल सेन्टर	६,५००	
८.	राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिस रकम का विभाजन करना शेष है			
		३ माडल सेन्टर	१६,५००	
		५० सुधरी घानी खरीदने को.	७,५००	७,५००
		कुल योग	७२,१२५	१,४२,५००

श्री चांदमल मेहता—ये जो नई किस्म की घाणियां की गई हैं उनका प्रोडक्शन क्या क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग अलग है। अपने यहां की प्राचीन घाणियों से ज्यादा तेल निकलता है, पर यह नहीं कि हरेक से बराबर निकलता हो।

श्री चांदमल मेहता—यह जो रुपया जिलेवार तकसीम किया गया उसमें आधार क्या माना ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां कहीं कार्यकर्त्ता तैयार थे और जिन्होंने तेलियों से मिलकर यह व्यवस्था की और प्रार्थनापत्र दिये उनके लिये स्वीकृति दी और अब भी जिन जिन के प्रार्थनापत्र आते हैं उनकी जांच करके सहायता दी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—जिन जिलों में बताया गया है उनके अलावा दूसरे जिलों में क्या कार्यकर्त्ता नहीं मिलते थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि इस तरह के कार्यों में रुचि रखने वाले कार्यकर्त्ता वहां होते तो अवश्य प्रार्थनापत्र देते। वैसे इस सम्बन्ध में यहां सम्मेलन भी बुलाया गया था और समाचार पत्रों द्वारा भी प्रचार किया गया था। मैं आशा करता हूं कि कार्यकर्त्ता महोदय, जिनकी इस ओर रुचि है, वे अपने अपने प्रार्थनापत्र भिजवाएंगे और सहायता लेने की कोशिश करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सहायता लेने के सम्बन्ध में कोई नियम बना रक्खे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उन नियमों का प्रकाशन नहीं होने की वजह से आम जनता को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके बारे में तो एक अधिवेशन भी बुलाया गया था, समाचार पत्रों में भी छपे हैं, बाहर के पत्रों में भी किसी न किसी रूप में छपे हैं और जब कभी उद्योगों के बारे में, खादी और ऊन के बारे में बातचीत हुई तो इस बारे में भी ऐसी सूचनाएं बार बार दी जाती रही हैं और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से आज भी नियमों की प्रति प्राप्त की जा सकती है ?

श्री हिम्मतसिंह अटरू—कार्यकर्त्ता की कोई खास डेफीनेशन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, जो काम करे।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या मनुष्य जाति कोई काम नहीं कर रही है ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६०७

ग्राम गोवर्धनपुरा (तहसील दांता रामगढ़) के स्कूल भवन निर्माण के लिये सीकर जिला बोर्ड द्वारा दी गई धनराशि के अनुसार कार्य

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि तहसील दांतारामगढ़ के ग्राम गोवर्द्धनपुरा में स्कूल भवन निर्माण के लिये जिला बोर्ड, सीकर द्वारा १५००) रुपये के लगभग दिये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को और किन किन व्यक्तियों को यह रुपया दिया गया ?

(ग) यह रुपया किसकी दरखास्त पर दिया गया और रुपया देने से पूर्व जिला बोर्ड ने जांच सम्बन्धी क्या क्या कार्यवाही की ?

(घ) इस भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ या नहीं ? यदि हुआ तो कब और कितना काम हो चुका है ?

Page No 23

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां।

(ख) श्री लादूराम जी चौधरी बोर्ड के सदस्य एवं वाइस-चेयरमेन थे उनसे बौन्ड लिखवा कर निम्न तीन किश्तों पर रुपये दिये गये :—

५००) दिनांक १०-५-५२ को

२५०) दिनांक ११-१०-५२ को

७५०) दिनांक ३१-३-५३ को

(ग) श्री लादूराम, श्री काना पटेल व श्री रामपाल पटवारी, ग्राम गोवर्द्धनपुरा की प्रार्थना पर जिसमें २५०० रुपये स्वीकृति हेतु प्रार्थना की गई थी उस पर बोर्ड की बैठक में दिनांक ३०-९-५१ को निर्णय करके १५०० रुपये स्वीकृत किये गये।

(घ) स्कूल भवन अभी तक नहीं बनाया गया है। अब स्कूल भवन निर्माण के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री भैरूं सिंह (१६)—ये रुपये अबतक किसके पास रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ये रुपये खर्च हो चुके हैं और उनका सामान आ गया है।

श्री भैरूं सिंह—ये रुपये किस दरख्वास्त पर दिये गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने नाम बताये न कि लादूराम, श्री काना पटेल व श्री रामपाल पटवारी की दरख्वास्त आई थी। उत्तर के भाग 'ग' को आप देखें।

श्री भैरूं सिंह—यह क्या सही है कि इन तीन व्यक्तियों की जिस दरख्वास्त की बात कही जाती है उस पर इनके हस्ताक्षर नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—ये अलग अलग तीन किश्तों में क्यों दिये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस लिये कि धीरे धीरे ही काम हुआ। एक साथ तो काम होता भी नहीं।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि दूसरी किश्त लेने से पूर्व लादूराम जी ने ऐसा सार्टीफिकेट पेश किया कि पहले वाला रुपया खर्च कर दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी जानकारी में नहीं है। पर रुपया खर्च हो गया यह मेरी जानकारी में है।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि ऐसा कोई बौन्ड उनसे लिखवाया गया था कि एक एक किश्त का रुपया ज्यों ज्यों खर्च होता जाय दूसरी किश्त का रुपया दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बताया न अभी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ज्यों ज्यों सामान इकट्ठा होता गया त्यों त्यों रुपया लेते गये।

श्री भैंरू सिंह—यह जांच किस आधार पर करवाई गई कि जो रुपया दिया गया वह खरीदने में खर्च कर दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने वहां के चेयरमेन को सामने बुलाकर पूछा और लादूराम जी को भी उनके सामने पूछा और उन्होंने यह कहा कि जो रुपया लिया गया वह सारा सामान खरीदने में खर्च कर दिया गया है। पहले जो एस्टीमेट किया गया वह अधूरा था अब मैंने एस्टीमेट ठीक करने के लिये पूछा है। असेम्बली में इस सम्बन्ध में सवाल जवाब भी पहले भी किया गया था इस बारे में तो अब जो एस्टीमेट आया है वह ठीक है।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि सीकर जिला बोर्ड ने ऐसा ही प्रस्ताव पास करके कि एस्टीमेट में पूरे रुपयों का माल नहीं है, उन पर मुकदमा दायर करने का प्रस्ताव पास किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह प्रस्ताव पास करने के बाद ही मैंने चेयरमेन को बुलाया था। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट में गलती हो गई थी।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि इस प्रस्ताव के पहले सीकर जिला बोर्ड ने अपने एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर के द्वारा इसकी जांच कराई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है और न चेयरमेन महोदय ने मुझे बताई ?

श्री भैंरू सिंह—उस जांच का तो उल्लेख उस प्रस्ताव में भी है जिसमें मुकदमा दायर करने की बात कही गई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह तो मुझे बताया गया था कि ओवरसीयर से जांच करवाई थी, पर उसमें उसने अधूरी जांच की। पत्थर जो दूसरी जगह पड़े थे उनको उसने नहीं गिना।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा ५२ से ५५ तक इस स्कूल के बनने के बारे में कोई रिमाइन्डर इश्यू नहीं किया ?

Page No 25

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है। पर अब काम खतम करने के लिए एक हजार रुपया उनको और देने की आज्ञा दी गई है, तो काम जल्दी ही समाप्त कर दिया जावेगा।

श्री भैरूं सिंह—क्या इस बात की जांच कराई गई कि ५२ से ५५ तक इस पैसे का सामान नहीं खरीदा जाकर खुद के काम में यह रुपया उपयोग में लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बिलकुल गलत है। मैंने सारी जांच करा ली है।

श्री भैरूं सिंह—सरकार की जांच का क्या नतीजा रहा ? काम पूरा क्यों नहीं हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—काम पूरा तो कैसे होता। १५ सौ रुपया ही दिया गया था। उनको एक हजार और दिया गया है। अब काम पूरा हो जावेगा जल्दी से।

श्री भैरूं सिंह—जिस व्यक्ति को पन्द्रह सौ रुपया दिया गया था उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की कि अब एक हजार की कमी है। बल्कि उन्होंने तो यह कहा कि इलेक्शन की विपत्तियों की वजह से वे काम नहीं करा सके, और अब आप यह कह रहे हैं कि रुपया पूरा नहीं मिलने से काम पूरा नहीं करा सके तो इन दोनों प्रकार के बयानों में से मैं किस बयान को सही मानूं ? यह सही है कि वह जो माननीय सदस्य ने उपरोक्त आशय का वक्तव्य इसी सदन में कुछ दिनों पहले दिया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने चेयरमैन को पूछी सारी बातें। वहां यही बात सामने आई और जांच से भी यही बात मालूम हुई कि पन्द्रह सौ का माल आ गया है और अब एक हजार और दिया जाय तो काम पूरा हो जाय। इस दृष्टि से हमने उनको एक हजार और दिया है। उनकी दरख्वास्त में भी ढाई हजार की बात लिखी हुई है। उन्होंने २५०० ही मांगे हैं और उसके बिना काम पूरा हो भी कैसे सकता है, यह हम भी अन्दाज लगा सकते हैं।

श्री भैरूं सिंह—जो बौंड उन्होंने लिखा उसमें यह बात है कि ६ महीने के अन्दर अन्दर मकान बना दिया जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रुपयों पूरा दिया जावेगा तभी तो काम पूरा होगा।

श्री भैरूं सिंह—उन १५०० सौ रुपया के बारे में यह संकेत किया गया कि उनसे माल खरीद लिया गया, क्या वह माल निर्धारित समय में खरीद लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां, सामान खरीद लिया गया।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि इन ६ महीनों में भी सामान नहीं खरीदा गया बल्कि उक्त प्रस्ताव पास होने के बाद खरीदा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह गलत है। जांच हुई; पत्थर पड़े हुए हैं।

श्री भैंरू सिंह—यह जांच किस अधिकारी से करवाई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले एक ओवरसीयर को भेजा उसने अधूरी जांच की, दूसरी जगह जो माल पड़ा था उसको नहीं गिना, दुबारा इन्जीनियर को भेजा गया और उसने सही रिपोर्ट दी जिसको चेयरमेन ने भी मान लिया है।

श्री भैंरू सिंह—इन्जीनियर ने रिपोर्ट कर दी क्या कि सामान १५०० का है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले ओवरसीयर ने ठीक रिपोर्ट नहीं दी, पूरा एस्टीमेट नहीं लगाया बाद में इंजीनियर को दुबारा गौर करने के लिये कहा गया और एस्टीमेट ठीक पाया गया। चेयरमेन ने भी इसको मंजूर कर लिया है।

श्री भैंरू सिंह—पर एक्सपर्ट की राय नहीं आई ऐसा मान लिया जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह सिवाय आपके सभी मान गये हैं। चेयरमेन भी मानते हैं कि सामान सब आ गया, एस्टीमेट सही है। यह बात चेयरमेन भी बताते हैं और माननीय सदस्य भी कहते हैं तो अब दिक्कत कहां रह गई।

श्री भैंरू सिंह—एक एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर..............

श्री अध्यक्ष—(घंटी) कितनी बार आवेगा हाउस में यह सवाल ? चार छः बार तो यह आ गया।

श्री भैंरू सिंह—मेरा...........

श्री अध्यक्ष—But no individual interest should be propogated.

श्री भैंरू सिंह—एक सवाल और कर लेता हूँ साहब। क्या सरकार अब भी इस सम्बन्ध में पूरी जांच करना चाहती है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर से जांच करवा ली, चेयरमेन को पूछ लिया और यह मालूम हो गया कि माल पूरा आ गया है। अब इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं ? आप चाहते हों तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ कि कहां पत्थर हैं वे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No 27

प्रश्न सख्या ६०८

बांसवाड़ा जिले के १५ । २० वर्ष के सेवाकाल के अनट्रेन्ड अध्यापक एवं उनके वेतन का ग्रेड

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या शिक्षामन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बांसवाड़ा जिले में ऐसे कितने अनट्रेन्ड अध्याक हैं जो १५ या २० साल से पूर्व सर्विस में हैं तथा उन्हें किस ग्रेड में वेतन दिया जा रहा है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मन्त्राणी)—बांसवाड़ा जिले में १५ से २० वर्ष तक की सर्विस वाले अनट्रेन्ड अध्यापकों की संख्या १८ है और उन्हें अनट्रेन्ड अध्यापकों की ग्रेड दी जा रही है ।

श्री धूलजी भाई— आपका सरक्यूलर वहां पहुँचा नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— सरकूलर किस बात का पहुंचना था, वे अनट्रेन्ड हैं और उन्हें अनट्रेन्ड का ही ग्रेड दिया जा रहा है ।

श्री धूलजीभाई— किसी भी अध्यापक को ट्रेन्ड अध्यापक का ग्रेड नहीं मिला ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— अनट्रेन्ड को ट्रेन्ड का ग्रेड कैसे मिल सकता है ?

श्री धूलजी भाई— इसके बारे में १३ मार्च, ५४ को कोई आदेश निकाला गया था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— किस चीज़ के सम्बन्ध का आदेश निकाला गया ?

श्री धूलजी भाई— अनट्रेन्ड अध्यापकों को ट्रेन्ड अध्यापकों के बराबर ग्रेड देने के बारे में ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—अनट्रेन्ड को ट्रेन्ड का ग्रेड देने का सवाल ही नहीं उठता । फिक्सेशन के बादमें कोई बात हो तो हो सकता है, पर अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हो सकती ।

श्री धूल जी भाई भावसार— क्या इस तरह से ७ अप्रेल में आपने इस प्रकार का विधान सभा में जवाब दिया था ?

श्री अध्यक्ष — पता नहीं । हमेशा जवाब देते हैं ।

श्री जगतसिंह झाला ।

प्रश्न संख्या ६०६

तहसील खमनोर (नाथद्वारा) के देलवाड़ा ग्राम पंचायत के पत्रादि जलने संबंधी कार्यवाही

श्री जगतसिंह झाला— क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि तहसील खमनोर (नाथद्वारा) के देलवाड़ा ग्राम पंचायत के कागजात जला दिये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो इन कागजों के जलाने में किन किन का हाथ था और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) :— (क) जी हां।

(ख) पुलिस की जांच से इस रेकार्ड के जलाये जाने में निम्नलिखित व्यक्तियों का हाथ पाया गया :—

श्री मगनलाल, पूर्व सरपंच,

श्री चोथमल, लेखक,

श्री मोहनलाल, चोकीदार,

श्री भूरे खां, चौकीदार,

श्री गोपीवल्लभ।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उदयपुर के न्यायालय में इससे संबंधित कार्यवाही चल रही है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री जगतसिंह झाला:— क्या यह मगन लाल पहले जो सरपंच थे वही मगनलाल हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— जी हां; वे पहले सरपंच थे।

श्री जगतसिंह झाला:— क्या उनके हारने के बाद यह घटना हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— किस के बाद ?

Page No 29

श्री जगतसिंह झाला—हारने के बाद यह घटना हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— ऐसा ही मालूम होता है कि हारने के बाद।

श्री हिम्मतसिंह (अटरु)—मोटिव क्या था कागजात जलाने का ?

श्री अध्यक्ष— यह तो मामला सबजुडिस है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— अदालत में केस चल रहा है।

प्रश्न संख्या ६१०

जोधपुर से प्रकाशित 'मरुवाणी' समाचार पत्र को शिक्षासंस्थाओं में मंगाने को अनिवार्य करने के आधार

श्री घासीराम—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

[क] क्या सरकार ने मरुवाणी नामक साप्ताहिक पत्र को जो कि जोधपुर से निकलता है शिक्षा संस्थाओं में मंगाया जाना अनिवार्य कर दिया है ?

[ख] यदि हां, तो यह आदेश सरकार ने किस आधार पर, किस तारीख को दिया ?

[ग] क्या यह सही है कि अलवर जिले की सरकारी शिक्षा संस्थायें इस पत्र को मंगाये जाने के लिये श्री निरीक्षक, अलवर, द्वारा मजबूर की जा रही हैं ?

[च] क्या सरकार निरीक्षक के खिलाफ इस विषय की कोई जांच कर रही है, यदि हां, तो अब तक क्या किया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)—[क] जी नहीं।

[ख] प्रश्न नहीं उठता।

[ग] प्रश्न नहीं उठता।

[च] प्रश्न नहीं उठता।

श्री घासीराम- क्या अलवर जिले में पत्र नहीं मंगाया जाता है शिक्षण संस्थाओं में ?

श्री अध्यक्ष—जवाब दे दिया की नहीं।

श्री घासीराम—क्या यह आर्डर उनके सामने पेश किया जाय तो वे इसकी जांच करायेंगे ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—जरूर की जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—प्रश्न यह है कि यह पत्र अनिवार्यत: अलवर जिले में किया गया था।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं किया गया है, लिखित में दिया गया उसका जवाब।

श्री घासीराम—क्या यह सही है कि अलवर जिले की शिक्षण संस्थाओं में यह सब जगह करीब करीब पहुँचता है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी नहीं।

श्री घासीराम—यह प्रश्न पूछने पर क्या इन्सपेक्टर महोदय ने आर्डर भेजा है कि नहीं मंगाया जाय ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—नहीं, हमारे पास मजबूर किए जाने और बन्द किए जाने की कोई सूचना नहीं है। मैंने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल सही है।

श्री घासीराम—क्या उपमंत्राणी जी इसकी जांच करायेंगी कि शाहबाद, तहसील तिजारा के स्कूल के अन्दर वह अखबार भेजा गया है, तो वह जांच करायेंगी कि किसके आर्डर से भेजा गया है ?

प्रश्न संख्या ६११

श्री अध्यक्ष—श्री बृजेन्द्रपाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जयसिंह।

प्रश्न संख्या ६१२

राजस्थान निर्माण के बाद सब-तहसील बिजोलिया (जि० भीलवाड़ा) में कृषकों के खातों में रद्दोबदल

श्री जयसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

[श्री जयसिंह]

[१] क्या यह सही है कि सब-तहसील बीजोलिया, जिला भीलवाड़ा, के अन्तर्गत सैकड़ों किसानों के खाते राजस्थान के निर्माण के बाद अब तक रद्दोबदल नहीं हुए हैं ?

[२] यदि हां, तो जिन पटवारियों की गलती से ऐसा हुआ उनके खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संपतराम (उपमंत्री)—[१] जी नहीं।

[२] प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जयसिंह—क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री संपतराम—निश्चित तौर से।

प्रश्न संख्या ६१३

जहाजपुर के दलित वर्ग उत्थान हेतु पाठशाला एवं होस्टल की व्यवस्था

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या जहाजपुर क्षेत्र की अधिकतर जनसंख्या बेकवर्ड क्लास में से है ?

(२) यदि हां, तो वहां पर उनके विकास के लिए सरकार की ओर से कितनी पाठशालायें तथा होस्टल खोले गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (समाज कल्याण मंत्री)—(१) जातिवार जनसंख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहां पिछड़ी जातियों की संख्या काफी मालुम होती है।

(२) इसकी व्यवस्था अब शिक्षा विभाग द्वारा होती है, एक प्राथमिक पाठशाला ग्राम विद्याभाटा में इस विभाग की ओर से चल रही है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस संबन्ध में किसी माननीय एम. एल. ए. ने माननीय मंत्री जी कोई सुझाव दिया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, अभी ५।१० मिनट पहले जरूर आया था।

श्री अध्यक्ष—श्री प्रभुदयाल।

प्रश्न संख्या ६१४

बीकानेर डिविज़न के टे्न्ड कम्पाउन्डरों के वेतन व ट्रेनिंग हेतु भेजने की कम से कम योग्यता

श्री प्रभुदयाल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) बीकानेर डिविज़न के कितने कम्पाउन्डरों को ट्रेनिंग में भेजा जा चुका है? उनके नाम क्या क्या हैं?

(२) ट्रेन्ड कम्पाउन्डरों की तनख्वाह कितनी मुकर्रर की गई है तथा अनट्रेन्ड की कितनी है?

(३) ट्रेनिंग के लिए कम्पाउन्डरों की कम से कम क्या योग्यता रखी गई है?

(४) क्या परमानेन्ट कम्पाउन्डरों को भी ट्रेनिंग में मौका दिया गया है? यदि हां, तो किन किन को?

(५) क्या यह सही है कि मैट्रिक से कम शिक्षा होने के कारण काफी परमानेन्ट कम्पाउन्डरों को ट्रेनिंग में मौका नहीं दिया गया है?

(६) यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच की जावेगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) बीकानेर डिविज़न के ११ कम्पाउन्डर अभी कम्पाउन्डरी की ट्रेनिंग पा रहे हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—

१. श्री मुल्कराज
२. श्री सैयद नूरमोहम्मद
३. श्रीमती शकुन्तला शर्मा
४. श्री मोहनलाल सचदेव
५. श्री अमोलकचन्द्र
६. श्री पूसाराम
७. श्री चन्द्रशेखर
८. श्री. सोमदत्त
९. श्री भीमसिंह
१०. श्री बजरंगलाल
११. श्री रामलाल

(२) ट्रेन्ड कम्पाउन्डर चार भागों में विभाजित किये गये हैं। तथा उनकी ग्रेड निम्नलिखित है। अनट्रेन्ड कम्पाउन्डर अब नहीं लिये जाते हैं।

प्रथम श्रेणी	१५०. ५. २००
द्वितीय श्रेणी	१००. ५. १२०

Page No 33

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

तृतीय श्रेणी	८०. ४. १००. ५. १२०
चतुर्थ श्रेणी	५०. ३. ८०

(३) ट्रेनिंग के लिये मैट्रिक होना आवश्यक है।

(४) जी हां, ७२ परमानेन्ट कम्पाउन्डर ट्रेनिंग पा रहे हैं। इनके नाम की सूचि संलग्न है। (कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(५) जी हां।

(६) पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के नियमों के अन्तर्गत उन सज्जनों को जो मैट्रिक नहीं हैं इस ट्रेनिंग के लिये नहीं लिया जा सकता। पंजाब नर्सिंग कौन्सिल ही इस नियम का संशोधन कर सकती है यह काम राजस्थान नहीं कर सकती।

प्रश्न संख्या ६१५

बहुद्देशीय पाठशाला, धौलपुर से ६ विद्यार्थियों को निकालकर उनमें से दो को पुनः ले लेना

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है मल्टीपरपज स्कूल, धौलपुर में इस वर्ष में ६ विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला गया और उसके दूसरे या तीसरे दिन २ विद्यार्थियों को वापिस ले लिया गया। यदि उत्तर हां में है, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—केवल ५ विद्यार्थियों को अनुशासन भंग करने के कारण स्कूल में उपस्थित होने से रोका गया, परन्तु क्षमा याचना पर वापिस ले लिये गये।

श्री हंसराज जटिया—सबको लिया गया है या दो को ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—सबको ले लिया गया।

प्रश्न संख्या ६१६

श्री अध्यक्ष—श्री सुगनचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न संख्या ६१७

श्री तेजमल बापना ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१८

गत वर्ष किशनगढ़ बास प्रोजेक्ट में २ हरिजन चपरासियों के लिये विज्ञापन

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री:—क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष किशनगढ़ बास प्रोजेक्ट में २ हरिजन चपरासी लिए जाने के लिए पोस्ट एडवरटाइज़ की गई थी ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त सूचना पत्र (एडवरटाइज़मेंट) की एक प्रति तहसील कार्यालय में भी चिपकाई गई थी ?

(ग) यदि हां, तो उन दो जगहों के लिए कितने हरिजनों के आवेदनपत्र प्रोजेक्ट अधिकारी के पास आये ?

(घ) उन आवेदनपत्रों में से किस किस हरिजन को उक्त जगहों पर रखा गया, कृपया उनके नाम जाति सहित बतलाने की कृपा करें ?

(ङ) यदि हरिजन नहीं लिये गये तो क्यों ?

श्री संपतराम (उपमंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन के संबंध में कम्पलीट इनफारमेशन प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए अगले टर्न पर इसका जवाब दे दिया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—इसका उत्तर कब तक मिल जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—नेक्स्ट टर्न पर।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट टर्न तक होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

प्रश्न संख्या ६१६

उनियारा में खातौली दरवाजे की ओर खलिहानों में १८. ३. ५६ को आग

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि दिनांक १८. ३. ५६ को उनियारा तहसील कस्बा उनियारा में खातौली दरवाजा की तरफ से बड़ खालियानों में आग लग गई थी ?

(२) यदि हां, तो कितना कितना नुकसान किस किस किस्म का आसामीवार हुआ और अब तक सरकार ने उनकी राहत पहुँचाने हेतु क्या क्या कदम उठाये हैं ?

श्री संपतराम (उपमंत्री)—(१) जी हां।

(२) आग कड़ब की ढेरियों में लगी थी और निम्नलिखित सात आसामियों का करीब १५ मन गवार का नुकसान कूता जाता है:—

(१) श्री ग्यारसीलाल माली	३ मन
(२) श्री बदरीलाल काछी	३ मन
(३) श्री ग्यारसीलाल काछी	२ मन
(४) श्री नारायण बोहरा	२ मन
(५) श्री सांवता गूजर	२ मन
(६) श्री आनंदी दरोगा	२ मन
(७) श्री रामनारायन दरोगा	१ मन
	१५ मन

रावराजा श्री सरदारसिंह—आवाज नहीं आई। समझ में नहीं आया।

श्री संपतराम—(१) जी हां।

(२) आग कड़ब की ढेरियों में लगी थी और निम्नलिखित सात आसामियों का करीब १५ मन गवार का नुकसान हुआ है :—

(१) श्री ग्यारसीलाल माली	३ मन का नुकसान हुआ।
(२) श्री बदरीलाल काछी	३ मन का
(३) श्री ग्यारसीलाल काछी	२ मन का
(४) श्री नारायण बोहरा	२ मन का
(५) श्री रामनारायण दरोगा	२ मन का

[श्री सम्पतराम]

(६) श्री सांवता गूजर	२ मन का
(७) श्री आनन्दी दरोगा	१ मन का

३३०) रु० की सहायता सरकार से दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह--यह आपने गवार का बताया लेकिन बांगरें जो तीन २ वर्ष की पुरानी थीं वे सब जल गई, वह नहीं बताई ?

श्री संपतराम—यदि कहीं आपका नजदीक था और उसमें भी नुकसान हुआ तो आवश्यक मदद की जावेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह—नहीं। मैं आपको चेलेन्ज देता हूं कि गवार का नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि फसल काटी जा चुकी थी और १८. ३. ५६ को तो दूसरी फसल आ चुकी थी। यह नुकसान हुआ था कि पुरानी बांगरें जल गई थीं।

श्री संपतराम—मेरे पास जो इन्फरमेशन आई है उसके आधार पर उत्तर दे दिया गया, आप इसके बारे में यह अलग इत्तिला दे रहे हैं तो इसकी जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह—आपने किसके द्वारा जाच कराई है। आपको यह इनफरमेशन किसने दी है ?

श्री संपतराम—सरकारी मशीनरी के द्वारा, मेरे पास तो कलेक्टर की यह सूचना है कि गवार का नुकसान हुआ है और उसी के आधार पर जवाब दे रहा हूं।

श्री श्रीदास गोयल—जिस अधिकारी ने जांच की है उसके मुतल्लिक रावराजा साहब चेलेन्ज कर रहे हैं, तो जिन अधिकारी ने जांच की है उनकी जांच अगर गलत साबित हो तो सरकार कोई कार्यवाही करेगी या नहीं ?

श्री संपतराम--आप जानकारी दे रहे हैं तो ठीक है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—जानकारी नहीं चेलेन्ज करने जा रहा हूँ कि जिस अधिकारी ने यह गलत जांच की है तो उस अधिकारी को दंडित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—Only official version is accepted unless contrary is proved.

रावराजा श्री सरदारसिंह—कौनसा अधिकारी वहां जांच करने के लिए गया ?

श्री अध्यक्ष—बताया न कि कलेक्टर।

श्री संपतराम—कौन गया था यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास जिलाधीश, टोंक, के यहां से जो सूचना आई है उसके आधार पर ही उत्तर दे रहा हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—यह मुझे मालूम है कि राजस्थान सरकार के मंत्री नहीं जाते हैं जांच करने के लिए, लेकिन किस पटवारी ने जांच की, गिरदावर ने जांच की, या तहसीलदार ने जांच की ? कलेक्टर ने यह इनफरमेशन लिखकर भेज दी उससे मंत्रीजी संतुष्ट हो जाते हैं ?

श्री संपतराम—इसका जवाब तो दे दिया।

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल भटनागर।

प्रश्न संख्या ६२०

प्राथमिक कन्या पाठशाला, सलूम्बर को माध्यमिक पाठशाला बनाने सम्बन्धी

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) कन्या माध्यमिक पाठशाला खोलने के लिये क्या क्राइटेरिया है ?

(२) कन्या प्राथमिक पाठशाला, सलूम्बर में छात्राओं की क्या संख्या है ?

(३) सलूम्बर से सबसे नजदीक कन्या माध्यमिक पाठशाला की दूरी कितनी है ?

(४) क्या सरकार सलूम्बर में कन्या माध्यमिक पाठशाला खोलने की कृपा करेगी ?

श्री मती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)—(क) कन्या माध्यमिकशाला खोलने के लिये निम्नलिखित आधार हैं:—

(१) कन्या माध्यमिकशाला सीधी नहीं खोली जाती और कन्या प्राइमरी शालाओं को ही माध्यमिक शाला परिवर्तित किया जाता है। प्राइमरी शाला में विद्यार्थियों की संख्या ७५ होनी आवश्यकता है। कक्षा ५ वीं में संख्या १० होनी चाहिए तथा कक्षा ६ में १५ होने की आशा होनी चाहिए।

(२) १० मील की दूरी में कोई मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल नहीं होना चाहिये।

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

(३) जनता द्वारा उपयुक्त भवन मिलना चाहिये।

(४) अगर यह तहसील हैडक्वार्टर है और अलग कोई कन्या माध्यमिक पाठशाला नहीं है तो उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

(ख) १२४ छात्राएं।

(ग) ४४ मील।

(घ) चूंकि माध्यमिक शाला खोलने के नियमों की पूर्ति नहीं होती, इस कारण सरकार असमर्थ है।

प्रश्न संख्या ६२१

जनवरी, १९५६ के पश्चात् सदर व गिरदावर कानूनगो से बनाये गये नायब-तहसीलदार

श्री अंगदराम—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) १ जनवरी, १९५६ के बाद किन किन सदर कानूनगोओं और गिरदावर कानूनगोओं को नायब-तहसीलदार बनाया गया?

(ख) ऐसे कौन कौन सदर कानूनगो और गिरदावर कानूनगो हैं जिन्हें सीनियर होते हुए भी नायब-तहसीलदारों में नहीं लिया गया? इसका क्या कारण है?

(ग) जिन जिन सदर कानूनगो और गिरदावर कानूनगो को नायब-तहसीलदार बनाया गया उनमें से पास शुदा कितने हैं और बेपास शुदा कितने हैं?

(घ) गैर पास शुदा गिरदावर कानूनगो को नायब तहसीलदार की पोस्ट देने के क्या कारण हैं जब कि पास शुदा सीनियर व्यक्ति मौजूद थे?

(ङ) क्या ऐसे व्यक्तियों का भी प्रमोशन दिया गया है कि जिनकी सर्विस सीट में यह रिमार्क लगा हुआ है कि इनको आगे कोई तरक्की न दी जावे?

(च) इस चुनाव के लिये क्या कोई बोर्ड नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो उसमें कौन कौन व्यक्ति थे?

Page No 39

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—(क) १ जनवरी, सन् १९५६ के बाद उदयपुर व कोटा डिविजनों में किसी भी सदर कानूनगो या गिरदावर कानूनगो को नायब तहसीलदार नहीं बनाया गया। जोधपुर डिवीजन में श्री अजयराज सदर कानूनगो सिरोही व सर्व श्री मनपतराज, मोहनलाल व आसूलाल कार्यवाहक सदर कानूनगो, बाड़मेर, जेसलमेर व पाली का नायब तहसीलदार बनाया गया। बीकानेर डिविजन में निम्न-लिखित १५ सदर कानूनगो व गिरदावर कानूनगोयान को कार्यवाहक नायब तहसीलदार बनाया गया।

(१) श्री गनपतिलाल, सदर कानूनगो, बीकानेर।
(२) श्री हरिश्चन्द्र, सदर कानूनगो, चुरू।
(३) श्री भगवानसहाय, सदर कानूनगो, गंगानगर।
(४) श्री लालचंद नायब कानूनगो, जिला गंगानगर।
(५) श्री सूरजमल गिरदावर कानूनगो, सूजानगढ़।
(६) श्री रिखबचंद, गिरदावर कानूनगो, सरदार शहर।
(७) श्री रामचंद्र, गिरदावर कानूनगो, बीकानेर।
(८) श्री कल्यानसिंह गिरदावर कानूनगो बीकानेर।
(९) श्री बेनीप्रसाद, गिरदावर कानूनगो, चुरू।
(१०) श्री जयचंद्र प्रसाद, गिरदावर कानूनगो चुरू।
(११) श्री हमीद खां, गिरदावर कानूनगो, तारानगर।
(१२) श्री सुजानसिंह, गिरदावर कानूनगो, नोहर।
(१३) श्री उमराव खां, गिरदावर कानूनगो, तारानगर।
(१४) श्री नजर मोहम्मद, गिरदावर कानूनगो, लूनकरनसर।
(१५) श्री हेमाराम, गिरदावर कानूनगो, राजगढ़।

इसी तरह जयपुर डिविजन में निम्नलिखित १० गिरदावर कानूनगोयान को कार्यवाहक तहसीलदार बनाया गया?

(१) श्री मदनमोहनलाल, गिरदावर, सवाई माधोपुर।
(२) श्री सत्येंद्रनाथ, गिरदावर, रूपवास।
(३) श्री श्रीचंद, गिरदावर, राजाखेडा।
(४) श्री शंभूनाथ, गिरदावर, भेन्डावर।
(५) श्री मूलचंद, गिरदावर, पहाडी।
(६) श्री रामजीलाल, गिरदावर, मंडावर।

[श्री सम्पतराम]

(७) श्री रामस्वरूप, गिरदावर, बहरोड़ ।

(८) श्री बद्रीप्रसाद वल्द हरलाल, गिरदावर, राजगढ़ ।

(९) श्री घीसीसिंह, गिरदावर, भरतपुर ।

(१०) श्री बद्रीप्रसाद वल्द विष्णुलाल, गिरदावर कानूनगो, थाना गाजी ।

(ख) जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर डिविजन में कोई नहीं । जयपुर डिविजन में आयुक्त कार्यालय से यह नियुक्तियां वरिष्टता एवं योग्यता के आधार पर प्रोविजनल की गई हैं और इन लिस्टों का मामला इस समय राजस्व मंडल के विचाराधीन है ।

(ग) जोधपुर व बीकानेर डिविजन के सब पास शुदा हैं । जयपुर डिविजन में दस में तीन गिरदावरी का इम्तिहान पास शुदा हैं व बाकी सात पटवार का इम्तिहान पास हैं व मुस्तकिल गिरदावर हैं ।

(घ) चूंकि सब पास शुदा लिये गये हैं इसलिए वह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) इन सिलेक्शन के लिये न तो किसी बोर्ड की नियुक्ति की आवश्यकता है और न ही कोई बोर्ड की नियुक्ति की जाने की आवश्यकता महसूस हुई ।

श्री अंगदराम—यह लिस्ट विचारार्थ क्यों रखी गई है जब कि नियुक्तियां हो गई हैं ?

श्री सम्पतराम—यह तो सिनियोरिटी लिस्ट है । इसके सम्बन्ध में अगर किसी ने कोई रिप्रेजेन्टेशन दिया होगा तो उस पर विचार किया गया होगा, राजस्व मंडल द्वारा आपत्तियां हों इसलिए फाइनल नहीं की गई थी ।

श्री घासीराम—क्या अलवर जिले में किसी व्यक्ति को नायब कानूनगो बनाया और फिर उसको वापिस रिवर्ट कर दिया गया ?

श्री सम्पतराम—हां, एक-दो को रिवर्ट किया गया ।

श्री घासीराम—क्या जुनियर को तो रखा गया है और जो सीनियर था उसको रिवर्ट कर दिया गया है ?

श्री सम्पतराम—ऐसी बात नहीं है । कमिश्नर ने सीनियोरिटी और योग्यता के आधार पर किया था । उसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो रिप्रेजेन्टेशन किया जा सकता है ।

श्री घासीराम—क्या जूनियर को नायब तहसीलदार रखा गया और सिनियर को रिवर्ट कर दिया गया ?

श्री सम्पतराम—आप अपने मेहरबानी नाम बतावेंगे तो उसकी जांच कराई जा सकती है।

श्री घासीराम—श्री बद्रीप्रसाद जिनका आपने नाम लिया था क्या वे जूनियर नहीं थे ?

श्री सम्पतराम—इसके बारे में जांच कराके इतला दी जा सकती है।

श्री प्रभुदयाल—शिकायत की वजह से रिवर्ट किया गया या और किसी वजह से ?

श्री सम्पतराम—शिकायत का तो प्रश्न पैदा नहीं होता है। किसी ने उनके विरुद्ध रिप्रेजेन्टेशन किया होगा और राजस्व मंडल के नियमों के अन्तर्गत देखकर कर दिया होगा।

श्री प्रभुदयाल—क्या जिनको रिवर्ट किया गया उन्होंने कोई रिप्रेजेन्टेशन किया या नहीं ?

श्री संपतराम—किया होगा यह अलग से प्रश्न है।

श्री श्रीदास गोयल—सीनियोरिटी और योग्यता के आधार पर तरक्की दी गई तो योग्यता का क्या आधार उसमें रखा जाता है ? क्या सर्विस बुक देखते हैं या और कोई बातें देखते हैं ?

श्री संपतराम—हर एक के बारे में प्रोमोशन देने से पहले कलेक्टर से रिपोर्ट ली जाती है और उनकी योग्यता, सीनियोरिटी वगैरह को देख कर राजस्व मंडल तय करता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या कलेक्टर ने सीनीयोरिटी के आधार पर ही रिपोर्ट कर दी ?

श्री सम्पतराम—केवल सीनियोरिटी का ही प्रश्न नहीं रहता है।

श्री श्रीदास गोयल—योग्यता का आधार क्या है ? कलेक्टर से दरियाफ्त किया गया तो क्या कलेक्टर ने काम संतोष-पूर्वक होने व योग्यता के सम्बन्ध में लिख दिया ?

श्री सम्पतराम—हां, दिया था।

श्री घासीराम—क्या बद्रीप्रसाद, थाना गाजी वाले को रिवर्ट कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—कहा था कि जांच करावेंगे।

Page No 42

श्री सम्पतराम—यह मेरी जानकारी में नहीं था, अब इसकी जांच कराई जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न और। जिन बद्रीप्रसाद का नाम लिया गया तो उनको क्रमशः सिनियोरिटी से ठीक मानते हुए नायब तहसीलदार बनाया।

श्री सम्पतराम—मैंने अर्ज किया था कि फाइनल सीनोयोरिटी लिस्ट नहीं बन पाई है जो कि राजस्व मंडल के विचाराधीन है। जिनको प्रोमोशन दिया गया और कोई हार्डहिट हुआ होगा तो उसने रिप्रेजेन्ट किया होगा और राजस्व मंडल ने उचित समझ कर निर्णय किया होगा।

श्री घासीराम—क्या सिनियोरिटी लिस्ट मौजूद नहीं है?

श्री सम्पतराम—सेटलमेंट विभाग से कुछ नायब तहसीलदार आये उनको एब्ज़ोर्ब करना था। इसलिये कुछ जूनियर लोगों को revert करना पड़ा।

श्री श्रीदास गोयल—इस लिस्ट को सरकार कब तक कम्प्लीट करा देगी?

श्री सम्पतराम—कौन सी?

श्री श्रीदास गोयल—यह जो राजस्व मंडल के पास विचाराधीन है रद्दोबदली के लिए उस लिस्ट को?

श्री सम्पतराम—'जल्दी' ही करा देगी।

श्री श्रीदास गोयल—'जल्दी' से क्या मतलब है? महीना दो महीना या और!

श्री सम्पतराम—'जल्दी' से मतलब जल्दी ही समझिये, राजस्थान बहुत लम्बा चौडा है।

श्री घासीराम—क्या ग्रेजुएट्स को इसमें लिया गया है?

श्री संपतराम—मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता हूं। राजस्व मंडल ने जो कुछ उचित समझा वह किया यह मैंने आपको पहले ही निवेदन कर दिया था। आप कोई यदि स्पेसिफिक उदाहरण देंगे तो उसकी जांच करेंगे और निश्चित कार्यवाही की जायगी।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री छीतरलाल, वि० सं० ३०, ने दिनांक २४ अप्रेल, १९५९ से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन को अनुमति है कि उनको आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली के नियमों के प्रारूप पर विचार

श्री अध्यक्ष—श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधी मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम के प्रारूप को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरु सिंह ।

श्री भैंरू सिंह(१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदन को दुबारा जांच के लिए उसी प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ।

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही के लिए किसी भी नियमावली पर हम विचार करें उससे पहले हमें इस बात का प्रबन्ध करना चाहिए कि इस विधान सभा के सभी माननीय सदस्य जिस नियमावली को हम विचारार्थ सदनमें ला रहे हैं उस नियमावली को अच्छी तरह से पढ़ कर, मनन करके उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें लेकिन न मालूम क्यों, यह मेरे अब तक समझ में नहीं आया कि सदन के कई माननीय सदस्यों को इस अधिकार से वंचित रखा जाता है। अधिकार को यदि टेक्निकल टर्म में यह कहूँ कि मैं मानता हूँ कि ऐसा उत्तर मिलेगा कि हमने अधिकारों से वंचित रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया है, लेकिन यदि मैं यह निवेदन करूं कि इस सदन के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी भाषा में किसी भी कानून को समझने की योग्यता नहीं रखते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । उन सदस्यों के लिए आवश्यक है कि विधान सभा में पेश होने वाले कानून को वे हिन्दी में पढ़ कर उनको जानने की चेष्टा करें । जहां तक लेजिस्लेटिव बिजेनेस का प्रश्न है, कानून बनाने का प्रश्न है या सदन में और कोई वादविवाद करने का प्रश्न है, यह माना भी जा सकता है कि सरकार के समक्ष कोई विशेष प्रकार की अड़चन आ सकती है जिन अड़चनों के कारण हमें कोई कानून में यदि कोई संशोधन करना है तो उसके लिए कोई विधेयक लाते हैं, यदि नये अधिनियम रखने के लिए प्रस्ताव करते हैं तो उनमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन इस नियमा-

[श्री भैरूं सिंह]

वली के सम्बन्ध में मैं विशेष प्रकार से निवेदन करूंगा कि आज चाहे सदन के सदस्य एतराज न करें लेकिन अक्सर अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार नियम बने रहने के कारण एक विशेष प्रकार की कठिनाई रहती है। मैं ऐसा कहना ठीक नहीं समझूंगा कि सदन के कई सदस्यों को नियमावली की जानकारी नहीं होने के कारण वे सदन की कार्यवाही में विशेष रुचि नहीं ले सकते कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं, किस प्रकार बहस में भाग लिया जाता है, किस प्रकार से प्रिविलेज मोशन और एडजोर्नमेन्ट मोशन्स पेश किये जाते हैं और किस प्रकार से दूसरी चीजें सदन में प्रस्तुत की जाती हैं। इन नियमों का उनको पूर्णतया ज्ञान नहीं होने के कारण कई सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। कहने को मंत्रीजी अवश्य कहेंगे कि हम इन नियमों का हिन्दी ट्रान्सलेशन करवा लेंगे लेकिन ओरिजिनली जब अंग्रेजी में कानून प्रस्तुत होता है और उसके बाद उसका जो ट्रान्सलेशन हमारे सामने आता है उसमें मूल भावनाओं का अभाव सा रहता है। ट्रान्सलेशनमें जो शब्द लाये जाते हैं उनसे मूल भावना अंकित नहीं होती और खाली एक दृष्टिकोण रहता है कि इसका ट्रान्सलेशन किया जाय। इस ट्रान्सलेशन से तो अंग्रेजी भाषा ही सरल होती है, यदि ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम ट्रान्सलेशन को लीगल मान लें लेकिन जो हिन्दी के शब्द काम में लाये जाते हैं वे यदि लोगों के समझ में आ जांय तो यह ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। एक कारण तो सिलेक्ट कमेटी में इसे दुबारा भेजने का यह है।

दूसरा कारण यह है कि अभी तीन दिन पहले हमारे पास कई अमेन्डमेन्ट्स की सूचियें आई हैं। मैं किसी माननीय मेम्बर के अधिकार के बारे में जिक्र नहीं करता, लेकिन माननीय सदस्यों ने ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे क्लॉज १ से लेकर अंतिम क्लॉज तक हर इम्पोर्टेन्ट क्लाज पर संशोधन हैं। ये सारे संशोधन सरकार के स्तर पर उक्त माननीय सदस्य के द्वारा प्रस्तुत कराये गये हैं। सरकारी प्रवक्ता के रुप में वे माननीय सदस्य इन संशोधनों की पैरवी करेंगे। मैं यह मानकर चलता हूं कि जिन संशोधनों को वे प्रस्तुत करेंगे वे यदि स्वीकार कर लिये गये तो आज रूल्स ओफ बिजनेस पहले के रूल्स ओफ बिजनेस से किसी भी तरह से अच्छे नहीं होंगे। सिलेक्ट कमेटी के पास उन्हें भेजा गया था और सिलेक्ट कमेटी ने अच्छी तरह से इनको कंसीडर करके प्रतिवेदन पेश किया। अब यदि उसमें विशाल पैमाने पर संशोधन लाकर उसको एडजस्ट करने की चेष्टा करते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मुझे भय है कि कानून बनाते समय जिस तरह से बहुमत का उपयोग होता है उसी तरह का उपयोग विधान सभा के नियम बनाते समय होगा और विधान सभा के सामने आये दिन कई प्रकार की अड़चनें आयेंगीं। इसलिये इन संशोधनों को दृष्टि गत रखते हुए मैं यह अर्ज करूं कि यदि इस सारे मसले को दुबारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय और सिलेक्ट कमेटी उस पर विचार करे तो पहले जिस तरह से नतीजे पर पहुँची थी उसी तरह से अब भी किसी खास नतीजे पर पहुँच सकती है।

तीसरी बात संशोधन के बारे में अर्ज करूं कि जहां तक यह प्रतिवेदन हमारे समक्ष आया है, मैंने उसे अच्छी तरह से देखा है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि सदन के माननीय सदस्य

[श्री भैंरू सिंह]

नियमावली के अनुसार किसी प्रकार की विशेष बात का सदन में उल्लेख कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, विशेष बातों के लिये लेजिस्लेटिव बिजनेस में एक तरीका है जिसकी सूचना सदन को दी जाकर सरकार की ओर से की जाने वाली कार्यवाही जानी जा सकती है।

तीसरी बात आती है सरकार की पोलिसीज के मुतल्लिक। यह कहा जा सकता है कि सरकार नीति निर्धारण के लिए अपनी केबिनेट को कंसल्ट करती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि केबिनेट भी सदन के प्रति रेस्पोन्सिबल है। यदि कोई मसला सार्वजनिक हित में एक्सपोज करने लायक नहीं तो मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि उसको एक्सपोज किया जाय, लेकिन जहां केवल ७-८ आदमियों को सारे राजस्थान के भाग्य का निर्माण करने का अधिकार दिया गया है वहां सदन को कोन्फीडेन्स में सार्वजनिक हित के कामों के लिए नहीं लेंगे तो यह उनके साथ अन्याय होगा। हमारे सामने पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, हमारे सामने स्टेट्स रिओर्गिनिजेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है.......

श्री अध्यक्ष—To the point please.

श्री भैंरूसिंह—बिल्कुल संबंधित बातें कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष—But then every thing under the sun will be covered.

श्री भैंरू सिंह—मुझे सुन लीजिये, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूं कि पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पंचवर्षीय योजना, एस. आर. सी. रिपोर्ट, फाइनेन्स कमीशन आदि के प्रश्न राजस्थान सरकार के सामने उपस्थित होते हैं, उनके बारे में सरकार की तरफ से प्रतिवेदन उपस्थित किये जाते हैं तो उनके बारे में सदन की भावनाएं पहले से ही जान लेना चाहिये। यदि राजस्थान सरकार एस. आर. सी. बिल को लेकर प्रतिवेदन पेश करती है और राजस्थान सरकार विधान सभा में प्रतिवेदन पेश करने के बाद में विचार होता है तो सरकार उसके बारे में पहले से ही कमिटमेन्ट कर चुकी होती है, उसमें वह किसी भी प्रकार से हेर फेर नहीं कर सकती तो हम कमिटमेंट करें उसके पहले यह आवश्यक कि सदन को विश्वास में लें और सदन को सारी बातों की जानकारी करावें और उसके बाद रिपोर्ट किसी बड़े ओफिसर या कमीशन के सामने पेश करने की आवश्यकता हो तो पेश करें; तो उचित होगा।

जहां तक एडजोर्नमेन्ट मोशन का प्रश्न है, आज तक एडजोर्नमेंट मोशन स्वीकार होते कम देखे गए हैं। केवल इस सदन में ही नहीं बल्कि सारे भारत की विधान सभाओं में कहीं एक-दो स्वीकार होते हैं, इससे अधिक स्वीकार हुए हों। ऐसा सुनने में नहीं आया। इसमें एक सुविधा यह दी गई है कि अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोरटेन्स का कोई मामला होता है तो उसे सदन के सामने रख कर संबंधित मंत्री महोदय से स्टेटमेन्ट मांगा जा सकता है। मेरा निवेदन यह है कि जितने इस प्रकार की जानकारी चाही है उसको अधिकार नहीं दिया गया

[श्री भैरूंसिंह]

है कि वह पहले किसी प्रकार का स्टेटमेन्ट दे सके, कमिटमेन्ट कर सके लेकिन सरकार को अधिकार दिया है कि सरकार अपनी ओर से स्टेटमेन्ट देती है लेकिन जिसने जानकारी चाही है उसके विचार पूरे जाने बगैर सरकार अगर स्टेटमेन्ट देती है तो वह अरजेंट पब्लिक इम्पोरटेन्स का मामला होने के कारण शायद उस बात की जानकारी नहीं देकर उससे संबन्धित दूसरी बात का स्टेटमेन्ट दे दे तो उससे पर्पज सर्व नहीं होता और सदन में बिना महत्व की बहस शुरू हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां एडजोर्नमेंट मोशन लाने की छूट नहीं है वहां स्टेटमेंट मांगनेवाले को अपने विचार व्यक्त करने की तो छूट होनी चाहिये। जो सुविधा इसमें रखी गई है वह अपर्याप्त है।

दूसरा प्रश्न आता है प्रिविलेज मोशन के बारे में। प्रिविलेज मोशन मूव करने की सुविधा दी है लेकिन उसको स्वीकार करने न करने का जो डिस्क्रीशन अध्यक्ष महोदय के ऊपर रखा है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हम यह आशा नहीं करते कि अध्यक्ष महोदय कोई निर्णय करते हैं तो वह पक्षपात पूर्ण होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि अध्यक्ष महोदय अपने अधिकार का दुरूपयोग करेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में हर चीज संभव है। कोई अध्यक्ष इस प्रकार का वतीरा अख्त्यार कर ले जिससे प्रिविलेज मोशन मूव करना मुश्किल हो जाय; वे सोचेंगे कि यह ठीक है या नहीं, यह पब्लिक इम्पोरटेंस का है या नहीं। जहां तक कार्य संचालन का प्रश्न है वहां विशेषाधिकारी देने चाहिए लेकिन संचालन से आगे बढ़कर महत्वपूर्ण मामलों में डिस्क्रीशन देने का अधिकार आता है तो हमें यह सोचना होगा किकहां तक इस प्रकार के अधिकार देने वाजिब है और कहां तक वाजिब नहीं है। यह सारे सदन के इज्जत का प्रश्न है। सदस्यों के इज्जत के प्रश्न को लेकर डिस्क्रीशनरी पावर्स माननीय अध्यक्ष के हाथ में देते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि यह अल्पमत वालों के लिये बुरा तो नहीं होगा। यदि मैजोरिटी ने प्रिविलेज मोशन मूव किया और सरकार चाहती है कि यह आना चाहिये और किसी तरह से वह अध्यक्ष महोदय को कन्विन्स करले, प्रिविलेज मोशन चाहे ऑर्डर में है या नहीं, इसको चिन्ता नहीं, पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है या नहीं, इसकी भी चिन्ता नहीं यदि इस तरह का प्रिविलेज मोशन आता है और यदि अध्यक्ष महोदय बिना सदन की सेन्स को लिये हुए अपनी डिस्क्रीशनरी पॉवर से उसके लिये इजाजत देते हैं तो जहां तक अल्पमत का प्रश्न है यह उनके लिये नुक्सानकारी हो सकता है।

मैं यह कहूँ कि माननीय अध्यक्ष, अल्पमत के कस्टोडियन के नाते इस सदन में काम करते हैं पर बदकिस्मती से ऐसा हो जाता है कि कस्टोडियन के स्थान पर अध्यक्ष महोदय से ऐसे भी काम हो जाते हैं जिनसे कस्टोडियन के स्थान पर अल्पमत को कुचलने जैसी बातें हो सकती हैं। ऐसी सूरत में कोई भी डिस्क्रिशन अध्यक्ष महोदय ऐप्लाई करें तो सदन से उस निर्णय के ऊपर मत ले लें, तो यह एक प्रकार की उचित चीज होगी। मैं यह मान कर चलता हूँ कि इन डिस्क्रिशनरी पावर से लाभ की बजाय ज्यादा हानि हो सकती है, इसलिये डिस्क्रिशनरी पॉवर अध्यक्ष महोदय को देने की जो व्यवस्था की गई है उस पर विचार करना चाहिये।

इसी प्रकार की व्यवस्था बजट की डिबेट के बारे में भी की गई है। बजट की बहस कितने समय तक के लिये होगी, किस प्रकार होगी, यह लीडर ऑफ दी हाउस को कन्सल्ट करके

[श्री भैरूंसिंह]

समय निर्धारित किया जायगा। इसमें कई दफा हमारे सामने ऐसे अनुभव आये हैं कि सरकार जानबूझ कर बजट देर में पेश करती है और फिर सरकार कहती है कि अमुक समय तक एप्रोप्रियेशन बिल पास हो जाना चाहिए। इस तरह १०, १२ दिन कुल मिलते हैं, तीन दिन डिस्कशन करते हैं, कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, फिर माननीय सदस्यों के कट मोशन्स आते हैं, इस सेशन में तो कट मोशन्स पर विचार करने का काफी मौका मिला, पिछले तीन सेशन्स में इस प्रकार का मौका नहीं मिला था, इस सेशन में काफी मौका मिला पर इसके बावजूद भी सिर्फ ६ डिमान्ड्स पर वाद-विवाद हुआ, बाकी पर गिलोटिन एप्लाई कर दिया गया। यदि हम यह मान कर चलें कि सदन के सभी माननीय सदस्य सरकार की आलोचना करें और कम से कम हर एक को पांच-पांच मिनट का भी समय दें तो इस हिसाब से भी जो तीन दिन का समय रखा गया है वह नाकाफी होगा और अगर कट मोशन्स के बारे में जरा भी विचार करें तो जिस प्रकार कि अब की बार माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स देकर सरकार की आलोचना करने का तरीका अपनाया था वह तरीका अगर अपनाया जाय तो सिर्फ एक डिमान्ड पर ही विचार कर सकेंगे और बाकी की सब डिमान्ड्स पर गिलोटिन एप्लाई करना पड़ेगा।

इसलिये इन नियमों में साफ तौर से यह उल्लेख करें कि बजट पर जनरल वाद विवाद करने के लिये इतना समय होगा और कट मोशन्स के लिये इतना समय होगा। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि माननीय सोहनलाल जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह इस भावना के प्रतिकूल है। इस पर सदन में वाद विवाद नहीं किया जाय, नहीं तो चार साल में आज तक जितनी चीजें हुई हैं उनका उल्लेख आयेगा। इसलिये सिलेक्ट कमेटी में इन्हीं अमेन्डमेंट्स के रूप में विचार कर लेगी तो अच्छा रहेगा।

इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह एवं विधि मन्त्री) माननीय भैरूंसिंह जी ने यह प्रस्ताव रखा कि बिजनेस रूल्स को दुबारा उसी सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय जिसके पास से यह आये हैं। मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं। उन्होंने दो-तीन कारण बताये। एक तो यह बताया कि इस पर बहुत से अमेंडमेंट आये हैं और कांग्रेस के सदस्य हैं, उनकी तरफ से आये हैं, सरकारी पक्ष के सदस्य हैं उनकी तरफ से आये हैं, इसलिये वापिस उसी सेलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिये। मैं कहता हूं यह दलील कोई इस बात की नहीं, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आती है तो हर एक सदस्य को अधिकार है कि संशोधन पेश करे और सदन उस पर विचार करे; स्वीकार करे या अस्वीकार करे यह सदन की मर्जी है। पर हर एक सदस्य को संशोधन रखने का अधिकार है। तो ऐसी सूरत में यह कहना कि अधिक संशोधन लाते हैं इसलिये इसे वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय वह दलील वजन नहीं रखती।

दूसरा कारण उन्होंने यह बताया कि एड्जोर्नमेंट मोशन, बजट पर डिबेट आदि के बारे में जो संशोधन आये हैं उनमें बहुत फर्क है, जो उनके विचार हैं उनके अनुकूल नहीं।

[श्री रामकिशोर व्यास]

जो अधिकार अध्यक्ष महोदय को दिये गये हैं, वे उनको स्वीकार नहीं हैं पर यह तो उस वक्त विचार करने की बात है जिस समय इस पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार किया जाय। अगर उस क्लॉज से माननीय सदस्य सहमत नहीं हैं तो संशोधन रखें। पर इस वक्त यह विचार करने की बात नहीं है।

और कोई माकूल दलील दी नहीं। यह बिजनेस रूल्स करीब दो साल के बाद सदन के सामने आये हैं, दो साल का अर्सा सिलेक्ट कमेटी में लगा, दुबारा सिलेक्ट कमेटी में जायंगे तो मुझे तो अन्देशा है कि इस सदन में पास हो सकेंगे कि नहीं। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इन पर यहीं पर विचार करें, संशोधन लायें उन पर विचार करें वर्ना यह संभव नहीं होगा कि आप इसे पास कर सकें। और जैसे सदन अब तक बिना रूल्स रहा है वैसा ही रहेगा। इसलिये इस पर इस सदन में ही विचार करना आवश्यक है।

दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैंरूसिंह से) कुछ और कहेंगे ?

हां, तो प्रेस करते हैं, इसको don't press it.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैंरूसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली के प्रारूप को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

इसको विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

शोर्ट टाइटल एन्ड डेफिनेशन को मैं छोड़ देता हूँ। यदि कोई संशोधन इसमें आप करना चाहते हैं तो कर लीजिये। लेजिस्लेटिव एसेम्बली की जगह विधान सभा आदि।

प्रश्न यह है कि रूल दो को विचारार्थ लिया जावे।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि नियम २ के उपनियम (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच), (आई) स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

नियम २ के उप नियम (बी) से (आई) तक स्वीकृत हुए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम २ के उपनियम (जे), (के), (एल), (एम), (एन), (ओ) व (पी) स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

नियम २ के उपनियम (जे) से (पी) तक स्वीकार किये गये।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, डेफिनेशन के क्लॉज के अन्दर एक बात रह गई है जो बहुत जरूरी है और इसीलिये मैंने अपना अमेन्डमेंट पेश किया है कि "Precincts of the Assembly." को अन्त में जोड़ा जाये। इसके नहीं होने से कभी कभी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आदि के मामलों में काफी झगड़ा पड़ सकता है, इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि "प्रिसिन्क्ट्स ऑफ दी एसेम्बली" में चेम्बर, लोबीज़, गेलेरीज़ आदि सभी जगह, जिसके लिए अध्यक्ष समय समय पर स्पेसीफाई करें, वे हों। इसके लिये इसमें अध्यक्ष को डिस्क्रीशन दिया गया है। इसको प्रिसिन्क्ट्स ऑफ दी एसेम्बली में इन्क्ल्यूड किया है। इससे ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाता है और लोगों को मालूम हो जाता है कि प्रिसिन्क्ट्स ऑफ दी एसेम्बली किसे कहते हैं। मैं समझता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैंरू सिंह को सम्बोधित करते हुये) यह तो इन्फोर्मल है।

प्रश्न यह है कि खंड २ '(आई)' के बाद श्री सोहनलालजी भटनागर ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री भैंरू सिंह को सम्बोधित करते हुये) (के) के बारे में आप कुछ रख रहे हैं?

श्री भैरूंसिंह—मैं रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—नियम ३, श्री सोहनलाल।

श्री सोहनलाल भटनागर—अध्यक्ष महोदय, नियम ३ पर मेरा संशोधन इस प्रकार हैं कि (२) मे "फोर्टीन" फोर दी वर्ड्स "ट्वेन्टी वन" सब्स्टीट्यूट किया जावे। यह रूल जैसा कि सिलेक्ट कमेटी से आया है उसमें लिखा है:—

"The summons under sub-rule (1) shall ordinarily be issued twenty-one days before the date so fixed."

मैंने एसेम्बली को कॉल करने के लिये सम्मन्स इस्यू करने के लिए १४ दिन का समय रखा है और मैं समझता हूँ कि वह काफी है। इस रूल में २१ दिन का समय रखा है जो बहुत लम्बा समय है। कभी कभी ऐसा होता है कि एसेम्बली को बहुत जरूरी बुलाना होता है और बहुत जल्दी बुलाना होता है, इसलिये इसमें दिक्कत आती है। १४ दिन के समय में कोई दिक्कत और गड़बड़ी नहीं है। इसलिये मैंने १४ दिन का समय रखा है और मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है। २१ दिन का समय बहुत लम्बा होगा इसलिये २१ दिन के समय के बजाय १४ दिन कर दिया जावे।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष, जो अभी तक राजस्थान की विधान सभा की नियमावली थी उसके अन्दर पूरे १५ दिन पहले विधान सभा का अधिवेशन बुलाये जाने का नोटिस दिया जाता था। इस बारे में भी कई बार सदन में माननीय सदस्यों से इस बात की जानकारी मिली कि यह समय १५ दिन का बिल्कुल अपर्याप्त है। लेकिन इस आशा के अन्दर कि जब नई नियमावली बनेगी उस समय वह अवधि बढ़ाकर ज्यादा कर दी जावेगी और उचित समय मुकर्रर कर दिया जावेगा और हम उस नई नियमावली की प्रतीक्षा में रहे। आज नई नियमावली भी तैयार हो गई और हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुई है। इसमें देखा कि १५ दिन का समय जो था उसको बढ़ाकर २१ दिन का समय कर दिया गया है। जैसा इसमें उल्लेख है—

"The summons under sub-rule (1) shall ordinarily be issued twenty-one days before the date so fixed."

और अब एक संशोधन श्री भटनागरजी की तरफ से आया कि १५ दिन की जरूरत नहीं और न २१ दिन की जरूरत है। इसके दोनों की जरूरत नहीं और इसके स्थान पर आपने १४ दिन कर दिये, इसके लिये आपने दलील क्या दी है कि एमरजेन्सी के समय २१ दिन बहुत ज्यादा होते हैं और वह एक लम्बा समय होता है। मैं समझता हूँ कि यह कोई महत्वपूर्ण दलील नहीं है। आपका यह कहना कि कभी कभी एमरजेन्सी में बुलाई जावे तो २१ दिन का समय निर्धारित रूल में कर दिया जावेगा तो इससे अड़चन पैदा हो सकती है, मगर मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बताऊं कि इसमें प्रोविजो रखा गया है जिसमें लिखा है :

[श्री भैरूंसिंह]

"Provided that if a session is called at short notice the Secretary Shall intimate the time and place for the meeting of the Assembly to members in such other manner as the Speaker may direct."

यदि पहले किसी तरह से एमरजेन्सी मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़े तो वह बुलाई जा सकती है और सेक्रेट्री हमको सूचना दे सकता है और मैं समझता हूं कि जो प्रोविजो रखा गया है वह एमरजेन्सी के लिये रखा गया है; इसलिये इस एमरजेन्सी की आड़ में २१ दिन के बजाय १४ दिन का समय किया जाना कोई वक्त नहीं रखता।

माननीय अध्यक्ष, आगे चल कर हम प्रश्नों को देखेंगे तो मालूम होगा कि तारांकित प्रश्न के बारे में १५ दिन की अवधि रखी गई है। उसके लिये १५ दिन पहले नोटिस देना पड़ता है और इस पर भी कभी वह प्रश्न २१ दिन के बाद आता है तो कभी २५ दिन के बाद आता है क्योंकि कभी कभी मिनिस्टरों की टर्न नहीं आती जवाब देने की। इसलिए यह होगा कि १४ दिन पहले सूचना मिलेगी तो एक दिन तो पहले कम पड़ेगा। सूचना मिलने के पहले कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इसके अलावा अगर सारे के सारे सदस्य अपने अपने घरों पर, जहां की डाक भेजी जाती है, मौजूद हों और उनको सूचना मिल जाए तो ठीक है, वर्ना उनको बहुत देर से इत्तिला मिलती है। जब उनको यह इत्तिला मिले कि १४ दिन के बाद एसेम्बली का अधिवेशन है तब वे सारे के सारे प्रश्न विधान सभा में पूछे जाने के लिये भेजते हैं। जब सदस्य को सूचना मिलती है उस दिन वह सारे कागजों को इकट्ठा करके फायल तैयार करता है और एमेन्डमेंट्स और प्रश्न बनाता है, और सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए तैयार होता है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि यह संशोधन कि २१ दिन के बजाय १४ दिन का समय कर दिया जावे बिल्कुल अपर्याप्त है। सिलेक्ट कमेटी ने ६ दिन का समय और इसलिये रखा है कि सदन के सदस्यों के पास डाक दो तीन दिन पहले पहुँच जावे। डाक को पहुंचने में भी समय लगता है। तीन दिन सदन से सूचना मिलने में लग जाए और दो तीन-दिन उनको तैयारी करके एसेम्बली में प्रश्न और अपने एमेन्डमेंट सारे के सारे भेजने का समय लग जाए। इस तरह से दोनों तरफ का समय मिला कर ६ दिन का होता है। इसलिये २१ दिन का समय जो सेलेक्ट कमेटी ने रखा है वह सोच-समझ कर रखा है।

लोक सभा में भी माननीय अध्यक्ष, अगर मैं निवेदन करूं मेरे पास रूल्स ऑफ प्रोसीजर नवंबर १९५४ की है, उसमें भी यह मानकर चलते हैं कि उसमें भी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। उसमें लिखा गया है :

"The Secretary shall issue a summons to each member specifying the date and place for a session of the House.

Provided that if a session is called at short notice or emergently an announcement of the date and pleace of the session shall be published in the Gazette and made in the pless and summons may not be issued by the

[श्री भैंरूसिंह]

Secretary to each member separately but each member may be informed by telegram."

इसमें भी प्रोवीजो है।

"provided that if session is called Telegram."

इसमें भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं कि कितने समय पूर्व होना चाहिये, इस बात का उल्लेख नहीं। साधारणतया १४ दिन पहले सूचना दे नोटिफिकेशन द्वारा या किसी प्रकार के नोटिस द्वारा हम सदस्यों को जानकारी दें। लोकसभा के अधिवेशन की सूचना तीन-तीन महिने पहले ही मिल जाती है कि अमुक अमुक तारीख को लोकसभा की बैठक होगी, राजसभा की अमुक अमुक तारीख को बैठक होगी। अब तक का जो लोक सभा का प्रोसीजर देखने में आया है उससे तो यह पता चलता है, हाउस के एडजोर्न होने के साथ साथ आगामी लोकसभा का अधिवेशन कब होगा, यह भी पता चल जाता है, उसके लिये तिथि निश्चित सी हो जाती है, इसी प्रकार राज्य सभा के बारे में भी। लेकिन बदकिस्मती है कि राजस्थान में ऐसा नहीं होता, सेशन कब एडजोर्न होगा, आयन्दा कब बुलाया जायगा इस बात का पता यहां नहीं लगता। अचानक एडजोर्न हो जाता है और १५, २० रोज बाद इत्तला मिलती है कि सेशन को प्रोरोग कर दिया गया। हम लोग सदन में ठीक प्रकार से कन्ट्रीब्यूशन दे सकें, ठीक प्रकार से सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें, उसके लिये तैयारी कर सकें तो इसके लिये हमें एक विशेष प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिये। वह सुविधा यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही शुरू हो, इसकी सूचना हमें २१ दिन पहले मिल जानी चाहिये कि अमुक तारीख को सदन की बैठक होगी। इसके बजाय जो संशोधन २१ दिन की जगह १४ दिन करने का माननीय श्री भटनागर ने रखा है उस पर वाद-विवाद होने के पहले ही वे या तो विदड्रा कर लें; अगर वे नहीं लेते है तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनके संशोधन का घोर विरोध करें। खास तौर से किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को तो इससे आफत हो जायगी। वे कभी भी इतने प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे, इसलिये प्रश्नों को प्रोटेक्शन देने के लिये २१ दिन की अवधि रखी जाय तो ज्यादा उचित है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, सराड़ा-सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है मैं उसका घोर विरोध करता हूं। जो मूलधारा है वह इस तरह की धारा है कि जिसके माफिक सदन की मीटिंग किसी आवश्यक काम के लिये बुलाई जाय तो कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। जो इसमें शब्द हैं वे बहुत साफ हैं :

"The summons under sub-rule [1] shall ordinarily be issued 21 days before the date so fixed."

और इसके आगे यह व्यवस्था कर दी गई है कि २१ दिन का कम से कम नोटिस दिया जाय, उसके लिये किस तरह से सूचना देनी चाहिये; इसके बारे में सेक्रेटरी व्यवस्था करेंगे। मैं यह नहीं

[redacted] Page No 53

[श्री चांदमल मेहता]

समझा, माननीय सदस्य का १४ दिन का समय रखने का क्या मकसद है ? थोड़ा दिमाग लगाने के बाद यह बात मेरे समझ में आई कि मंत्रीगण प्रश्नों के जवाब से घबराने लग गये हैं। आमतौर पर जिस ढंग से सरकार चलती है और जिस ढंग से प्रशासनिक काम होते हैं उस ढंग को ठीक करने की दृष्टि से समय समय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के पूछने का मतलब यह होता है कि जो कुछ शासन व्यवस्था में गड़बड़ियां हो रही हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें और हम उम्मीद करें कि हमारे प्रश्नों के पूछने से वे इस बात को ठीक करें। लेकिन अबतक का अनुभव यह रहा है कि उस व्यवस्था को ठीक करने की बात तो दूर, यहां गलत जवाब भी दे दिये जाते हैं और उसी ढंग से चलना चाहते हैं

श्री अध्यक्ष—That is immaterial. Whatever may be the number of days, the Government can call at very short notice or very long notice.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो समय कम रखा गया है वह इसलिए कि हम प्रश्न पूछ न सकें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों के लिये तो अलग नियम हैं, वह आगे आयगा।

श्री चांदमल मेहता—इससे भी उसका संबन्ध है अध्यक्ष महोदय। इससे यह होगा कि जो प्रश्न हम २१ दिन में भेजते हैं उसके लिये अब १४ दिन का समय मिलेगा अर्थात् ऑर्डिनरी वे में जहां असेम्बली के सेशन को बुलाने का समय २१ दिन है इससे संशोधन से क्या होगा कि १४ दिन में बुलाना पड़ेगा; वैसे स्पीकर को यह पोवर है कि वे ६ और सात दिन की सूचना पर भी बुला सकते हैं। लेकिन जो अवधि १४ दिन की रखने का यह मकसद है कि जो सवालात वगैरह होंगे वे निश्चित तारीख तक भेजे जांय, सवालों के लिये जो समय निर्धारित किया जाता है उसमें यह प्रतिबन्ध रख कर जो सवाल का घंटा चार घंटों में रखा जाता है वह मौका न मिल सके, यही उद्देश्य इस संशोधन से मालूम देता है। प्रश्न पूछे जाने बहुत आवश्यक हैं, चार घंटे में जहां एक घंटा ही प्रश्नों के लिये निर्धारित है उसमें भी सरकार को आपत्ति है, इसीलिये २१ दिन की बजाय १४ दिन का समय रखना चाहती है; अगर जब प्रश्नों का समय निर्धारित है एक घंटे का तो सुविधा भी होनी चाहिये। अगर सुविधा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो प्रश्न करना फिजूल है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि इसकी जो सिलेक्ट कमेटी थी उसमें भी बड़े बड़े महत्व पूर्ण व्यक्ति रहे हैं। उनमें कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। उनके अलावा हमारे हाउस के डिप्टी लीडर भी उस सिलेक्ट कमेटी में थे। इन सब के दिमाग से यह बात तय हो चुकी। श्री टीकाराम जी पालीवाल, जो पहले मुख्य मंत्री रह चुके थे, श्री मोहनलालजी सुखाड़िया जो वर्तमान मुख्य मंत्री है; ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने यह बात तय कर दी है।

श्री अध्यक्ष—Should not drag persons in these discussions.

श्री चांदमल मेहता—इस प्रकार के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने जो सिलेक्ट कमेटी में थे, उनका निर्णय जो हो गया मैं उसके लिये निवेदन करूंगा कि उसको तब्दील करने की आवश्यकता नहीं, इसलिये २१ दिन ही रहने दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही मिनट में अर्ज कर देना चाहता हूं। जब यह ड्राफ्ट रूल्स सिलेक्ट कमेटी में भेजे गये थे उस सिलेक्ट कमेटी में जिम्मेदार मस्तिष्क के लोग थे जो बृहस्पति कहे जा सकते हैं, उन्होंने जो तय करके २१ दिन का समय रखा है वह ठीक है। जो १४ दिन का अमेन्डमेंट दिया गया है उसके लिये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसका स्वागत किया जाय। जो सिलेक्ट कमेटी ने तय किया है वही रहने दिया जाय।

इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा नियमावली है उसके नियम ३१ साफ है, उसमें लिखा है :

"Unless the Speaker otherwise directs, not less than fiften clear days' notice of a question shall be given.'

तो यह बिल्कुल ठीक है, थोड़ी वास्तविकता को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप यह चाहते हैं कि मेम्बर लोग समय पर सवाल कर सकें और वे जनता के हित की सूचना प्राप्त कर सकें, सरकार और जनता के सभी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो समय हमें उचित ढंग से देना चाहिये वह दें। असेम्बली कब स्टार्ट करनी, एक महिने का नोटिस दें, २१ दिन का दें, या १४ दिन का दें, कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसको मेरे माननीय मित्र सलूम्बर से आने वाले जो हैं वे भी पसंद करेंगे। इन शब्दों के साथ मेरा यही निवेदन है कि जो सिलेक्ट कमेटी ने २१ दिन का समय रखा है वही ठीक रहेगा।

राज श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट पेश हुआ है वह उचित मालूम नहीं होता। जो निर्णय सिलेक्ट कमेटी द्वारा लिया गया है वह बहुत सोच-समझ कर लिया गया है और इसके अलावा जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं बतायी जिसके कारण समय में हेर फेर किया जा सके। चार साल के तजुर्बे से पता चलता है कि दरअसल जब सेशन बुलाया जाता है, उसके पहले कुछ समय मेम्बरों को मिलना आवश्यक है ताकि वे तैयारी कर सकें। २१ दिन की अवधि जो मुकर्रर की गई है वह ज्यादा नहीं है। लोकसभा में तो ऐसा तरीका है कि वहां आगामी सेशन कब होगा, यह पहले ही पता चल जाता है। हमारे यहां तो एन वक्त तक पता नहीं चलता। बहुत से ऐसे माननीय सदस्य भी हैं जो घर पर नहीं रहते, बाहर चले जाते हैं समय भी कम मिलता है। इन तमाम बातों को देखकर सिलेक्ट कमेटी ने जो निर्णय लिया है वह बहुत वाजिब है और जो यह अमेन्डमेन्ट आया है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास—इस संशोधन द्वारा १४ दिन का नोटिस देने की बात रक्खी गई है। मैं निवेदन करूं कि अपने यहां जो बिजनेस रूल्स थे उनमें पहले १४ दिन का नोटिस

[redacted] Page No 55

[श्री रामकिशोर व्यास]

मिनिमम दिये जाने की बात जरूर थी पर इसका मतलब यह नहीं कि ज्यादा नहीं दिया जावे। यह तो मिनिमम पीरियड रक्खा है और जो दूसरी धारा सभाएं हैं दिल्ली की, यू. पी. की उनमें भी ऐसा ही है। पार्लियामेन्ट में तो ऐसा है ही नहीं। आम तौर पर ज्यादा ही का नोटिस दिया जाता है। इसलिये यह जो संशोधन आया है उसे स्वीकार किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन **श्री मोहनलाल भटनागर** ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल ३ को, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे

(स्वीकृत)

रूल ३, संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(विराम)

रूल्स ४, ५ और ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ४, ५ व ६ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

नियम ४, ५, और ६ स्वीकार किये गये।

(विराम)

खंड ७

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, वैसे मेरा अमेन्डमेन्ट तो नहीं है। सुझाव के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि इस रूल ७ में "in the presence of the Secretary" को ओमिट कर दें तो ज्यादा ठीक होगा।

[redacted]

श्री अध्यक्ष—All these rules have been copied from the Central Parliament. They have not been drafted afresh.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, प्रोसीजर ले आउट करते हैं उसमें सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है; उसमें जो प्रोसीजर दिया गया है इलेक्शन ऑफ दी स्पीकर का वह कॉम्प्लीकेटेड है। सबसे पहले सब-रूल (१) में यह है कि—

"(1) When owing to a general election or for any other reasons the office of Speaker is vacant or is about to fall vacant, the Rajpramukh shall fix a date for the holding of the election, and the Secretary shall send to every member notice of the date so fixed."

इस सब क्लाज के बजाय मैंने यह रक्खा है कि—

Election of the Speaker shall be held on such date as the Rajpramukh may fix, and the Secretary shall send to every member notice of this date."

तो इस तरह से जो कन्टीन्जेन्सी में इलेक्शन होगा उसकी दिक्कतों को हटा दिया गया है और जब भी इलेक्शन होगा, राजप्रमुख चाहेंगे; नोटिस दे दिया जावेगा। ऐसा ही क्लॉज हाउस ऑफ दी पीपुल के रूल्स में भी रक्खा गया है।

दूसरा, जो सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की उसकी बात भी रख दी गई है। जो कैन्डीडेट खड़ा हो वह अपना रिटन स्टेटमेंट दे यह रिपोर्ट में लिखा है" (2) At any time before noon on the date preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another member be chosen as the Speaker of the Assembly, and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement by the member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Speaker, if elected."

तो यह चीज सिलेक्ट कमेटी ने जो रूल्स पास किये उनमें नहीं थी। इसके अलावा एक प्रोविजो ऐसा कर दिया गया है कि "Provided that a member shall not propose his own name, or second a motion proposing his own name, or propose or second more than one motion."

तो यह भी इलेक्शन के फन्डामेन्टल प्रिंसिपल्स को ले डाउन करते हैं। अब सब क्लॉज तीन के अन्दर बेलट के बारे में है। सिलेक्ट कमेटी ने जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया वह कम्लीकेटेड है।

"7(5). Where more than two candidates have been nominated and at the first ballot no candidate obtains more votes than the aggregate votes obtained by the other candidate, the candidate who has obtained the smallest number of votes shall be excluded from the election and balloting shall

[श्री सोहनलाल भटनागर]

proceed, the candidate obtaining the smallest number of votes at each ballot being excluded from the election, until one candidate obtains more votes than the remaining candidates or than the aggregate votes of the remaining candidates, as the case may be. The candidate who obtains more votes than these obtained by the remaining candidates as the case may be, shall be declared to have been elected as Speaker."

तो माननीय अध्यक्ष, यह प्रोसीजर बहुत कम्प्लीकेटेड है। मान लीजिये कि यदि तीन चार केन्डीडेट खड़े होंगे तो कई बार इलेक्शन होंगे और जब तक एक केन्डीडेट दूसरे के एग्रीगेट वोट्स से ज्यादा न प्राप्त कर ले, या सबसे ज्यादा वोट प्राप्त न कर ले, वैसी स्थिति उत्पन्न न हो तब तक इलेक्शन होते रहेंगे। मान लीजिये ४० वोटर्स हैं और २५ वोट एक के आ जाते हैं तो इलेक्शन हो जावेगा, लेकिन यदि ज्यादा नहीं आते हैं तो वापिस वोटिंग होता रहेगा; तो इससे दो तीन और ज्यादा से ज्यादा तब तक वोट होते रहेंगे जबतक ज्यादा वोट न प्राप्त कर ले; इसके विपरीत मैंने जो प्रोसीजर प्रस्तुत किया है वह ऑर्डिनरी मौशन के तौर पर होगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह कम्प्लीकेटेड प्रोसीजर के बजाय आर्डिनरी तरीका रक्खा है। इसे सदन एडोप्ट करे, यह मेरा निवेदन है।

श्री भैरूसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सोहनलालजी ने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है उस संशोधन में एक बात को छोड़ कर बाकी का जो संशोधन का भाग है, मैं समझता हूं कि वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

जहां पर हमने माननीय अध्यक्ष का इलेक्शन का प्रश्न लिया है वहां किस प्रकार की व्यवस्था थी कि बहुमत के आधार पर वह इलेक्शन हुआ, ऐसा माना जाना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है। इसमें :

"election by the system of first ballot, second ballot and third ballot"

इस प्रकार के सिस्टम को उन्होंने एडोप्ट किया है। मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि यह कह सकूं कि इस प्रकार का यह संशोधन जो प्रस्तुत किया है वह किस प्रकार उचित कह जा सकता है।

उन्होंने जो दलील दी वह यह थी कि यह कम्पलीकेटेड है। ऐसा यह है या नहीं, लेकिन इस प्रकार के कम्पलीकेटेड सिस्टम के अन्दर माननीय सदस्य भाग ले सकते हैं या नहीं, यह प्रश्न है। इस प्रकार के प्रोसीजर से अगर हम इलेक्शन नहीं करा सकते हों तो सोच सकते हैं कि इसको बदलना चाहिये। पी.ए.सी., एस्टीमेट कमेटी और कौंसिल आफ स्टेट के चुनावों में वहां इन्डाइरेक्ट इलेक्शन है, प्रिफेरेन्सियल वोटिंग है, वह भी कम्पलीकेटेड है, तो इस तरह से उसके बारे में भी कहा जा सकता है और उस बारे में तो कई बार सदन में चर्चा हुई है उसको इसके मुकाबले में काफी कम्पलीकेटेड बताया है, पर फिर भी हमने उस तरीके को स्वीकार कर रक्खा है क्योंकि इसका भी विशेष कारण है और सिलेक्ट कमेटी ने यह जो तरीका अपनाया है इसमें भी

[श्री भैंरूसिंह]

विशेष कारण है। आज हम यह मानकर चलें कि एक दल की सरकार है, भविष्य में भी रहेगी तो मैं मान सकता हूं कि इस प्रकार के संशोधन को कम्पलीकेटेड प्रोसीजर के स्थान पर अपनाया यह तो उचित है। पर हमारे सामने पार्लियामेन्ट का और इस सदन के चुनाव का नक्शा भी आता है। हमने यह भी देखा कि जिस पार्लियामेन्ट में एक दल का बहुमत नहीं हो उस जगह हम कैसा तरीका अपनाकर चुनाव करावेंगे? आज कहने को कहा जा सकता है कि कांग्रेस का बहुमत है। किसी प्रकार का प्रोसीजर हो कांग्रेस वाले ही सरकारी पदों पर आसीन रहेंगे। पर भविष्य अन्धकार में है। कोई यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस दल की सत्ता भविष्य में भी रहेगी कि नहीं। इस विधान सभा में दोनों प्रकार के दल आ सकते हैं और यह भी हो सकता है कि किसी दल का बहुमत नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में वहां कौनसा तरीका अपनाना पड़ेगा? स्पीकर के नाम तक का विरोध करेंगे तो एक का दल दूसरे का विरोध करेगा।

वैसी सूरत में क्या होगा? वैसी सूरत में कहां बहुमत होगा? वैसी सूरत में जिस तरह कि फ्रान्स में सरकार बार बार बदलती है उसी तरह हमारी विधान सभा में माननीय अध्यक्ष बदलते रहेंगे, बार-बार अध्यक्ष बदलें यह इस सदन की शोभा की चीज नहीं है। माननीय अध्यक्ष को पूर्णतया प्रोटेक्शन यह सदन दे तो यह उम्मीद कर सकते हैं कि माननीय अध्यक्ष निष्पक्ष होकर सदन के कार्य संचालन में अपना योग दे सकेंगे। यदि स्पीकर के सामने यह दिक्कत रहे कि जिस तरह मंत्री-मंडल में हेर फेर होते हैं, उसमें लोगों के इधर से उधर बैठने के साथ में हेर फेर होते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि सदन में निष्पक्ष वातावरण लाना चाहें तो वह नहीं आयेगा। उसी एक बात को दृष्टि में रखते हुए सिलेक्ट कमेटी ने यह देखा था, विचार किया था और गम्भीरता से विचार करके इस निश्चय पर पहुंचे थे कि इस प्रकार का सिस्टम रखें और जिस सिस्टम से अकेली एक पार्टी का बहुमत नहीं हो तो भी उस सूरत में एक आदमी को प्रोपोज करके स्पीकर बना सकते हैं, और इस प्रकार के तरीके से चुने जाने के बाद फिर बार बार उनको हटाये जाने की सूरत कतई पैदा नहीं होगी। इस बात को सामने रखकर ही सिलेक्ट कमेटी ने यह सुझाव दिया था। माननीय सोहन लालजी ने केवल यह कम्पलीकेटेड हैं, इतना ही कहकर यह संशोधन प्रस्तुत करने की चेष्टा की है कि वह अपने आप भी इसको समझे नहीं है और वे खुद ही इसको ठीक तरह से एक्स्प्लेन नहीं कर सके हैं। मैं आशा करता हूं कि सदन वैसी सूरत में भविष्य को ध्यान में रखकर और यह देखकर कि स्पीकर का पद स्थायी बनाया जाय, इस प्रकार की चेष्टा करें, इस प्रकार का तरीका अपनायें तो जो प्रतिवेदन सिलेक्ट कमेटी ने प्रस्तुत किया है वह ज्यादा अच्छा रहेगा और सदन की शोभा के अनुकुल होगा। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें स्वयं ही और यदि वे स्वयं वापिस नहीं लेते हैं तो सदन उसको अस्वीकार करके जो तरीका सिलेक्ट कमेटी ने लिखा है अच्छा हो कि उसी तरीके को अपना लें।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, यह जो माननीय सोहनलाल जी ने संशोधन रखा है वह वास्तव में बहुमत के आधार पर चुने जाने की जो प्रणाली

[श्री श्रीदास गोयल]

है उसके स्वतः ही विपरीत पड़ता है, और खास तौर से मैं ऐसे स्थान के लिए जो कि बहुत पवित्र है, और जिसमें हाउस की मेजोरिटी की रेस्पेक्ट होना अति आवश्यक है और बहुत सोच समझकर के इस बिल (नियमावली) में यह तरीका रखा गया है। माननीय भटनागर जी ने जो उदाहरण दिये हैं उसको सम्भवतः वे ठीक तौर से नहीं समझ सके हैं। मैं जैसा कि निवेदन करूं कि इस हाउस में १६० मेम्बर्स हैं। यदि ५ व्यक्ति स्पीकर के लिये खड़े होते हैं तो ५ में से एक एक को ४० वोट्स मिलते हैं ; इसमें अगर ४० से कम वोट मिलते हैं तो उनके बताई हुई प्रणाली से केवल ४० मत प्राप्त करने वाला सज्जन भी स्पीकर बन सकता है, यद्यपि उनको हाउस की तरफ से एक चौथाई की ही रेस्पेक्ट प्राप्त है। तो जहां मैजोरिटी का प्रश्न है, तो जहां केवल एक पद का चुनाव हो रहा हो तो वह परम्परा और वह प्रणाली वास्तव में ठीक नहीं रहेगी। तो जो सिलेक्ट कमेटी ने यह प्रोसीजर रखा है कि यदि ५ व्यक्ति खड़े होते हैं तो वही प्रथम व्यक्ति चुना जायगा ; तो चारों को मिले हुए वोटों की जो संख्या है उनसे चाहे एक वोट ही अधिक हो वह चुने जायेंगे। इसका मतलब यह हुआ साफ कि लम्पसम में ८१ वोट उनको मिलने ही चाहिए, १६० के हाउस में से चुनाव में। वही स्पीकर बन सकेगा जिसका बहुमत होगा, परन्तु ८१ वोट भी नहीं मिल पाये तो सबसे कम वोट का जो अधिकारी रहे तो उनका नाम ड्रोप हो जायगा। इसमें ४ व्यक्ति वोट डालने लगेंगे। तो यह बता दूं कि यह स्पष्ट हो जायगा कि वही व्यक्ति स्पीकर चुना गया है कि जिसको हाउस ने बिना किसी संकोच के बहुमत से चुन लिया है। तो मैं निवेदन करूं कि यह एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद है जिसको कि ४ वर्षों से एक ही माननीय स्पीकर निभा रहे हैं और बहुत प्रसन्नता की बात भी है कि इस पद के लिए चुनाव नहीं हुआ। सर्वसम्मति से यह पद प्राप्त हुआ है, तो जबकि एक पार्टी जैसा कि माननीय भैरूं-सिंह जी ने कहा कि बहुमत वाले जब मिनिस्ट्री बनाते हैं तो स्पीकर के लिये फिर कोई कारण नहीं है कि उन्हें बहुमत प्राप्त होने में कठिनाई हो। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ सिलेक्ट कमेटी के द्वारा प्रस्ताव अख्तयार किया गया है और जो मैं मानता हूँ कि बहुत से स्थानों पर इसका प्रोसीजर अपनाया हुआ है, इसमें जो प्रोवीजन रखा गया है वह वास्तव में दुरुस्त है, और उसी को मानना चाहिए।

साथ में यह निवेदन और भी है कि यदि इस प्रकार के बहुत सारे एमेंडमेंट्स इतने अरसे के बाद में सिलेक्ट कमेटी के गम्भीरतापूर्वक निर्णय के बाद लाने ही थे तो ज्यादा अच्छा होता कि इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय और वहां निर्णय ले लिया जाता। (घंटी) मैं निवेदन करूं कि वह मौका नहीं है और इसमें गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से वास्तव में पूरा रेस्पेक्ट स्पीकर महोदय को प्राप्त हो, इसीलिए यह जो प्रणाली है मौजूदा उसको ही ठीक मानना चाहिए।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, माननीय भटनागर जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसका कारण यह है कि संशोधन को

[श्री अवनि कुमार मुकर्जी]

रखते हुए जो दलील दी गई है वह हम लोग ठीक तरह से समझ नहीं पाये हैं, वह क्या समझाना चाहते थे वही मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने यह कहा है कि यह तरीका बड़ा कम्पलीकेटेड है लेकिन उन्होंने यह बतलाने की कोशिश नहीं की है कि जो तरीका उन्होंने रखा है उससे कैसे स्पीकर का चुनाव ठीक तौर से हो सकेगा। वह यह मान कर चलते हैं कि जो आज रूलिंग पार्टी है उनका बहुमत बना रहेगा और इसलिए जिस पार्टी की मिनिस्ट्री बनती है वह जिसको प्रोपोज करेगी वही स्पीकर चुन लिया जायगा।

मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी धारणा को लेकर चलते हैं तो वह एक गलत चीज़ होगी। इस चीज को आधार बनाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि चाहे कोई भी सूरत पैदा हो जाय तो उस सूरत का मुकाबला हम कर सकें। इस चीज़ को मानते हुए जो व्यवस्था रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्दर रखी गई है वही व्यवस्था बनी रहेगी तो आगे चल कर कोई दिक्कत हमारे सामने आने वाली नहीं है और चूंकि यह सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसके लिये माननीय मन्त्री जी से अर्ज़ करूंगा कि इस पर आज विचार नहीं करके इसको डेफर किया जाये, और बाद में अच्छी तरह से इस पर विचार करके इसको पास करवाते। मैं समझता हूँ कि वह इस सुझाव को स्वीकार कर लेंगे और आगे की क्लॉज़ेज़ पर विचार जारी रखेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के बारे में जो विचार रखे गये हैं उनसे नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज मुझे सूझता है, मुझे ऐसा लगता है कि और किन्हीं के चुनाव की चाहे कोई पद्धति रही हो। लेकिन जहां स्पीकर का चुनाव होता है वहां निश्चित रूप से स्पीकर चुने जाने वाले व्यक्ति को सदन का बहुमत प्राप्त होना ही चाहिए। यह काफी नहीं है कि ४, ५ या दो से अधिक व्यक्तियों में से जिस किसी को अधिक मत मिल जाय वह स्पीकर चुन लिया जाये। यह हो सकता है कि ऐसी दशा में कोई व्यक्ति चुनाव में भाग लेना ही पसन्द नहीं करे। कोई भी विचारशील व्यक्ति सदन की अध्यक्षता स्वीकार करने से पहले यह देखना चाहेगा कि कम से कम जिस समय अध्यक्ष पद सम्हाल रहा है उस समय तो सदन का बहुमत का विश्वास उसे प्राप्त हो। इसलिए कम्प्लीकेटेड होते हुए भी, यद्यपि मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा कम्प्लीकेशन नहीं है, सरल सी चीज़ है, अगर कोई चीज़ है तो आप लोगों में एक दफा में नहीं हो तो दो-तीन दफा में हो जायगा; समय ज्यादा लग जायगा। कोई कम्प्लीकेशन या ऐसी उलझन नहीं है। थोड़ा सा समय लगने की बात है लेकिन लाभ बहुत बड़ा है। एक तो ऐसा व्यक्ति जो कि वहां पर अध्यक्षता करने के योग्य हो लेकिन इस प्रकार की छिछालेदारी को पसन्द नहीं करे और सदन का बहुमत है या नहीं इस संशय के कारण ही वह अलग हट जाय तो वह भी ठीक नहीं है। इसलिए अध्यक्ष अध्यक्षता का पद सम्हालते समय उनके मन में विश्वास रहे कि कम से कम उनको सदन का बहुमत प्राप्त हो। होना तो यह चाहिए कि सर्व-सम्मति इस पद का चुनाव हो। वह कभी कभी होता भी है। लेकिन हमेशा सर्वसम्मति से

[श्री टीकाराम पालीवाल]

चुनाव सम्भव नहीं है। तो कमसे कम सदन का बहुमत प्राप्त है, यह निश्चय सदन का अध्यक्ष चुने जाने वाले महानुभाव को मालूम होना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए, हमलोगों को मालूम होना कि जो अध्यक्ष चुने गये हैं उन्हें बहुमत प्राप्त है। बहुमत के विषय में संशय रहे तब तक व्यक्ति न तो ठीक तौर से काम कर सकेगा और न सदन का शायद उसको पूरा समर्थन प्राप्त होगा। इस दृष्टि से भी यह ज्यादा आवश्यक है कि जो प्रणाली रखी गई है वह रखी जाय।

(श्री रामकिशोर व्यास द्वारा उत्तर दिये जाने को प्रस्तुत होने पर)

श्री श्रीदास गोयल—इसे आप डेफर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामकिशोर व्यास द्वारा संकेत से असम्मति प्रकट करने के पश्चात्) Keep patience and hear.

श्री रामकिशोर व्यास—यह जो संशोधन श्री भटनागर ने रखा है और उन्होंने जो दलीलें दी थीं कि जो मौजूदा सिलेक्ट कमेटी ने नियम रखे हैं अध्यक्ष महोदय के बारे में वे कुछ पेचीदा हैं और उन्होंने यह तरीका अपने संशोधन के जरिये रखा है, वह चुनावों का सीधा तरीका रखा गया है और वह वही है कि जो अपने बिजनेस रूल्स में हैं। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि पार्लियामेन्ट में क्या तरीका है? पार्लियामेंट में जो अध्यक्ष को चुने जाने का तरीका है वही तरीका अपने यहां भी रखा गया है। यह भी ख्याल रखा गया है कि जो रूल्स हैं वे सम्भवत; वे ही बनाये जांय जो कि पार्लियामेंट में है। वही सुझाव यहां भी दिया गया है और जो दलील दी है कि अध्यक्ष महोदय का पद सुरक्षित रहना चाहिए इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। यह सदन पर निर्भर करता है और हमेशा ही सदन उनके साथ रहेगा। तो यहां भी पर्लियामेंट का ही तरीका अपनाया गया है।

श्री श्रीदास गोयल—ओन ए पोइंट ओफ एक्सप्लेनेशन सर, पार्लियामेंट में जो तरीका अपनाया गया है वही बिल के अनुसार........

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष—All the legislatures of India have this system except Bombay.

(विराम)

Mr. Bhatnagar to say any thing?

(विराम)

प्रश्न यह है जो कि संशोधन रूल ७ में श्री भटनागर ने रखा है उसको स्वीकार किया गया।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

रूल ७ का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल ७ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

रूल ७, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

रूल (८)

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, रूल ८ में मेरा जो संशोधन है वह भी म्युटेटिस वैसा ही है जैसा कि स्पीकर महोदय के लिए एप्लाई करता है। बहस उस पर जो पहले हो हो चुकी है उसको न दोहरा कर मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरे इस अमेंडमेंट को स्वीकार किया जाय। हाउस ओफ पीपुल में भी डिप्टी स्पीकर के इसी प्रकार से व्यवस्था है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, जहां तक डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का प्रश्न है, जब कि स्पीकर के लिए एक प्रणाली स्वीकार कर ली है तो उसके विपरीत चलने का तो प्रश्न नहीं उठता है लेकिन सिलेक्ट कमेटी में कितने जिम्मेदार व्यक्त बैठे और उन्होंने विचार व्यक्त किये हैं उनको लिया जाय........

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Under the rules the discussion by the Select committee cannot be disclosed. If the Hon 'ble Member is keen he could refer the note of dissent.

श्री श्रीदास गोयल—पर उसने भी सोचा था।

श्री अध्यक्ष—This house is bigger than the Select Committee.

श्री श्रीदास गोयल—Whatever has been done by the select committee, that was a responsible body.

श्री अध्यक्ष–The whole incudes the part and part does not include the whole, the select Committee was a part of this House.

प्रश्न यह है कि रूल ८ के संशोधन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

रूल ८ का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल ८ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृति)

रूल ८ संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

रूल ६ व १०

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ६ और १० को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

नियम ६ और १० स्वीकार किये गये।

(विराम)

नियम ११

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, नियम ११ में एक अमेन्डमेन्ट है जो मामूली सा है ; वह इस प्रकार है: "Substitute the word 'sittings' for the word meetings"

सारा चेप्टर ही सिटिंग्स ओफ असेम्बली के सम्बन्ध में है लेकिन सब रूल (२) में जो 'मीटिंग्स' ओफ दी असेम्बली, दिया हुआ है यह मालूम होता है कि गलती से ऐसा ही रह गया है। यहां मीटिंग्स की जगह सिटिंग्स होना चाहिये। इसके बाद यह उस नियम में रखा गया है कि असेम्बली किस समय बैठा करेगी। इसमें तो यह है कि ८॥ बजे से १२॥ बजे तक। इससे ४ घन्टे ही होते हैं। उसमें से भी एक घन्टा क्वेश्चन अवर के लिए चला जाता है और विधायक कार्य करने के लिये तो केवल तीन घन्टे ही रह जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस समय को बजाय ८॥ से १२॥ बजे तक के ११ से ५ तक का कर दिया जाय ताकि यह समय कार्य के लिए काफी हो जाता है और इसका औचित्य भी है कि जिस तरह से छः घन्टे दूसरे लोग कार्य करते हैं यह सदन भी कार्य करे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र ने यह संशोधन तो रखा है लेकिन यह भेद रख जाना है कि मेन्टल लेबर और मेन्युअल लेबर में फर्क है और ठोस मेन्टल वर्क के लिये चार घन्टे काफी हैं। मेन्युअल लेबर जैसा चाहते हैं तो ६ घंटे रख सकते हैं लेकिन जहां मस्तिष्क का उपयोग होता है वहां तो चार घंटे काफी होते हैं और आज ही नमूना देख लीजिये कि ११ से पांच का समय रखा और उपस्थिति कितनी थिन थी। काफी अरसे से काम चलता आ रहा है, चार घंटे ही काफी होते हैं। गर्मी के समय में स्कूल्स, कॉलेजेज, सब प्रातः काल में काम करते हैं और यह जो एक्जीक्युटिव मशीनरी है, भाग्य विधाता है, कहती है कि ११ से ५ तक चलायें। यह एक अजीब अमेन्डमेन्ट रखा गया है। स्कूलों के लिए भी देखे तो चार घंटे से अधिक नहीं बैठते हैं। जो मार्गदर्शक बनते हैं और काम करते हैं उनके लिए यह एक अजीब चीज होगी। तो जो दस्तूर है वही रखा जाय और इसमें तब्दीली नहीं की जाय। सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने सोच-समझ कर मस्तिष्क का उपयोग कर यह रखा है।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, इसमें आगे एक प्रोविजो दिया हुआ है और उसमें स्पीकर को डिस्क्रीशनरी पॉवर्स दिए हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—There cannot be any change? There is a proviso.

श्री श्रीदास गोयल—इसमें भी जैसे स्पीकर की मर्जी हो उसी तरह पर छोड़ देना चाहिए, डिस्क्रीशन पर ही छोड़ देना चाहिए और कोई लिमिट नहीं डालनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—कल से ८ बजे का कर दें। यदि आप चाहे तो ११ से ५ तक का रखा करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष,............

(घन्टी)

क्या पाबन्दी लगा दी है ?

श्री अध्यक्ष—Order! Order!!

श्री रामकिशोर व्यास—११ से ५ तक के समय के विरोध में दलील दी गई है कि मस्तिष्क का जो काम करने वाले हैं वे ६ घन्टे काम नहीं कर सकते हैं और सिर्फ जो शारीरिक काम करने वाले हैं वे ही कर सकते हैं। मैं नहीं समझा कि पार्लियामेंट में जो काम करने वाले हैं क्या वे हथौड़ा चलाते हैं (हंसी) वहां तो........

श्री अध्यक्ष— १० से ५-३०।

श्री दिलीपसिंह—लन्च के, लिए भी तो समय दिया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास—इसलिए कम रखा है। बजाय १० के ११ से रखा है और ५.३० से ५ कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—It is guided by the house.

श्री श्रीदासगोयल—११ से ५ तक के समय में लन्च के समय का प्रोविजन नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास-वहां भी कुछ मेम्बर रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। इस पर कोई सख्ती नहीं की गई है।

श्री श्रीदासगोयल—रूल्स हम जो बनायें वे तो ऐसे होने चाहिये कि वे कॉन्ट्राडिक्टरी न हों, प्रोविजो और डिस्क्रीशनरी पॉवर अदरवाइज नहीं चाहिये। जब कोई चीज फिक्स कर दी जाती है और फिर डिस्क्रीशनरी पॉवर्स दे दिये जाते हैं तो जो नियम बने हैं, यह लाजमी हो जाता है कि उसको माना जाय, तब्दीली की बात हो साधारणतया तो पॉवर स्पीकर को होते हैं। यह एक तरह से विपरीत जा रहे हैं। (घन्टी)........

श्री अध्यक्ष— Amember does not have a right of speaking twice.

श्री श्रीदास गोयल—यह तो हर एक पर असर करता है।

श्री अध्यक्ष—It is a bad way.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन नियम ११ के अन्तर्गत श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ११, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ११, संशोधितरूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No 66

[श्री अध्यक्ष]

नियम १२

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम १२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम १२ स्वीकार किया या।

नियम १३

श्री सोहनलाल भटनागर—अध्यक्ष महोदय, नियम १३ में राजप्रमुख के एड्रेस पर टाइम एलोट करने के बारे में कहा गया है। राजप्रमुख का एड्रेस कांसटिट्यूशन के आर्टिकल्स १७५ और १७६ के माफिक होता है। कांसटिट्यूशन के आर्टिकल १७५ में यह लिखा है :

"Right of Governor to address and send messages to the House or Houses."

और १७६ इस प्रकार है; "Speaking on address by the Governor at the commencement or every Session"
तो इन दोनों के अंतर्गत जो ऐड्रेस है उसको डिस्कस करने के लिये एक ही क्लॉज में रखा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अलग अलग एड्रेस के लिये अलग अलग प्रोविजन रखना चाहिये। रूल १८ में स्पीचेज़ के लिये टाइम लिमिट का सवाल आया है। मैंने यह निवेदन किया है कि आर्टिकल १७५ के जो वर्डिंग्ज आये हैं उनको डिलीट किया जाय क्योंकि इस आर्टिकल के माफिक डिस्कशन करने का प्रयोजन नये संशोधन रूल १८ ए. से हल हो जाता है जो कि मैंने प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष—This is formal, क्यों मुक्तिलालजी कुछ कहेंगे क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—कहने की बात जब होती है तब तो आप कहने नहीं देते।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम १३ पर जो संशोधन श्री सोहनलाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि नियम १३, संशोधित रुप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम १३, संशोधित रुप में, स्वीकार किया गया।

नियम १४

श्री सोहनलाल भटनागर—अध्यक्ष महोदय, नियम १४ के अंतर्गत 'Scope of discussion on Rajpramuk "s Address" के बारेमें बताया गया है, उसका क्या स्कोप होगा, उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में सिलेक्ट कमेटी ने कहा है

"On a day or days or part of any day allotted under Rule 13, the Assembly shall be at liberty to discuss the matter referred to in such Addres.s"

इसमें खाली जनरल चीज रखी है लेकिन मैंने जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है उसमें यह रखा है :

"On such day or days or part of any day, the Assembly shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address on a motion of thanks moved by a Member, which shall be seconded by another Member." तो जैसा कि नियम है कि हमेशा राजप्रमुख के एड्रेस पर थेन्क्स का मोशन प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद में डिस्कशन होता है, वह जनरल बातों पर होता है। मोशन ओफ थेंक्स के बाद में डिस्कशन करने के लिये मैंने जो वर्ड्स संशोधन में प्रस्तुत किये हैं वे ज्यादा उपयुक्त हैं और कांस्टिट्यूशन के माफक हैं इसलिये इसे स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—I think there is no ebjection. It is a formal amendment.

प्रश्न यह है कि नियम १४ में जो संशोधन श्री सोहनलाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि नियम १४, संशोधित रुप में, स्वीकार किया जाय

(स्वीकृत)

रुल १४, संशोधित रुप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

रूल १५, १६, १७, और १८

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल १५, १६, १७ और १८ स्वीकार किये जांय ।

(स्वीकृत)

रूल १५, १६, १७ और १८ स्वीकार किये गये।

(विराम)

रूल १८ ए.

श्री सोहनलाल भटनागर—अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कॉन्स्टिट्यूशन के नियम १७५ के अंतर्गत जो एड्रेस होता है उसके बारे में यह कॉन्सिक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट है ।

श्री श्रीदास गोयल—एक एक अमेन्डमेंट को पढ़ दिया करें तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाय।

श्री अध्यक्ष—आपके पास अमेन्डमेन्ट की कॉपी नहीं पहुँची क्या? Have the Copies not reached. इनको कोपीज़ और दे दी जायँ।

यह राजप्रमुख के एड्रेस के बारे में है। १७५ और १७६ आर्टिकल्स के अंतर्गत जो डिस्कशन्स होते हैं उनके बारे में यह अमेन्डमेन्ट है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल १८ ए. स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

रूल १८ ए स्वीकार किया गया।

(विराम)

रूल १६

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम १६ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम १६ स्वीकार किया गया।

(विराम)

रूल २०

(विराम)

नियम २० पर कोई संशोधन नहीं है, प्रश्न यह है कि नियम २० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम २० स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम २१

श्री सोहन लाल भटनागर—अध्यक्ष महोदय, यह जो नियम २१ है उसमें अलोटमेंट ओफ टाइम फोर प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस के बारे में सिलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन में बताया है कि हर शुक्रवार को आखिरी २ घंटे प्राइवेट मेम्बर्स के लिये रखे जायँ। अगले शुक्रवार को अलग अलग नेचर का काम करने के लिये स्पीकर निर्धारित करेंगे। इसके अलावा प्रोविजो में यह भी कहा गया है कि लीडर ऑफ दि हाउस को कंसल्ट करके स्पीकर दूसरा दिन भी रखा सकते हैं। इसके बजाय मैंने यह किया है कि :

"ALLOTMENT OF TIME FOR PRIVATE MEMBERS' Business:—The Speaker, may allot so many days as may be possible for private members' business, and may allot different days for the disposal of different classes of such business, and, on days so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence."

[श्रीमोहनलाल भटनागर]

तो इसमें नीचे की बात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ यह है कि शुक्रवार के आखिरी २ घंटों के बजाय मैंने यह निवेदन किया है कि आफ्टर कंसीडरिंग दि स्टेट ओफ बिजनेस, जैसा भी वर्क है उसको कंसीडर करके समय रखा जाय । मान लीजिये कि किसी दिन नोन ओफिशियल वर्क नहीं है तो जैसा बिजनेस हो, ज्यादा या कम, ऐसी सूरत में डिस्क्रीशनरी पोवर्स स्पीकर में वेस्ट की हैं । इसमें स्पेसिफिक शुक्रवार के आखिरी २ घंटों के बजाय; जैसी आवश्यकता हो, वैसा करने का मैंने संशोधन रखा है । इसे स्वीकार किया जाय ।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मेम्बर्स बिल, रिज़ोल्युशन्स या और जो बातें हैं उनको लाने के लिये बहुत से सुझाव आते हैं । उनके लिये समय भी मिलता है लेकिन वह समय इतना कम दिया जाता है कि उन पर पूरा विचार नहीं हो पाता और बन वे ओर दि अदर निर्णयात्मक सूरत नहीं हो पाती । हर एक दिन का प्रथम घंटा प्रश्नों के लिए अनिवार्य कर देने से प्रश्न इतने अधिक आते हैं कि कभी कभी लिस्ट भी निर्धारित समय में खत्म नहीं हो पाती ।

श्री अध्यक्ष—कहां आते हैं, ५-५ सवाल आते हैं ।

श्री श्रीदास गोयल—आज की ही लिस्ट देख लीजिये, कितनी बड़ी थी ।

श्री अध्यक्ष—But that was over within twenty minutes.

श्री श्रीदास गोयल—मैं निवेदन करूं कि क्लॉज २१ में जो प्रोविजन रखा है वह ऐसा है कि जिससे प्राइवेट मेम्बर्स को एन्करेजमेंट मिलेगा और कम से कम पेन्डिंग मामलात को डिस्पोज़ ऑफ करने में समय मिल ही जायगा, जैसा पार्लियामेंट में है । वहां और भी समय दिया जाता है । प्रत्येक फ्राइडे को अंतिम दो घन्टे दिये जायेंगे तो हर एक मेम्बर तैयार होकर आयेगा । हरेक चीज को डिस्क्रीशनरी पावर की तरफ ले जाना चाहते हैं, यह न्याय संगत बात नहीं है और डेमोक्रेसी के तरीके से विपरीत पड़ता है । तो मैं यह निवेदन करूं कि थोड़ा आज यहां डेड डे है कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों में से कोई इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं । पर इसके बावजूद भी सिलेक्ट कमेटी में रखा पावर है वह उचित है । इसलिये क्लॉज़ २१ है वह उचित है । इसलिये क्लॉज़ २१ है, वैसा ही रखना चाहिये । डिस्क्रीशनरी का अमेंडमेन्ट भटनागर जी ने रखा है वह हमको और राह पर ले जाता है, जिससे कि डावरी बिल जैसा बिल खत्म हो गया, पूरा नहीं हुआ ।

ऐसी स्थिति में प्राइवेट मेम्बर्स के ऐसे बिल्स को एन्करेज करने के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज को बदस्तूर रखा जाय ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, जिस समय यह सिलेक्ट कमेटी का प्रतिवेदन पढ़ने को मिला तो उस समय यह आशा हुई थी कि अब प्राइवेट मेम्बर्स को अपने रिज़ोल्यूशन्स मूव करने की और यदि कोई चाहे नया कानून बनाने के लिये बिल्स मूव करने की विशेष

Page No 71

[श्री भैंरु सिंह]

सुविधा प्राप्त हुई है, सब सदस्यों को खुशी हुई थी। पर जब आज यह संशोधन सदन में प्रस्तुत किया गया तो ऐसा लगता है कि जो कुछ इस ड्राफ्ट में सुविधा देने की व्यवस्था की थी वह सरकार किसी को नहीं देना चाहती।

सदन की कार्यवाही की भी एक सीमा होती है, सरकार से सदन में किस प्रकार जानकारी चाही जा सकती है, इसका भी विशेष तरीका होता है, पर कुछ बातें ऐसी होतीं हैं जो न प्रश्नोंद्वारा कुछ कहा जा सकता है और न आलोचना द्वारा कुछ कहा जा सकता है और इसके अलावा और और जो विशेष प्रकार की व्यवस्था इस सम्बन्ध में सदन के नियमों में है उसके द्वारा इस सदन में रखा जा सकता है। इसके लिये सदन के माननीय सदस्य यह चाहें कि हम अपनी तरफ से सदन में कोई प्रस्ताव या बिल प्रस्तुत करें और इस सदन की मर्जी पर छोड़कर उनकी पूर्ति की चेष्टा करें तो उस समय सदन के सदस्य अलग अलग प्रस्ताव और बिल रखते हैं। ४ वर्षों का हमारा अनुभव है, बिल्स का जहां तक प्रश्न है, यह सेशन चल रहा है, इसको श्रेय है, कबूतर न मारने वाला एक संशोधन विधेयक एक मेम्बर ने प्रस्तुत किया था, वह हमने चार वर्षों के इस लम्बे अर्से में पास किया·······

श्री अध्यक्ष—एक दिन में।

श्री भैंरू सिंह—केवल "कबूतर" शब्द का अमेंडमेंट था। बस वह एक विधेयक हमारे चार साल के अनुभवनें प्राइवेट मेम्बर्स की ओर से जो प्रस्तुत हुआ था वह पास किया गया। इसके अलावा पशु बलि निरोध विधेयक, नग्न मूर्ति निषेध बिल, डोवरी बिल ये तीन बिल तो जिस समय से सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई, वे सदन में सिवाय लोगों के मनोरंजन देने के लाभदायक सिद्ध नहीं हुए। कभी कॉन्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टी आई, तो कभी यह देखा गया कि ६ बजे हैं साडे बारह बजाने हैं, समय बिताना है इसलिये यह बिल रखा जाता है; कॉन्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टी आई तो एडवोकेट जनरल की राय मांगेगें, उस पर वाद विवाद होगा, मेम्बर्स के दिल में भी यही रहता है कि हमें समय निकालना है। यदि उनके दिल में यह हो कि अभी अगर समय समाप्त हो गया तो आयन्दा शुक्रवार को इस पर फिर बहस हो सकेगी तो इससे सदन का समय भी बचेगा और प्राइवेट मेम्बर्स के रिज़ोल्युशन्स पर और बिल्स पर विचार भी अच्छी तरह से होगा और सब माननीय सदस्यों को इसमें दिलचस्पी होगी।

आज तक की प्रेक्टिस है, उसके अनुसार लिस्ट में कोई पहला ही रिजोल्युशन ऐसा आ जाय कि जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार जाहिर करना चाहें तो एक बिल भी पूरा नहीं होता, सदस्य अपने अपने विचार जाहिर करें और गवर्नमेंट की ओर से राय आ जाय तब तक सदनएडजर्न हो जाता है। यही कारण है कि आज तक एक भी प्राइवेट मेम्बर्स बिल इस सदन में सिवाय 'कबूतर' शब्द के अमेंडमेंट के पास नहीं हुआ।

[श्री भैंरू सिंह]

यदि हम यह मान कर चलें कि पार्लियामेंट में इसी प्रकार की व्यवस्था है और अन्य हाउसेज़ की व्यवस्था में भी यही नियम है तो मैं यह अर्ज करूंगा कि पार्लियामेंट में रूल्स उस समय के बने हुए हैं जिस समय कि अंग्रेज राज्य करते थे और अंग्रेज सरकार चाहती थी कि संसद में अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई भी कोई बात न कहें, पर आज भारतवर्ष में लोक तन्त्र है। हर व्यक्ति को अधिकार है, सदन की प्रतिष्ठा को रखते हुए, सरकार की आलोचना करें और हर सभ्य सरकार का भी कर्तव्य है कि वह इस तरह की आलोचना का मौका माननीय सदस्यों को दे।

कई दफा तो हमें ऐसे उत्तर मिलते हैं कि यदि अध्यक्ष महोदय यह नहीं कहें, यह आश्वासन नहीं दें कि अगर प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं आये तो हाफ एन अवर डिस्कशन रेज़ कर सकते हैं, ऐसा आश्वासन नहीं दें तो सरकार से कोई माननीय सदस्य जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता........

श्री अध्यक्ष—What are these occasions for wa'sring things ?

श्री भैंरू सिंह—मैं यही कह रहा था।

श्री अध्यक्ष—प्राइवेट मेम्बर्स के बारे में कहिये।

श्री भैंरू सिंह—मैं यही निवेदन कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष, कि प्राइवेट मेम्बर्स को जानकारी हासिल करने के ये तरीके हैं, इनमें कई तरह की जानकारी पूरी तरह से नहीं होती है। सीनियॅरिटी, जूनियॅरिटी, प्रोमोशन, पी. एस. सी. की बातें, और कई प्रकार की चर्चाएं सदन में आती हैं, पर प्रश्नों के द्वारा सरकार से जानकारी ले सकते हैं; अपनी जानकारी सरकार को दे नहीं सकते। बजट की बहस के दौरान में श्रीमान् राजप्रमुख के भाषण पर वाद विवाद के समय हमें यह मौका मिलता है, उसमें भी एक विशेष प्रकार की सीमा होती है। जहां तक बजट पर बहस का सवाल है उसमें फाइनेन्शियल चीजों पर ही डिस्कशन कर सकते हैं, पर पर्टीक्युलर बात को लेकर हम बहस नहीं कर सकते, वह मौका हमें प्राइवेट मेम्बर्स डे को ही मिलता है।

जिस तरह सिलेक्ट कमेटी ने व्यवस्था की है कि आखिरी दो घंटों में हर शुक्रवार को प्राइवेट मेम्बर्स डे होगा, कौनसा बिल या रिजोल्युशन पहले आयगा, कौनसा बाद में आयेगा, इन चीजों को सेक्रेटरी महोदय निर्धारित कर दें तो कोई आपत्ति नहीं। हर शुक्रवार को दो घंटे प्राइवेट मेम्बर्स को अपने प्रस्ताव बिल वगैरह पेश करने का यह जो अधिकार है उसका माननीय सोहनलालजी के संशोधन से सफाया करने की कोशिश की गई है। माननीय गृह मन्त्री, मैं समझता हूं कि इस बात का विश्वास देंगे कि प्राइवेट मेम्बर्स को काफी समय दिया जायगा, पर अब तक जो हमारे नियम हैं उनमें इसी प्रकार के शब्द हैं जो माननीय सोहनलालजी के संशोधन में हैं।

[श्री भैंरु सिंह]

यह हमारा ४ साल का अनुभव है कि इस तरह ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिये हम हमारी सब बातों को, न्यायोचित बातों को सदन में प्रस्तुत कर सकें, सदन में हम अपने विचार प्रकट कर सकें, इसलिये हम इस प्रकार के संशोधन को पसंद नहीं कर सकते कि माननीय अध्यक्ष चाहेंगे उतना समय दिया जायगा और माननीय अध्यक्ष कहेंगे उसी दिन होगा। अगर हम माननीय अध्यक्ष को बाध्य कर दें कि हर शुक्रवार को प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस लें तो वे जरुर लेंगे और अगर माननीय अध्यक्ष को और दूसरा बिजनेस देते रहें तो फिर कैसे लेंगे, मर्जी का सवाल आता है वहाँ लीडर ऑफ दी हाउस की तरफ से जानकारी करके कार्यवाही नियुक्त की जाती है। तो लीडर ओफ दी हाउस एक विशेष दल के व्यक्ति होते हैं और वे उस दल के होते हैं जिस दल की सरकार होती है। वे कभी यह नहीं चाहेंगे कि सरकारी दल की जो नीति है उसकी कोई आलोचना करे।

श्री अध्यक्ष--Leader of the House means the Leader of the House and not of the party.

श्री भैंरू सिंह—मैं मानता हूं कि वे सारे हाउस के लीडर हैं। लेकिन उनका संबन्ध एक विशेष दल से होता है जिसकी सरकार होती है। वे कभी यह नहीं चाहेंगे कि जैसी सरकारी दल की नीति है उसकी कोई आलोचना को जावे और उसी को रोकने के लिये कि प्राइवेट मेम्बर कोई बिल इन्ट्रोड्यूस न कर पावे और उसको ज्यादा समय दिया जावे, सरकार इस प्रकार का बिल प्रस्तुत करना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि लोग उनको सचेत करें और इसलिये ऐसा किया जा रहा है। पहले तो प्राइवेट बिल को कन्सीडेशन स्टेज पर लेना ही मुश्किल होगा और जब प्राइवेट मेम्बर यह देखता है कि उसको कन्सीडेशन स्टेज पर आने में ही मुश्किल आवेगी तो वह किसी बिल को ड्राफ्ट करके फालतू कागज खराब क्यों करें, क्यों उसको टाइप करावे और क्यों अपना कीमती समय बरबाद करे, क्यों गजट में छपाया करावे और क्यों राजप्रमुख की स्वीकृति ले? अगर सरकार चाहे तो........

श्री अध्यक्ष—It is an advantage to both the parties and the Bills the hon'ble member has in mind, the government has not issued any whip about those Bills. I know the mental position of qoth the parties.

श्री भैंरू सिंह—एडवर्टाइज़ तो किया है

श्री अध्यक्ष—(अश्रव्य)

श्री भैंरू सिंह—हमारी कई बार इच्छा होती है कि बोलें और बिल रखें........

श्री अध्यक्ष—आप बोल सकते हैं, बिल भी रख सकते हैं।

श्री भैंरू सिंह—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—That position would be very inconvenient to the Members.

श्री भैंरू सिंह—सरकार की कोनकरेंस होती है तो आजादी है। अगर सरकार की कोनकरेंस नहीं है और वह सरकारी सदस्य की तरफ से नहीं आया है तो कभी भी प्रस्तुत नहीं हो सकता। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अपनी आलोचना सुनने के लिये तैयार रहना चाहिये और इससे तो सरकार को मदद ही मिलेगी। अगर हम किसी प्रकार प्राइवेट मेम्बर के नाते कोई बिल लाते हैं तो उससे तो सरकार को सहायता ही मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—The attack on the Government by the hon'ble member is not, I think, justified for the present.

श्री भैंरू सिंह—मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को अपनी आलोचना सुनने के लिये ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को मौका दिया जाना चाहिये कि वे सरकार की गलत नीति की आलोचना करें। मगर श्री सोहनलालजी भटनागर ने जो संशोधन मूव किया है उससे तो मैं यही कहूंगा कि सरकार के जितने भी एरिस्ट्रोक्रेट सदस्य हैं जो सरकार की नीति की आलोचना करते हैं उनके मूंह बन्द करना चाहती है और अपनी आवाज और ज्यादा बुलंद करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष—Ample opportunity has been given to tho hon'ble members and in no session such opportunity has been restricted.

श्री भैंरू सिंह—यह बिल्कुल सही है।

श्री अध्यक्ष — A point, a question has been dicussed for more than once, twice, thrice and several times.

श्री भैंरू सिंह—वे आ जाते हैं लेकिन बदकिस्मती से कोई पोइन्ट ऐसे भी होते हैं जो उसमें नहीं आ सकते और जिन पर कहना बहुत जरूरी होता है।

श्री अध्यक्ष—Because one point is stressed more than twice.

श्री भैंरू सिंह—कई बार ऐसा होता है कि सुनवाई नहीं होती। सरकार सुनवाई

(घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह तो प्राइवेट मेम्बरों के लिये हैं। कांग्रेस के सदस्य भी कोई प्रस्ताव लाना

[श्री भैंरूं सिंह]

चाहें या संशोधन लाना चाहें तो ला सकते हैं। उनको मौका दिया जाना चाहिये और विरोधी दल को भी मौका दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि माननीय गृहमन्त्री इस संशोधन की ओर ध्यान देंगे और सोहनलाल जी ने जो संशोधन पेश किया है उसको पास न करके सरकार अपनी आलोचना सुनने की हिम्मत करेगी।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अध्यक्ष महोदय, श्री सोहनलाल भटनागर ने जो संशोधन रखा है इसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इसका विरोध इसलिये करता हूँ कि अब हमारे नये रूल्स के अनुसार हमारे हाउस का कार्य ११ से ५ बजे तक हुआ करेगा। ऐसी हालत में फ्राइडे को दो घंटे प्राइवेट बिजनेस के लिये रखे जावें तो क्या आपत्ति होती है,

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूँगा कि सरकार की क्या मन्शा है? क्या सरकार प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस को प्रोत्साहन देना चाहती हैं या नहीं? अगर सरकार प्राइवेट बिजनेस को प्रोत्साहन देना चाहती है तो जो व्यवस्था हमारे यहां सिलेक्ट कमेटी ने प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस के लिये की है उसको रखना चाहिये। अगर नहीं रखते हैं तो वह उसी प्रकार की व्यवस्था होगी जो पिछले चार सालों में रही है और पिछले चार सालों का हमारा अनुभव इस बात को बताता है कि पिछले चार सालों में कुछ भी Private members का काम नहीं हुआ है। मैं यह कहूंगा कि वह क्लोज्ड माइन्ड से काम नहीं करें। जब हमने हाउस की सीटिंग्ज का समय बढ़ा दिया है तो इसको मंजूर कर लिया जावे।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यह रूल जो सिलेक्ट कमेटी ने रखा है और इस पर जो संशोधन आया है उसके बारे में ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि प्राइवेट मेम्बरों को ज्यादा मौका दिया जाना चाहिये और सरकार को आलोचना सुनने के लिये तैयार रहना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेंट तो अपनी आलोचना से ज्यादा बातें सुनने के लिये तैयार होती है और सुनी है। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा था कि यह संशोधन प्राइवेट मेम्बरों के पक्ष का है। सिलेक्ट कमेटी ने तो इसमें समय सीमित कर दिया था और वह यह कि एक महीने में ८ घन्टे उनको मिल सकते हैं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मैं इसमें एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप इनको कहने तो दीजिये।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—घुमा-फिरा कर वे बात को कहना चाहते हैं। मैं यह कह चाहता हूं कि स्पष्ट बात रखी गई है उसको मानने में उनको क्या आपत्ति है?

श्री रामकिशोर व्यास—वही तो मैं निवेदन कर रहा हूं। अगर ४ फ्राइडे एक महीने में हों और अगर एक फ्राइडे को छुट्टी आ जाती है तो इस कानून के अनुसार उनको ६ घन्टे ही मिल सकते हैं, मगर इससे ज्यादा समय भी एलोट किया जा सकता है। यह प्रोवीजन इसमें

[श्री रामकिशोर व्यास]

किया गया है। इसके अलावा अगर फ्राइडे को कोई वर्क नहीं हो तो इस कानून के अनुसार हमको हाउस को दो घण्टों के लिये एडजोर्न करना होगा। इसलिये अगर काम है तो ८ घण्टों से ज्यादा समय भी मिल सकता है और इस तरह से समय की बचत हो सकती है। ज्यादा काम होने की हालत में ज्यादा समय भी दे दिया जा सकता है। इसलिये इसमें नुकसान की बात नहीं है। ८ घंटों से ज्यादा ही मिलेंगे।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २१ के संशोधन को स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम २१, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

नियम २१, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम २२ व २३

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम २२ और २३ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

नियम २२ और २३ स्वीकार किये गये।

[विराम]

नियम २४

श्री सोहनलाल भटनागर—अध्यक्ष महोदय, नियम २४ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है कि नियम २४ को डिलीट कर दिया जाय। इसमें यह बताया गया है कि प्रोवीजनल प्रोग्राम जो है वह दस दिन पहले मेम्बर्स के पास भेज दिया जाय। किसी सूरत में स्पीकर महोदय इसको रिलेक्स कर सकते हैं। यह जो रूल हैं डिटेल्ड है और ऑलरेडी प्रेक्टिस में हैं। ऑर्डिनरीली दस दिन पहले प्रोवीजनल प्रोग्राम मेम्बर्स के पास भेज दिया जाता है इसलिये इस प्रकार का रूल रखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिये इसे डिलीट कर दिया जाय।

Page No 77

श्री भैंरूं सिंह—(१६) माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से संशोधन स्वीकार किये जा रहे हैं उनको देखते हुए माननीय अध्यक्ष, अगर सदन में कुछ जिक्र किया जाता है तो सरकार उसको फिजूल समझती है। लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, चाहे मैं किसी विचारधारा को सही समझता हूं, चाहे उस विचारधारा को सरकार स्वीकार करे या न करे, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उस पर प्रकाश डालना मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ। इसी बात को दृष्टिकोण में रख कर जो संशोधन धारा २४ को लोप करने का रखा है वह बिल्कुल स्वीकार न किया जाय।

माननीय अध्यक्ष, पहले जो संशोधन आया २१ दिन की बजाय १४ दिन कर दिया वह स्वीकार हो गया। उसके बाद में इस रूल के अन्दर जो पाबन्दी लगी हुई थी मेम्बर्स को दस दिन पहले जो प्रोवीजनल बेसिस पर प्रोग्राम बनता है वह मिल जाना चाहिये इसको भी लोप कराना चाहते हैं........

श्री अध्यक्ष—यह रहने दिया जावे।

श्री सोहनलाल भटनागर—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपने संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the house to allow shri Bhatnagar to withdraw his amendment.

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर—अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम २४ स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम २५

श्री भैंरूं सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस पर अमेन्डमेन्ट मूव नहीं करें तो अच्छा हो, नहीं तो हमें झूठ-मूठ बोलना होगा।

श्री अध्यक्ष—This will not be feasible. Leave it to the discretion of this office.

श्री भैरू सिंह—डिस्क्रीशन के लिये आगे भी प्रोवीजो है।

अध्यक्ष—Sometimes this cffice circulates the List of Business weeks in advance and we cannot say on account of uncertain canditions that within twenty-four hours this Bill will be takcn. So we cannot bind ourselves.

श्री भैरू सिंह—उस समय डिस्क्रीशन एप्लाई किया जा सकता है, unless the Speaker otherwise directs.

श्री अध्यक्ष—We take every possible opportunity to circulate as soon as we receive Bills from the Government. This Office cannot take it that we will circulate within 24 hours; more often the members do not bring copies. They come to the House and take office copios, take office amendments and then they want to bind down my office that we must circulate within twenty-four hours. I think, looking to all practical aspects of the question, it does not seem to me proper.

श्री भैरू सिंह (१६)—इसमें एक दिक्कत आती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कई दफा ऐसा होता है कि जिस दिन म्युनिसिपल बिल डिस्कस किया जाने वाला होता है उस दिन यहां पता चलता है कि रुल्स ओफ बिज़नेस पर डिसकशन होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम तैयार होकर नहीं आ सकते। एक दफा ऐसा मोका भी आया था कि जिस समय हम म्युनिसिपल बिल पर विचार करने वाले थे, जब सदन में आये तो हमें टेबल पर रखा कागज मिलता है कि आज तो टिनेन्सी बिल और राजगामी सम्पति नियमन विधेयक पर विचार होगा तो ऐसी स्थिति में जो २४ घंटे की बाइन्डिंग रखी है वह अवश्य रहनी चाहिये। इसके अलावा डिस्क्रीशनरी पॉवर्स तो आप यूज़ कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—That was due to exceptional and over-riding circumstances, otherwise we do, nt have such things.

These rules must concur with the Rules of other States Legislatures. There cannot be specific rules which do not concur with the Rules framed by other legislatures.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, इस नियम के (ए), (बी), (सी) भाग हैं उनमें बहुत साफ दे दिया है "(2) Unless the Speaker otherwise directs—

(a) the business for the day shall be transacted in the order in which it appears in the List of Business;

[श्री श्रीदास गोयल]

(c) no business requiring notice shall be set down for a day earlier than the period of necessary notice in respect of such business."

इसके साथ जो भाग बी है उसमें यह जरूरी है कि माननीय स्पीकर का विश्वास लेकर चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—The hon'ble members look only to their convenience and not to the convenience of the Government which have so many functions to perform. They have got certain difficulties which the hon'ble members should take into account.

श्री अध्यक्ष—(श्री सोहनलाल भटनागर से) I think for the deletion of 'twenty four hours' in Rule 25 (1) there should be no objection. आप अमेन्डमेन्ट मूव कर दीजिये।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैंने पहले ही मूव कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २५ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम २५, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय

(स्वीकृत)

नियम २५, संशोधित रूप में, स्वीकार किय गया।

(विराम)

नियम २६ व २७

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि नियम २६ व २७ स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

नियम २६ व २७ स्वीकार किये गये ।

(विराम)

नियम २८, इस पर एक संशोधन है जिसे मूव किया हुआ समझ लिया जाय ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन नियम २८ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम २८ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

नियम २८ संशोधित रुप में स्वीकार किया गया ।

(विराम)

नियम २९

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम २९ को स्वीकर किया जाय ।

(स्वीकृत)

नियम २९ स्वीकार किया गया ।

(विराम)

नियम ३० से ३२

(विराम)

Page No 81

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि नियम ३०, ३१ व ३२ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

नियम ३०, ३१ व ३२ स्वीकृत हुए।

(विराम)

Rule 33. Amendment of Shri Bhatnagar to delete this rule.

(विराम)

This is for the Government to say whether this is to be retained or deleted.

If we can conveniently apopt, it ls all right, but conveniently if we cannot, delete it.

श्री भैरूंसिंह—इस रूल की कोई आवश्यकता नहीं।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन रूल ३३ में श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय

(स्वीकृत)

रूल ३३ डिलीट किया।

(विराम)

नियम ३४ से ३७

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ३४, ३५, ३६ और ३७ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

नियम ३४ से ३७ स्वीकार किये गये।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—There is a novel procedure adopted by the Select Committee regarding this. All the reasons cannot be mentioned because thousands of questions are received and as such if the office were to give reasons for rejecting them, it will be very difficult. So the amendment of sub-rule [2] by way of substitution is moved by Shri Sohanlal Bhatnagar and we can take it.

श्री भैरूंसिंह—"If a question is dis-allowed the Secretary shall give intimation to the member that his question has been dis-allowed."

थोडा सा संकेत होना चाहिये, किस कारण हुआ है?

श्री अध्यक्ष—The office is kept open to all the hon'ble members and they generally go and see all the files. Their requests are heeded to and ultimately after discussions if their request is accepted, the question is admitted. But if the hon' ble members should contemplate and want all the details to be intimated to the members in writing it will be difficult. The questions are sometimes on ten points, fifteen points and if details are being given on all points, I think, it will not be possible. Look to the practical side and not the sole convenience of the hon'ble members.

So we can take it [amendment] as moved

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन नियम ३८ (२) में श्री सोहनलाल ने रक्खा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ३८ के उपनियम (२) का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ३८, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

नियम ३८, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

[विराम]

नियम ३९।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, रूल ३९ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार से है:

"If in the opinion of the Speaker any question put down for oral answer is of such a nature that a written reply would be more appropriate the Speaker may direct that such question be placed in the list of questions for written answer.

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call upon the member who has given notice of a question for oral answer to state in brief his reasons for desiring an oral answer and, after considering the same, may direct that the question be included in the list of questions for written answer."

[श्री सोहनलाल भटनागर]

तो ओरिजिनल जो इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में है उसमें यह था :

'after calling upon the member who has given notice of the question.

तो अगर एक तो ओरल क्वेश्चन को रिटन में क्वेश्चन करने के लिये स्पीकर पर छोड़ते हैं तो माननीय सदस्य को वे बुलाते, उसको मौका देते और इसके बाद निर्णय करते कि आया यह रिटन रक्खा जावे या ओरल ही। इसके बाद प्रोवीजन रख दिया है।

"[2] when the Speaker makes any such direction as is referred to in sub rule [1] the Secretary shall send intimation of the same to the member concerned"

इसके बाद यह होता है कि उसको मौका भी दे दिया गया। इसके बाद इन्टीमेशन भी देना जरुरी होगा। यह प्रोसीजर भी कम्प्लीकेटेड होगा और बिना कारण लिखा पढ़ी इसकी बढेगी और स्पीकर में विश्वास भी नहीं बढ़ेगा इसलिये यह रक्खा गया है। इससे स्पीकर में विश्वास भी रखना चाहिये कि आया यह ओरल रक्खा जावे या रिटन रक्खा जावे। इसके लिये वे अपना डिस्क्रीशन एक्सरसाइज़ करेंगे। उस सदस्य को बोलना है और इसके बाद एक्सप्लेन करने का मौका देना है, यह चीज भी मेरे संशोधन से रह जावेगी और उसको भी मोका दिया जावेगा, इसलिये इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये। इसमें स्पीकर पर अधिक विश्वास किया गया है।

श्री अध्यक्ष— This is another Rule in which there is a departure from the Lok Sabha Rules. I think I should put it to vote. प्रश्न यह कि रुल ३६ के अन्दर जो ....

श्री श्रीदास गोयल— यह जो संशोधन है इसको रखते वक्त यह ख्याल रखा गया है कि बिल में यह जो प्रोवीजन है उसमें लाजिमी तौर से सम्बन्धित मेम्बर को बुलाना ही पडेगा पर माननीय मेरे मित्र इसे अच्छी तरह से पढ़ते तो उन्हें मालूम होजाता कि इसमें 'If necessary' शब्द रक्खा हुआ है जो बहुत क्लियर इन्डीकेशन दे रहा है। यह जरुरी नहीं है कि माननीय किसी सदस्य को बोलना हो तो जो आपने रीज़न दिये वे उस पर लागू होते हों। ऐसी स्थिति में जो रीज़न्स प्रस्तावक महोदय ने अपने अमेन्डमेन्ट के साथ दिये हैं वे फबते नहीं। इसलिये जो अमेन्डमेन्ट लाये हैं उसमें और कोई ठोस रीज़न हो सकता है पर आपने जो रीज़न बताया वह तो ठोस नहीं है जिसके द्वारा इस पुराने बिल के अनुसार क्लॉज बदलवाना है। एक बात इससे यह जरुर सामने आ जाती है कि दोनों में कोमन आ गया। चाहे तो बुलावे, और मुनासिब नहीं समझे तो नहीं बुलावे, किन्हीं भी कारणों से पोलिसी या एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से तो वह ओरल आन्सर के बदले रिटन पहुंच जावे। पर यह जो सुझाव दिया गया है इसमें और क्या भावना निहित है, यह समझ में आया नहीं। लाइटली ले लिया जावे या कैसे क्या किया जावे ?

श्री अध्यक्ष—There is no question of taking lightly or heavily. The question isthat often it has been seen that many of the questions instead of being stared or unstarred should be treated as unstarred or starred respectively. In questiens where the information sought is very lengthy, the Speaker can atonce decide that instead of having answers orally, they should be treated as unstarred questions and brought before the House. So the main purpose of seeking information is not disturbed. The difference is only of the languege. The language which seeks that invariably in all questions the Speaker must call upon the member and decide that is not desirable under these Rules and there is an amendment to deviate from that.

प्रश्न यह है कि नियम ३६ में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

नियम ३६ का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ३६ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

नियम ३६, संशोधित रुप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम ४०

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ४० को संशोधित रुप से स्वीकार किया जावे।

श्री भैरुसिंह— माननीय अध्यक्ष, इसमें थोडा निवेदन करना है। यह संशोधन नियम ४० के भाग (२) को लेकर करने की बात है, जिसमें है—

" Printed copies of starred questions to be answered on a particular day shall be circulated amongst the members latest by the previous evening

[श्री भैरूंसिंह]

आज तक ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं आई कि सदन के सदस्य को ऐसी शिकायत रही हो कि क्वेश्चन की प्रिन्टेड कॉपी समय से पहले नहीं मिलती और ऐसी शिकायत यदि रही होती कि हमें समय पर कापी नही मिलती है तो यह भी शिकायत रही होगी कि इसके कारण हम क्वेश्चन के बारे में तैयार होकर नहीं आते हैं। वैसी सूरत में यदि किसी खास तौर से क्वेश्चन सरकूलर करने के बारे में हम कोई भी नियम बनाते तो मैं समझता हूं कि कोई बात विचारणीय थी। पर जब हम किसी चीज को खास तौर से प्रैस्काइब करना चाहते हैं, समय निर्धारित करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक भावना है कि पीछे कभी गड़बड़ी हो सकती है। और इसके कारण सदन के सदस्य यही क्लेम नहीं कर सकें कि हम जो क्वेश्चन ५ मिनिट पहले सरकूलर हुआ है उसमे हम आज तैयार होकर नहीं आये कि हम सप्लीमेन्टरी कैसे पूछें ? माननीय अध्यक्ष, जिस तरह से विधान सभा के सचिवालय को आपत्ति है कि कभी कापियां छपती नहीं, कभी देरी से मिलती हैं और इसलिये सरकूलेट समय पर नहीं करवा सकते, इसी तरह से मेम्बर को भी दिक्कत है और वह दो ढाई सौ क्वेश्चन पूछने के लिये देता है, उसका सरकार क्या जवाब देगी ? इसका सप्लीमेन्टरी क्या हो सकता है, ये सारी बातें उसके मस्तिष्क में रहें, यह उसके लिये भी सम्भव नहीं है। तो कई मेम्बरों को याद दानी के सम्बन्ध में भी दिक्कत आ सकती है और यदि वे क्वेश्चन पहले मिल जाते हैं तो सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन को देखेंगे, सारे पेपर्स को देखेंगे, जिनके आधार पर सवाल फ्रेम करके सदन में पूछने के लिये आता है। वहां यह नियम बना तो अब उसे डिलीट करते हैं तो शायद यह भी कल्पना कर दी गई है। सदन में क्वेश्चन पूछने को मजबूर कर दे तो इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि २४ घंटे की बात को हटा दें। तो इस सूरत में क्वेश्चन का........

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—I come to the point. We have absolutely no inconvenience in keeping this rule, but all these rules. I may request the Hon'ble members, are not in details; they are only ot directive nature. We have been circulating the copies of the starred questions, week in advance to the member. I have absolutely no objection, but what will be anybody who will look to all these details think of us. We have been circulating the copies 5 days before, a week before, so what is the use of keeping such rules and sub-rules. Our endeavour has always been to give the utmost facilities to the members but if the members, out of any motive want to bind down everything in detail this is not possible. I think such sort of little details will not help the members. We have always been trying and the members should have no apprehension to the contrary. We are doing every thing, and this house knows it for giving all sorts of facilities by this office and in respect of whatever information we get from the Government. There should not be any resentment or agitation over this

—

श्री भैंरू सिंह—कई दफा यह दिक्कत आती है।

श्री अध्यक्ष—We are here to solve. We can evolve any rules by way of mutual dicsussions and all that. We can keep this rule if the Hon'ble member is very particular about this. We have no objection.

श्री श्रीदास गोयल—It is not necessary to keep it.

श्री अध्यक्ष—There has never been any diffficulty, in regard to the starred questions.

श्री भैंरू सिंह—यह तो मैंने पहले कह दिया है।

श्री अध्यक्ष—Other difficulties are only imaginary and if there are really difficulties the Hon 'ble member can come to me and discuss. We have to solve those difficulties.

प्रश्न यह है कि नियम ४० के अन्तर्गत जो संशोधन श्री मोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(संशोधन स्वीकृत)

नियम ४० में संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ४०, को संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ४० संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

Now again in rule 41 there is the same thing, I may say We have circulated notices to the treasury Benhces about giving the copies of longthy answers to the members and those directives are as good as they are endorsed in these rules, but then sometimes there is no compliance. How can the Hon'ble Member force them. It is only good will and ourtesies which can force the Hon'ble Members to get the delivery of the copies made.

श्री भैंरू सिंह—लेकिन मेम्बर्स उसमें ऐसा लिखकर भेजते हैं कि सदन की मेज पर रख दी जाय।

Page No 87

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है।

But sometimes the Ministers do not get enough time to place those questions on the table of the House, and sometimes they forget, but we can only compel them by way of mutual cooperation. We cannot bind them down, and if the rules are strictly followed, we can only draw their attention and request them to be more effective in complying with the rules.

श्री भैरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, यह चीज रात दिन होने वाली है। हमेशा मेम्बर्स को शिकायत रही है।

श्री अध्यक्ष—We should hope to improve all those things not by creating bitterness and despleasure. We can improve all these matters.

श्री भैरू सिंह—उधर से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—Wordings and other restrictions of these rules cannot be followed in the proper functioning of the rules of the conduct of business. Yes 38 [2]

श्री भैरू सिंह एवं अन्य सदस्य—41, Sir.

श्री अध्यक्ष—Yes 41. I am sorry.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, यह प्रोवीजन लेन्थी क्वेश्चन्स और उनके आन्सर्स के बारे में है। कई दफा सदन के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि लेन्थी आन्सर्स में सदन का समय बिना किसी कारण से बरबाद होता है, और सदन में उन क्वेश्चन्स का आन्सर देना नेसेसरी नहीं होता है। ज्यादातर ऐसी सूरत में जहां कहीं लेन्थी आन्सर इतना नेसेसरी हो तो उसके साथ में कापी हो तो वह माननीय सदस्य जिसने कि उस प्रश्न को पूछा है उनके पास चली जाय।

"Answers laid on the table:-[1] Lengthy answers to starred questions may, on statement by the Minister concerned, be placed on the table of the Assembly without being read, but a copy in such case may be delivered to the member asking such question in advance of the answer being placed on the table."

तो मेरे इस एमेंडमेंट से भी वह प्रश्न हल होजाता है। और माननीय सदस्य को वह कापी मिलनी चाहिए वह भी इसके अन्दर प्रोवीज़न मौजूद है। दूसरे पहले जो प्रोवीज़न्स दिये गये हैं सब-क्लॉज़

Page No 88

[श्री सोहनलाल भटनागर]

१ और सब क्लॉज (२) में भी वही भावना है जो कि मैंने बताई है। उसके बाद नोटिस आफिस में जाकर १५ मिनट पहले ले लें और जो ८. १५ बजे कापी लेने का प्रोसीजर रखा है वह प्रेक्टिस की बातें रखी हैं वह मेरे खयाल से प्रोसीजर के अन्दर आने की बातें नहीं हैं। सदन और माननीय अध्यक्ष के आदेश का सरकार को अवश्य पालन करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में प्रोवीज़न रखा है कि जो प्रश्न अनावश्यक है उसकी एक कापी सदन के सदस्य को जिन्होंने कि क्वेश्चन पूछा है उन्हें अवश्य मिल जाय। यह भावना मेरे एमेंडमेंट में निहित है। ऐसा सूरत में मेरा एमेंडमेंट जो है सब क्लॉज २ में वह इस प्रकार है:—

"If any member does not distinguish his question by a star it shall not be answer orally but the Minister to whom it is addressed shall lay the answer on the table."

तो कई माननीय सदस्य ऐसा भी करते हैं कि स्टार्ड और अनस्टार्ड दोनों में कोई भेद नहीं लिखते हैं, वैसी सूरत में यह प्रोवीज़न कर दिया है कि लिखित रूप से वह जवाब देवें।

श्री अध्यक्ष—कोम्प्लायेन्स इसकी कम होती है। इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाइये।

श्री रामकिशोर व्यास—कोम्प्लायेन्स काफी होती है, पहले से ज्यादा होती है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, जहां तक कम्प्लायेन्स का प्रश्न है, कन्वेन्शन अपना यह था कि पहले प्रोसीजरल रूल में वर्ड था तो भी माननीय अध्यक्ष ने कन्वेन्शन डाला कि जरूर मिल जाना चाहिये, यानी लेन्थी आन्सर टेबिल पर समय से पहले पहुंच जाय और इस एमेंडमेंट के द्वारा मौजूदा रूल में जो 'शेल' वर्ड है उसकी जगह 'मे' रखा गया है और जैसा कि माननीय डिप्टी लीडर महोदय ने आश्वासन दिया है और उस परम्परा को कायम रखने के लिए और भविष्य को देखते हुए जो परम्परा है उसको कायम रखेंगे। जो भी आन्सर्स हैं वह अच्छा हो कि मिल जांय तो उनके मुताल्लिक सप्लीमेन्ट्री पूछे जा सकें। इसलिए वह मिल जाने चाहिए।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, यह जो एमेंडमेंट रखा गया है उसमें बजाय "में" के "शेल" वर्ड कर दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—It will not help much.

श्री वेदपाल त्यागी—इस रूल का वायलेशन ज्यादा होता है, जवाब नहीं मिलते हैं समय पर। यह डिस्क्रीशनरी है उनको वायलेशन करने का मौका मिल जाता है। वह यदि डिस्क्रीशनरी नहीं होगा तो शायद ज्यादा फोर्सफुल होगा।

श्री रामकिशोर व्यास—हिन्दुस्तान में और जगह भी "मे" है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि रूल ४१ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर का है उस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ४१ का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ४१ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ४१ को संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम ४२ से ४८.

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, और ४८ स्वीकार किये जायँ।

(स्वीकृत)

नियम ४२ से ४८ तक स्वीकार किये गये।

(विराम)

नियम ४९, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, मेरा यह प्रस्ताव है कि क्लॉज़ (नियम) ४९ को डिलीट कर दिया जाय। इसमें यह दिया हुआ है :

"Where a reference is made to a member in connection with the notice of a question the date on which a reply is received from him shall be deemded to be the date of the notice of the question."

अध्यक्ष—That is a usual practice. There should be no rule for this.

श्री सोहनलाल भटनागर—प्रेक्टिस की बात है। रूल में उसका रखना बेकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ४६ को डिलीट किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ और इस रूल को डिलीट किया जाता है।

(विराम)

नियम ५०

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ५० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ५० स्वीकार किया गया।

जैसा नियम ५१ में है १२॥ से १। तो १२॥ से १ बजे तक के टाइम को डिलीट किया जाय।

श्री भैंरू सिंह—तो फिर ४॥ से ५ बजे का किया जाय।

श्री अध्यक्ष—कोन्सिक्वेन्श्यल ४॥ से ५ कर दें। (विराम) वह हो जायगा "as you deem fit." पूरा हाफ एन आवर यहां रख दें, कोन्सिक्वेन्शीयल क्यों रखे। इन व्यू ऑफ अमेन्डमेन्ट इसको रख दिया जाय। वह तो राइज़िंग अवर्स में होता है। (विराम) Time is not necessary.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन नियम ५१ में श्री सोहनलाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि नियम ५१, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ५१, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम ५२ से ६२

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१ और ६२ स्वीकार किये जायं?

(स्वीकृत)

नियम ५२ से ६२ तक स्वीकार किये गये।

(विराम)

नियम ६३

(विराम)

नियम ६३, इसमें कोरम का सवाल है: Quorm of the Privileges committee.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, प्रिविलेज कमेटी का कोरम होता है ४ का, लेकिन माननीय सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं इसलिए ४ की बजाय ३ का कोरम कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आने का वादा करें तो चार ही रख दें, नहीं तो कम कर दें।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, यह मामूली कमेटी नहीं है इस लिए इसमें कोरम थोड़ा न रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—अक्सर आते नहीं हैं इन्वेरियबली, चेयरमेन की रिपोर्ट्स में है। Member do not attend willingly.

श्री वेदपाल त्यागी—हम तो बराबर आते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, ऐसा उल्लेख रखें कि वे आयें। लेकिन उनकी वजह से संख्या कम करें।........

श्री अध्यक्ष—पूरा हाउस करेगा। लोग कभी कभी बाहर से आते हैं। They travel so many miles and then the Quorum is not complete and this is unnecssary expenditure to thc State exchequer.

श्री श्रीदास गोयल—शुरू से होता है तो अखीर तक चलता रहता है।

श्री अध्यक्ष—But the experience shows it.

श्री वेदपाल त्यागी—४ ही रहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—A ll right. Any way we take it that amendmentto Rule 63 is not pressed.

प्रश्न यह है कि श्री भटनागर को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ६३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ६३ स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम ६४

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ६४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ६४ स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

नियम ६५

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, नियम ६५ में प्रिविलेज कमेटी के सामने कोई एवीडेन्स हो तो उसके सम्बन्ध में प्रोसिजर दिया हुआ है। आया यह रिलेवेन्ट है या नहीं। कोर्टस में भी यह ऐसी परिस्थिति होती है और प्रेसाइडिंग ओफिसर को भी यह डिसाइड करना पड़ता है। मेरा यह प्रस्ताव है कि रिलेवेन्सी के लिए कोई क्वेश्चन होगा तो उसको स्पीकर को रेफर किया जायगा और उसका डिसीज़न फाइनल होगा।

दूसरी चीज़ है जो दूसरे प्रोविज़ो में रखी है :

"Provided that Government may decline to produce a document on the ground that its disclosure would be prejudicial to the safety or interest of State."

यह भी पहले से मौजूद है। इसका कोन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट होता है। दूसरा चेयरमेन की जगह सेक्रेटरी रखा है। यह ऐसा कोई आम सवाल नहीं है कि जिसको सदन स्वीकार न करे।

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन आया है जिस का दूसरा जो प्रोविज़ो है वह प्रोविज़ो माननीय अध्यक्ष, बहुत ही घातक है।

श्री अध्यक्ष — आप लोक सभा के रूल्स देख लीजिये।

श्री भैंरू सिंह—वे पहले के बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—Latest

श्री भैंरू सिंह—लेटेस्ट रूल्स में भी माननीय अध्यक्ष, जहां तक यह बात आती है कि स्पीकर को अधिकार दें, डोकुमेन्ट्स के प्रोडक्शन और रिलेवेन्सी के लिए, वे तो ठीक हैं, लेकिन गवर्नमेन्ट को यह अधिकार दें और गवर्नमेन्ट यह सोचे कि वह तो पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है इसको पब्लिक इन्ट्रेस्ट में बताना अच्छा नहीं है, तो वह तो एक बुरी चीज़ होगी। जब हमने यह स्वीकार कर लिया है कि प्रिविलेज कमेटी में किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में जो डेकोमेन्टस देने के रूप में आते हैं तो क्या वे डोकोमेन्ट रिलेवेन्ट हैं या नहीं और उनकी रिलिवेन्सी के बारे में डिस्प्यूट है तो वह कौन तय करेगा ? यह जो रेकार्ड मांग रहे हैं वह रिलेवेन्ट है या नहीं है और यह निश्चय हो जाता है कि यह रिकार्ड रिलेवेन्ट हैं और उसके बाद भी गवर्नमेन्ट ठीक नहीं समझती है उसको पेश करना। उसको पेश करने में पब्लिक इन्ट्रेस्ट की भावना को लेकर उसको पेश न करें तो वहां इसलिए पब्लिक इन्ट्रेस्ट का सवाल आता है, माननीय अध्यक्ष भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितनी कि सरकार है। सरकार के मंत्री लोग यह जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि सार्वजनिक दृष्टि से तो

[श्री भैंरूसिंह]

सोचने का काम केवल मंत्रियों का है और यदि वे ऐसा सोचेंगे तो यह संकीर्णता होगी। मंत्रियो की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही सदस्यों की भी जिम्मेदारी है और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष की है। माननीय अध्यक्ष, ऐसे निर्णय पर पहुंच जावें कि यह रिलेवेन्ट रेकर्ड है और वह रिलेवेन्ट रेकर्ड पेश होना चाहिए और इस निर्णय पर पहूंचने पर भी कि यह रिलेवेन्ट रेकर्ड है और वह पेश होना चाहिए फिर भी सरकार को यह अधिकार दें कि यदि सरकार ऐसा चाहे कि यह सार्वजनिक हित में नहीं है और सार्वजनिक हित की दृष्टि से यह पेश नहीं होना चाहिए तो इस अधिकार की आड लेकर उस डोक्यूमेन्ट को पेश नहीं करेगी। हमारे पास इतनी नजीरें हैं और यह बता दूं कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट की आढ लेकर कई डाक्यूमेन्ट्स पेश नहीं करती है और यह कह कर टाल दिया जाता है कि यह तो पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—These amendments are based on these experiences.

श्री भैंरूसिंह—जहां सरकारी प्रूफ है........

श्री अध्यक्ष—Rules are incorporated.

श्री भैंरूसिंह—पब्लिक इन्ट्रेस्ट में एक्सपोज़ करना अच्छा नहीं है, पब्लिक इन्ट्रेस्ट डिफाइन नहीं है। सरकार चाहे वैसा उसका अर्थ निकाले। अगर सरकार कहीं अपने को रोंग बांक्स में महसूस करे तो सरकार यह कह सकती है कि यह सार्वजनिक हित में नहीं है और इसलिए इसको एक्सपोज़ नहीं किया जाना चाहिए, या माननीय अध्यक्ष की जानकारी में आने पर भी माननीय अध्यक्ष के कहने पर भी सार्वजनिक हित में यदि सरकार नहीं समझती है तो वह उसको एक्स्पोज़ नहीं करेगी। उस पर दुबारा विचार करें और माननीय अध्यक्ष भी ऐसे निर्णय पर पहुंचे कि सार्वजनिक दृष्टि से उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बिना उनकी राय जाने ही अगर सरकार अपने पास यह अधिकार रखती है कि चूंकि यह सार्वजनिक दृष्टि से इसको एक्स्पोज़ करना ठीक नहीं है इसलिए इसको एक्स्पोज़ नहीं कर सकती। सरकार के मंत्री जिम्मेदार है, सदन के सदस्य भी उतने ही जिम्मेदार हैं और सब से बढ़ कर माननीय अध्यक्ष जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार केवल अपनी ही दृष्टि से उसको सार्वजनिक हित में एक्स्पोज़ न करने के लिए समझ कर एक्स्पोज़ न करे और उससे जनता को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो तो यह सदस्यों के प्रति गैर जिम्मेदारी से सोचना है। आप हमें अधिकार न दें, लेकिन इसके लिए माननीय अध्यक्ष को तो अधिकार रहने चाहिए कि किसी भी डिस्प्यूट को तय करने में अन्तिम ओथोरिटी उनकी होगी। इसलिए जो दूसरा प्रोविज़ो माननीय सोहनलालजी ने रखा है उसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं।

श्री सोहनलाल—वह तो पहले ही से मौजूद है।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को देखने का नुक्ते निगाह दूसरा होना चाहिये और वह यह कि सदन की स्थिति जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। यह कमेटी सदन की तरफ से बनाई जाती है और वह मिनेचर रूप में सदन की ओर से ही काम करती है, इसलिए जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, मैं जानता हूं कि जिस जिम्मेदारी से सरकार एक्ट करती है उसी जिम्मेदारी से कमेटी के चेयरमेन एक्ट करते हैं। जहां कहीं डिस्प्यूट का प्रश्न आता है तो रेफर करना चाहिये स्पीकर को। जब किसी डोक्यूमेंट को दिखाने न दिखाने का प्रश्न आता है तो उसका डिस्क्रीशन सरकार तक ही रखा कि चाहे तो दिखावे नहीं चाहे तो नही दिखावे, तो यह गलत चीज है। सरकार गलत चीज को कभी नहीं दिखाती है ऐसा हमारा एक्सपीरियेन्स है। उसको देखते हुए हमारे यहां जो नियम रखा है वह ठीक है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि सरकार प्रिविलेजेज कमेटी के चेयरमेन में विश्वास नहीं करती है तो हरेक सदस्य का विश्वास सदन के अध्यक्ष में अवश्य है तो अल्टीमेटली ऐसे मामलों में सदन के अध्यक्ष को रेफर करना चाहिये और वे यदि सोचें कि ये या कागजात दिखाने वाजिब नहीं हैं तो नहीं दिखावें और अगर दिखाना वाजिब है तो वे डोक्यूमेंटस् दिखाने चाहिये। मैं समझता हूं यह संशोधन स्वीकार नहीं होना चाहिये और अल्टीमेट ओथोरिटी स्पीकर को होनी चाहिये कि कोई डोक्यूमेंट दिखाना चाहिये या नहीं इसका निर्णय करें। हरेक चीज को पब्लिक इम्पोरटेन्स की कही जा सकती है। यदि उसी को दूसरे पहलू से देखा जाय तो वह इतनी इम्पोरटेन्स की दिखाई नहीं भी दे। ऐसी सूरत में, क्यों कि सदन के अध्यक्ष महोदय इतने ही जिम्मेदार हैं इस लिये, अध्यक्ष महोदय के पास ही इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि प्रोविज़ो डिलीट करना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—इस रूल के पेरेलल रूल १५२ लोक सभा का है, संभवतः उसी को आधार मानते हुऐ ईस प्रकार को प्रोविज़ो एड किया है। मैं निवेदन करूं कि अलग अलग स्थानों की अलग अलग परिस्थिति है। साथ ही वहां यदि कोई रूल बना दिया है तो वह हमारे लिये ब्रह्म वाक्य हो जाय वह अच्छा नहीं कई जगह हमारे दृष्टिकोण से........

श्री अध्यक्ष—Not that. The privileges are governed by the House of Commons. We cannot create privileges, We cannot lay down new Rules for the Privileges.

श्री वेदपाल त्यागी— can lay down Rules of Procedure. We cannot create new privileges.

श्री अध्यक्ष—No, they must be in consonance with those prevailing in the House of Commons. We cannot depart from those. The Constitution is there.

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पोइन्ट पर रिलेवेन्ट बुक को स्टडी नहीं किया.......

श्री अध्यक्ष—The Contitution is there.

श्री श्रीदास गोयल—जहां तक प्रिविलेज का सवाल है क्लॉज़ बदस्तूर कायम है । मैं बताना चाहता हूं कि कहां तक इस्तेमाल किया जाय। उसके लिये यदि डोक्यूमेन्ट की आवश्यकता पडे और यदि कोई डोक्यूमेन्ट इस प्रकार का है कि गवर्नमेन्ट उसको भेजना मंजूर नहीं करे और प्रिविलेजेज़ कमेटी को उसकी आवश्यकता है तो ऐसी इम्पोरटेन्स जज होनी चाहिये कि आया न्याय पूर्ण मार्ग अपनाने के लिये उक्त डोक्यूमेन्ट को बतलाना अच्छा होगा या नहीं, या इन दि इन्टेरेस्ट ओफ गवर्नमेन्ट एंड पब्लिक डिस्क्लोज़ करना मुनासिब है या नहीं, तो ऐसी सुरत में फाइनल शब्द मौजूद है और यह रखा है कि स्पीकर का निर्णय फाइनल हो, तो फिर प्रोविज़ो को रखना रूल का कांट्रावेन्शन करना है। इस में गवर्नमेन्ट को डिस्क्रीशन देना अजीब शब्द है विद् ड्यू रिस्पेक्ट टू लोक सभा। जो कुछ प्रोविज़ो में कहा गया है वह झगडे की बात है। किसी कारण से डोकूमेन्ट सामने नहीं आता है और यदि आता है तो जजबात ठीक नहीं हो तो स्पीकर महोदय को ऐसी सूरत में जज के स्थान पर बैठा कर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कान्सेस का ख्याल रखते हुए निर्णय देते हैं, तो उस पर ख्याल करना पडेगा और उनका निर्णय रेस्पेक्ट के लायक होता है, ऐसी सूरत में निवेदन करूंगा कि यदि प्रिविलेजेज कमेटी और सरकार एक मत नहीं है तो स्पीकर साहब का जजमेन्ट फाइनल होना चाहिये। १६० सदस्यों से बाह्य ओथोरिटी तो कोई नहीं होनी चाहिये। इसलिये जैसा पहले रखा है वैसा ही रहना चाहिये।

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि जब एक साधारण न्यायलय में जब झगड़े पड जाते हैं कि आया कोई कागज सबूत पेश करने के लिये मोजूद है या नहीं तो हम मानते हैं कि कोर्ट के प्रेसाइडिंग ओफिसर को यह अख्त्यार है कि वह निश्चित आदेश दे सकता है कि आया वह कागज पेश किया जाय या नहीं, यह हम देखते हैं कि स्पीकर महोदय तमाम सदन का विश्वास है तो फिर क्या ऐसी परेशानी पैदा होती है कि उनको अधिकार नहीं दें कि किसी कागज को पेश करने के लिये वे हां कहे या ना। दूसरी तरफ यदि सरकार को खुद को अधिकार दिया जाय कि किसी डोक्यूमेन्ट को चाहे तो पेश करे नहीं तो नहीं करे। यह तो एक अजीब तमाशा रहा, जैसे किसी भेड़िये को कहा जाय कि तुमको बकरा खाना हो तो खाओ नहीं खाना है तो मत खाओ, इसी तरह का हाल यहां हो रहा है। एक बार में जब सरकार पार्टी बन जाती है तो फिर यह उचित नहीं मालूम होता कि उनको अधिकार दिया जाय कि उसकी मर्जी हो तो कागज पेश करे नहीं तो नहीं करे। उचित यह होगा कि अध्यक्ष महोदय को अधिकार दिया जाय कि वे ठीक समझें तो अपनी राय एक निश्चित रूप में दें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह अख्त्यार स्पीकर महोदय को रखना उचित है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—रूल ६५ पर जो संशोधन पेश किया गया है वह बहुत वाजिब है क्योंकि और विधान सभाओं में जो नियम प्रचलित हैं, उनके अनुकूल ही यह नियम है। राजस्थान में जिस प्रकार का नियम बना रहे हैं उसी प्रकार का नियम लोक सभा में भी है, जो अभी नये नियम लोक सभा के लिये बने हैं उनमें इसी तरह का नियम है।

Page No 97

[श्री रामकिशोर व्यास]

और भारत की अन्य धारा सभाओं में भी इसी तरह का नियम मिलता है। यह अलग रूल बनाने की परंपरा राजस्थान सरकार डालती हो ऐसा ख्याल नहीं है। दूसरी जगह जो नियम हैं उनके अनुकूल ही यहां नियम बनाने की बात है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि किसी भी मौके पर डोक्यूमेन्टस पेश नहीं करने का अधिकार दिया जाता है, बल्कि गवर्नमेन्ट किन्हीं कारणों से पेश नहीं करना चाहे तभी पेश नहीं करने का अधिकार दिया है। पार्लियामेन्ट में भी गवर्नमेन्ट को अधिकार दिया है और धारा सभाओं में भी यह अधिकार दिया गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि रूल ६५ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ६५, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ६५, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

(विराम)

रूल ६६. इसमें श्री भटनागर का संशोधन है।

(विराम)

इसमें यह है—

"One month" for "two months."

प्रोविज़ो इस प्रकार है—

"Provided that where the House has not fixed any time for the presentation of the report, the report shall be presented within two months of the date on which reference to the Committee was made:"

(श्री भटनागर से) हां साहब, इसके बारे में आपको कुछ कहना है, एक महीना चाहिये या दो महीनें हो ?

Page No 98

श्री श्रीदास गोयल—दो महीने ही रहने चाहिये साहब, एक महीने में नहीं आयेगा तो फिर दिक्कत रहेगी।

श्री भैरूं सिंह—एक महीना काफी है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ६६ में जो संशोधन रखा है वह स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ६६, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

नियम ६६, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

रूल ६७ से ७१

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ६७, ६८, ६६, ७० और ७१ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

नियम ६७, ६८, ६९, ७० और ७१ स्वीकार किये गये।

(विराम)

७२ में शिड्यूल बढ़ाने की बात है "Intimation of the arrest of members." किस फोर्म में आना चाहिये ? यह है। ७३ में भी वही है। संशोधन इस प्रकार है—

"Substitute the words 'Authority concerned' for the words 'concerned authority' and add thereafter the words in the appropriate form set out in the Second Schedule."

Page No 99

[श्री अध्यक्ष]

We can take these amendments as moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल ७२ में जो अमेंडमेंट है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ७२, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ७२, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम ७३

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ७३ का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ७३, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ७३, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

नियम ७४

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ७४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ७४ स्वीकार किया गया।

(विराम)

Rules 74 A and 74 B.

"Arrest within the precincts of the Assembly."

श्री सोहनलाल भटनागर—७४ ए. और ७४ बी. यह है—

"Arrest within the precincts of the Assembly."

बिना स्पीकर की आज्ञा के एरेस्ट नहीं किया जाय। बी में यह है—

"A legal process, civil or criminal, shall not be served within the precincts of the Assembly without the permission of the Speaker.'

दोनों क्लॉज ऐसे हैं जिनके बारे में माननीय सदस्यों को विरोध नहीं होगा, ये दोनों संशोधन माननीय सदस्यों की लिबर्टी और स्वतन्त्रता के हैं।

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)—अमेंडमेंट आया है माननीय अध्यक्ष,........

"Arrest shall be made......"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नियम ७४ ए. और ७४ बी, में जो संशोधन हैं वे स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि नियम ७४ ए. और ७४ बी. संशोधित रूप में, स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

नियम ७४ ए. और ७४ बी., संशोधित रूप में; स्वीकार किये गये।

(विराम)

नियम ७५, श्री भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, धारा ७५ नो-कोन्फीडेन्स इन मिनिस्टरी को डील करती है। प्रजातन्त्र में मिनिस्टरी के खिलाफ नो-कोन्फीडेन्स मोशन लाना यह माननीय सदस्यों का बड़ा अधिकार है,पर साथ ही सदन को यह सोचना है कि इस अधिकार का फ्रेवोलस कॉज़ के लिये उपयोग न हो। पार्लियामेंट में और दूसरे सदनों में यह देखने में आया है कि इसके समर्थन में कितने व्यक्ति खड़े होते हैं, उस सदन के कितने प्रोपोरशन के व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है, ऐसा मद्देनजर रखे बिना प्रोविज़न रखा जावे तो कभी भी मोशन लाया जा सकता है। फ्रिवोलस तरीके से नो-कोन्फीडेन्स मोशन न लाया जाया यह इस तरह का प्रोविज़न रखते समय खयाल रखना आवश्यक है। ड्राफ्ट रूल्स में १।१० का रखा गया है—

"If the Speaker is of opinion that the motion is in order he shall read the motion to the Assembly and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than one tenth of the total number of members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted and that the motion......"

ऐसा ही आइडेन्टिकल प्रोविज़न हाउस ओफ पीपुल का २१७ है, सब रूल (२) में दिया हुआ है—

"If the Speaker is of opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than fifty members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted......"

तो इसका आधार भी ५० मेम्बरों का रखा है। ५० वे वोट हों तब वह मोशन ठीक समझा जाता है, हाउस ओफ पीपुल में करीब ५०० सदस्य हैं, उन ५०० सदस्यों के अन्दर से ५० सदस्य खडे रहें तो इसे एड्मिट किया जाय तो मेरे खयाल से यहां पर १।१० का दिया हुआ है·······

श्री भैरूंसिंह—बिलकुल ठीक है वहां भी १।१० और यहां भी १।१०।·······

श्री सोहनलाल भटनागर—मेरे खयाल से यहां पर १।१० दिया हुआ है वह बहुत ज्यादा है, इसकी बजाय १।५ कर दिया जाय।

(हंसी)

श्री भैंरूं सिंह [दांता रामगढ़]—माननीय अध्यक्ष, संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन अवश्य प्रस्तुत किया और कहना चाहते थे उसके पक्ष में, पर कह गये उसके विपक्ष ....

श्री अध्यक्ष—आप समझ गये ।

श्री भैंरूं सिंह— उन्होंने अपने संशोधन की पुष्टि में हाउस ऑफ पीपुल्स के रूल्स का हवाला देते हुए बताया कि हाउस ऑफ पीपुल्स में नो कोनफीसडेन्स मोशनके लिये ५० मेम्बर्स खड़े होकर अनुमति मागें तो मिल सकती है । उन्होंने यह भी बताया कि संसद के सदस्य ५०० हैं और ५० को खड़ा होना पड़ता है तो इस हिसाब से १ । १० होता है. उन्होंने यह जो उदाहरण दिया उसके आधार पर तो नहीं बल्कि मन माने आधार पर १।५ का रख दिया, तो मैं समझता हूँकि उन्होंने किसी दलील के आधार पर संशोधन नहीं किया,आजतक हम जिस नियमा वली के आधारपर काम करते आये थे उसमें इस बात का उल्लेख है कि२५आदमियों को खड़े हो कर इसकी अनुमतिके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । जो सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की जिस में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री टीकाराम पालीवाल और इस सदन के सरकारी पक्ष के और विरोधी पक्ष के कई जिम्मेदार सदस्य जिसके मेम्बर थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश की, १६० जिस विधान सभा के सदस्य हैं उसमें सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आये तो १६ सदस्यों को उस बात के लिये खड़े होना चाहिये कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को विचारार्थ लिया जाय, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस संख्या का यह संशोधन ला कर दुगुना करने की कोशिश की गई है, इसका क्या मतलब है ?

यह कहा जाय कि आज विरोधी पक्ष की स्ट्रेन्थ, ३७, ३८ है, अगले साल ३० ही रह जाय और आगे जा कर घटते घटते २० रह जाय, तो सरकार के खिलाफ कोई भी विरोधी दल का सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकता ।

माननीय अध्यक्ष, आज भी विरोधीदल के सदस्य इस बात को अनुभव करते हैं कि सरकार के कामों में कई खामियें हैं और उन कमियों को लेकर सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव लाया जावे लेकिन २५ सदस्यों के खड़े होने पर ही वह लाया जा सकता है और २५ सदस्य विरोधी दल में होते नहीं । मैंने स्वयं और विरोधीदल के कई सदस्यों ने यह विचार किया कि सरकार की गलत नीति रही है और सरकार ने कई गलत काम किये हैं, उनको एक्सपोज़ करने की दृष्टि से अविश्वास का प्रस्ताव लाया जावे न कि सरकार को उलटने की दृष्टि से अविश्वास का प्रस्ताव लाया जावे, लेकिन दिक्कत आती है वह यह कि २५ सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई है उसकी । विरोधीदल में एब्सेन्टीज की संख्या ज्यादा रहती है और उसका नुकसान हमको बराबर उठाना पड़ता है । हम यह सोचते थे कि सिलेक्ट कमेटी में यह संख्या २५ से कम कर दी जावेगी और इस बात के लिये हम खास तौर से मुख्य मंत्री को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सिलेक्ट कमेटी के सदस्य होने के नाते विरोधी दल के सदस्यों की दिक्कत को समझ कर इस बात का प्रोविज़न रखा कि २५ के स्थान पर १६ सदस्य अगर खड़े हो जावें तो ठीक है । लेकिन उसके बाद यह संशोधन आया कि १६ सदस्यों के स्थान पर ३२ कर दिये जावें ।

[श्री भैरूं सिंह]

माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां कहीं सरकारें बनती हैं वे बहुमत के दल की होती हैं और एक दल की सरकार का शासन रहता है। मगर दूसरा दल भी शासन के लिये उतना ही जिम्मेदार है जितना की सत्तारूढ़ दल जिम्मेदार होता है। डेमोक्रेसी में विरोधीदल का होना बहुत जरूरी है। विरोधी दल सरकार की एक प्रकार से लगाम है और सरकार को सही रास्ते पर चलाने की जिम्मेदारी विरोधी दल पर होती है। यदि सरकार विरोधी दल को समाप्त करना चाहती है तो कर सकती है, मगर मैं यह कहूँगा कि अगर डेमोक्रेसी में विरोधीदल के महत्व को नहीं समझा होता तो डेमोक्रेसी की स्थापना करने वाले उसको समाप्त करने की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जान बूझ कर विरोधी दल को रखा। ऐसा नहीं हो कि बहुमत के द्वारा अल्पमत का शिकार कर लिया जावे। इसको इसलिये रखा है कि बहुमत के लोग अपने बहुमत के आधार पर अपने बहुमत का दुरुपयोग न कर सकें और यदि वे अपने बहुमत के आधार पर अपने बहुमत का दुरुपयोग करते हैं तो उनको विरोधी दल जागरूक रखता है, पब्लिक की भावना से परिचित रखता है और इसी लिये विरोधी दल का निर्माण होना चाहिये।

आज विरोधी दल की संख्या कम है और बहुमत राजस्थान की विधान सभा में आपका ज्यादा है। पहले ८१ आदमी थे। सरकार बनती है तो बहुमत की बनती है। आपके तरफ ८१ सदस्य और दूसरी तरफ ७९ सदस्य हों और अगर ७९ व्यक्ति अपनी राय देते हैं तो उनकी राय आपके सामने कोई मायने नहीं रखती है। उनको अधिकार है कि वह सरकार की सही आलोचना करें। इसी पर विरोधी दल का महत्व बना है। विरोधी दल में एक सदस्य हो या १० सदस्य हों उनका कर्तव्य है कि जो सरकार बहुमत की है अगर वह अपने बहुमत के बल पर बहुत तेज रफतार से बे लगाम मनचाहे ढंग से दौड़ी जा रही है उस पर समय समय पर दूसरे रिसोर्सेज़ द्वारा लगाम लगाए और सरकार की आलोचना करे और उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। जब सरकार बहुमत की है तो फिर अल्पमत द्वारा नो-कोन्फीडेन्स मोशन लाने से कौनसी दिक्कत उसके सामने पेश आ जावेगी? अगर सरकार बदलनेवाली है तो निश्चित रूप से आप यह समझ लें कि १५ की संख्या रखेंगे तो भी बदल जावेगी। सरकार तो ३२ आदमियों से ८१ आदमियों का डिफरेन्स पूरा होगा तभी बदल सकती है। यहां पर कोई सरकार बदलने का प्रश्न नहीं यहां, तो अविश्वास का प्रस्ताव लाने का संबन्ध है और मैं समझता हूं कि किसी भी सदस्य को इस प्रकार का अधिकार होना चाहिये कि अगर वह सरकार की नीति को गलत समझे या सरकार की कार्यवाही उसको गलत नजर आये उसकी सूचना सरकार को दे। अगर वह यह समझे कि किसी तरह से जनता का अहित हो रहा है तो उसको यह अधिकार हो कि वह सरकार को अविश्वास का प्रस्ताव लाकर इसकी सूचना दे। माननीय अध्यक्ष, मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि अगर १५ की बात रखी जावे तो एरिस्टोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिये यह शोभा की बात हो सकती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिये यह शोभा की चीज नहीं हो सकती। आज हमको चार साल का अनुभव है। पहले आपने २५ सदस्यों की सख्या रखी आर अब आप २५ से बढ़ा कर ३२ करना चाहते हैं और वह इसलिये कि हमारी सरकार के सामने कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ

[श्री भैंरू सिंह]

जावे। माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे खास तौर से यह निवेदन करूंगा कि हम लोग जो अल्प संख्या में हैं उसके आप कस्टोडियन के रूप में हैं और इससे विरोधीदल को विशेष अधिकार हैं सरकार में सेन्सर मोशन लाने का। अगर इसको रेजिस्ट करते हैं तो मैं खुले रूप में कहूँगा कि डेमोक्रेसी के मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं। जहां १६ व्यक्ति अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते है यहां पर ८ भी ला सकते हैं। हमारे विरोधी दल में ३७ सदस्यों में से जनसंघ के तीन सदस्य हैं। अगर तीन सदस्य यह चाहते हैं कि राजस्थान में गौ हत्या नहीं होनी चाहिये और इस प्रकार का कानून नहीं बने और सरकार चाहती है कि इस तरह के कानून को। हम तीन जनसघ के आदमियों की पार्टी का सिद्धान्त है और सरकार अपने बहुमत के आधार पर कानून बनाती है तो हम तीनों आदमियों को अधिकार होना चाहिये कि सेन्सर मोशन लाकर इस पर प्रकाश डालें। अगर इस प्रकार का अधिकार दिया गया तो विरोधी दल के पार्टी के लोगों को कभी भी सरकार के खिलाफ सेन्सर मोशन लाने का अधिकार नहीं होगा और वे लोग सरकार को किसी भी प्रकार से जागरूक नहीं रख सकेंगे और न सचेत कर सकेंगे।

हमारे यहां १६० सदस्य हैं और उसका १।५ का मतलब हुआ ३२ सदस्य। पहले विरोधी दल में काफी सदस्य थे और अब सिर्फ ३७ सदस्य हो गये हैं। अगर विरोधी दल का सदस्य नहीं आए तो वह संख्या पूरी नहीं हो सकती। और जब तक ३२ सदस्य न हो अविश्वास का प्रस्ताव आ नहीं सकता। मैं माननीय होम मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव कोई रंजिश की वजह से नहीं ला रहा है, वह तो इसलिये लाया जाता है कि सरकार जो नीति काम में ले रही है वह जनता के हित में नहीं है। पब्लिक किस प्रकार की नीति चाहती है यह बताने के लिये प्रस्ताव लाया जाता है। चूंकि एक विशेष पार्टी की सरकार है वह एक विशेष सिद्धान्त के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है इसलिये सरकार के हाथ सेन्सर मोशन के द्वारा मजबूत किये जावें इसके लिये सरकार को सहयोग देना चाहते हैं, अगर सरकार उस प्रकार का सहयोग नहीं लेगी तो मैं यह कहूँगा कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी ब्यूरोक्रेटिक और एरोक्रेटिक सरकार होगी।

मैं यह निवेदन करूंगा कि आज आपकी सरकार है, आपका बहुमत है, कल दूसरी सरकार हो सकती है और आप भी चाहेंगे कि नो कोनफीडेन्स मोशन लाया जावे, आप भी नहीं ला सकेंगे। मैं यह कहूंगा कि अगर कोई गलत नीति है तो उसको सरकार को बताने की चेष्टा की जावे और उसको बताने का एक ही तरीका है और वह है अविश्वास का प्रस्ताव लाकर। लोक सभा में भी १।१० की प्रणाली को अपनाया है यानि ५०० सदस्यों में से ५० सदस्य खड़े हो कर अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं और हमारे यहां पर सिलेक्ट कमेटी में श्री चीफ मिनिस्टर ने भी ऐसी ही राय दी है और मैं यह कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर की राय को बहाल रखी जावे। इसके अलावा अगर डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाना है तो आपको इससे जरूर रखना चाहिये।

[श्री भैरूंसिंह]

माननीय अध्यक्ष, यह कहा गया है कि दूसरे प्रोविन्सेज़ में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आज कई प्रोविन्सेज़ ऐसे हो सकते हैं जिनके अन्दर इसकी आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन हमको तो स्पोर्टसमैन स्प्रिट को सामने रख कर स्पष्ट नीति के बारे में विचार करना चाहिये। और इसके लिये नो-कोनफीडेन्स मोशन लाकर उस पर विचार किया जा सकता है। कोई इस प्रकार का मोशन रंजिश की वजह से आता हो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई अच्छा काम नहीं होता है या सरकार गलत काम करती है या गलत नीति अपनाती है तो उसको एक्सपोज़ करने के लिये इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। यह विरोधी दल के सदस्यों का अधिकार है और आज उस नो-कोनफीडेन्स मोशन द्वारा सरकार की आलोचना और गलत नीति को बताने का अधिकार है वह भी उनसे छीना जा रहा है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि किसी तरह से इस अधिकार पर कुठाराघात न करें।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में महत्व पूर्ण प्रश्न है। डेमोक्रेसी में सरकार उस पार्टी की होती है जो मेजोरिटी को कमान्ड करती हैं। लेकिन जब किसी दूसरे पक्ष की मेजोरिटी बनती है तो आप चाहे तो ३२ रखें, ३५ रखे इससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं जब तक उस पक्ष के अन्दर ५१ प्रतिशत सदस्य नहीं होंगे तब तक सरकार को नहीं हटा सकते। इसलिये जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि इसके लिये कितने व्यक्ति खड़े होने चाहिये, कितने व्यक्तियों का सपोर्ट होना चाहिये नो कोनफीडेन्स मोशन आ सकता है। तो इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि किसी भी विचार धारा के लोग हों अगर वे सरकार की नीति की आलोचना करते हैं और सेन्सर मोशन लाते हैं तो वे केवल इसलिये कि सरकार की जो खामियां हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं, यही मकसद होता है नो कोनफीडेन्स मोशन लाने का। इसीलिये नो कोनफीडेन्स लाने की प्रणाली हमारे डेमोक्रेसी में चली आ रही है, अगर सरकार कोई गलत स्टेप लेती है तो अपोजिशन का कर्तव्य हो जाता है कि वे इस प्रकार का मोशन मूव करके जनता का ध्यान आकर्षित करें। और जनता में एक भावना पैदा करे जनमत के आधार पर सरकार को एक्सपोज़ करके सरकार को सही रास्ते पर लाये। अगर आप इसके लिये ३२ की संख्या रखते हैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली में तो आप इससे यह चाहते हैं इस विधान सभा में कभी इस प्रकार का मोशन न आए, क्योंकि यहां किसी पार्टी में इतने मेम्बर होने वाले नहीं, पांचवा हिस्सा अगर हम यहां रखते हैं तो यह एक प्रकार से हम उनके अधिकार को छीनना चाहते हैं। यहां कभी ३२ इकट्ठे होने वाले नहीं और न होगे। यह रखने से मैं तो यही समझा हूं कि सरकार को एक्सपोज़ होने में ज्यादा डर लगता है। पांचवे हिस्से का जो प्रोवीजन रखा है वह ठीक नहीं है। जब यह नियम सिलेक्ट कमेटी में डिस्कस हो रही थी उस समय मुख्य मंत्री भी उपस्थित थे. उन्होंने भी १।१० के प्रोवीजन को सपोर्ट किया था, उनका भी ऐसा विचार था कि मोशन आना चाहिये और उस पर वाद विवाद होना चाहिये। क्या कारण है कि उनके व्हिप साहब अमेन्डमेन्ट मूव करते हैं कि १। १० के बजाय १। ५ कर दिया जाय ? अगर इस तरह का रुख अपनाया जायगा तो डेमोक्रेसी को सुचारू

[श्री वेदपाल त्यागी]

रूप से चलाने के लिये और उसको दृढ़ बनाने के लिये यह कदम नहीं होगा बल्कि हम ऐसा करके डेमोक्रेसी के प्रति अन्याय करेंगे। इस लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन को एक अधिकार प्राप्त है कि गवर्नमेन्ट की पोलिसी को डिसकस कर सके, उसको एक्सपोज कर सके उसके तरीके को एक्सपोज कर सके यह जो आप संशोधन कर रहे हैं वह इनडाइरेक्ट तरीके से उस अधिकार को छीन रहे हैं। इसलिये जो सिलेक्ट कमेटी ने प्रोपोज किया है वही रहने दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, यह जो १।५ का अमेन्डमेन्ट है इस पर थोड़ा विचार करना आवश्यक है, अगर अपोजिशन ऐसी किसी पोलिसी को जो कि सरकार द्वारा बरती जा रही है गलत समझता हो उसको इन दी इन्टेरस्ट आफ पब्लिक अनुचित समझता हो उसे प्रदर्शित करने के लिये स्ट्रोंगली अगर नो-कोनफीडेन्स का मोशन रखा जाता है, बावजूद माइनोरटी के तो भी उस मोशन को लेने की अपोर्चुनिटी मिलनी चाहिये लेकिन यह भी जरूरी है कि वह अपोर्चुनिटी ऐसी न हो कि जिससे खिलवाड़ बन जाय, कुछ व्यक्ति खडे हों और नो कोनफीडेन्स का मोशन रख दें तो ऐसी स्थिति में बिना वजह ही हाउस का समय नष्ट होगा और यह तो मानी हुई बात है कि उस मोशन को डेथ वारन्ट हमेशा तैयार है वह पास तो हो नहीं सकेगा। ऐसी हालत में यह जो संख्या रखी है वह ऐसी होनी चाहिये कि सिरीयसनेस हो नो कोनफीडेन्स के मोशन को लाने में। इसलिये श्री भटनागरजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है और उसको रखते हुए जो उन्होने लोकसभा का उदाहरण दिया कि वहां १।१० है मेरी समझ में यह गलत सूचना है, वहां मेम्बरों की संख्या भी ५०० नहीं है बल्कि मेरे ख्याल से ४०० के है जिसमें ४० मेम्बर्स के खड़े होजाने पर ऐसा मोशन आ सकता है, जो १।८ हिस्सा हुआ। तो इसी तरह जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिये जो रूल्स बने हुए हैं उसके रूल नंबर ६६ में २५ की संख्या रखी है। १६० के हाउस में २५ की संख्या १।८ होता है जिस तरह से लोक सभा में ४०० मेम्बरों पर ५० की संख्या रखी है यह भी १।८ है, तो मेरा निवेदन यह है कि यहां पर भी १।१० न रखते हुए यदि मुनासिब समझा जाय तो राजस्थान असेम्बली के लिये जो पहले से रूल्स बने हुए हैं, जो एक संख्या २५ की निर्धारित कर रखी है, वही बदस्तूर रखी जाय ताकि सिरीयसनेस इस मोशन में वैसी की वैसी बनी रहे। ताकि अपोजिशन में जो भी जमात है वे अपनी इतनी संख्या बना करके वे अपनी बात कह सकते हैं जो पब्लिक के इन्ट्रेस्ट की हो। १।१० जो है वह बहुत हल्की सी चीज रह जाती है और १।५ भी आज के जमाने में अपोजिशन के लिये मुहैया करना ना मुमकिन है। इसलिये हमें चाहिये कि अपोजिशन की माइनोरिटी कितनी ही थिन क्यों न हो लेकिन उसको मौका मिल सके इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोक सभा में ५० की संख्या रखी गई है। जब कि यहा राजस्थान में अपोजिशन बहुत थिन हो चुका है २५ का प्रस्ताव यदि रख भी दिया जाता है तो सरकार को डरने की बात नहीं। २५ की संख्या किसी भी तरह से उनकी सरकार को हटा नहीं सकेगी, ऐसी हालत में संख्या २५ की रख दी जाय तो मुनासिब होगा।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा से यह मानता आया हूं कि अपोजिशन को अवसर पूरा देना चाहिये, किसी भी प्रकार से अपोजिशन की आवाज को दबाना उचित नहीं। एक दफा मैंने राय दी थी कि अगर पचास आदमी न हों तो क्या हो जितना हाउस का कोरम हो उतने ही आदमी नो कोनफीडेन्स मोशन के लिये काफी हैं। एक माननीय सदस्य ने अभी फरमाया कि पार्लियामेन्ट में १।८ है वह गलत है, वहां मेम्बरों की संख्या ५,०० है और वहां ५० मेम्बरों का रखा गया है जो १।१० आता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूं कि जहां लोक सभा में ५०० की तादाद पर ५० आदमी है वही यहां भी रखना चाहिये। अगर आप काफी रियायतें अपोज़िशन को देना चाहते हैं तो १।१० और थ्री फोर्थ मेम्बर्स ओफ दी अपोजिशन whichever is less रखना चाहिये, अगर अपोजिशन के मेम्बर्स १२ भी नहीं अगर १२ ही हैं तो थ्री फोर्थ खड़े हो जाने चाहिये। अगर ६ भी खड़े हो जायं तो उनको मूव करने के लिये इजाजत दी जानी चाहिये। आज जब कि रूलिंग पार्टी ओवर व्हेल्मिंग मेजोरिटी में है अगर पच्चीस मेम्बर्स भी रख दिये जाते है तो उन पर किसी प्रकार का असर पडने वाला नहीं। वे कुछ भी बातें कहना चाहें कहें इससे हमारी सरकार है वह तो टूटने वाली नहीं है, उनका शासन टूटने वाला नहीं है इसलिये जब कि हाउस की कार्यवाही चलाने के लिये १६ आदमियों का कोरम काफी है तो मेरे ख्याल से अगर नो कोनफीडेन्स के लिये १६ आदमियों की संख्या रख दी जाय तो काफी है। मान लीजिये कि कांग्रेस पार्टी के सारे के सारे मेम्बर्स बाहर चले जाय केवल १६ ही आदमी रह जाय तो वे भी चाहे जितना महत्वपूर्ण कार्य हो वे पास कर सकते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जितना आपने हाउस का कोरम रखा है यह नियम बना लीजिए कि उससे ज्यादा तादाद की डिमान्ड आप न करेंगे। अगर आप २५ का कोरम रखते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं, ५० करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं लेकिन आप जितना कोरम रखते हैं उतना ही नो कोनफीडेन्स के लिए मेम्बरों की संख्या रखिये। आपने जब १६ का कोरम रखा है तो क्या होता है बाकी आदमी आते ही नहीं, आते हैं तो लोबीज में बैठे रहते हैं मेरे जैसा तो लेट आता है। या तो आप कोरम की संख्या भी बढ़ा दीजिये और २५ की संख्या रख दीजिये जब आप कोरम को संख्या १६ रखते हैं तो २५ की संख्या रखना गलत है।

श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह तो मामला स्पष्ट है कि जब कि पार्लियामेन्ट में १।१० है तो हमारी राजस्थान असेम्बली में भी १-१० की संख्या "नो कोनफीडेन्स मोशन" के लिए होनी चाहिये। हर वक्त जब कभी कोई प्रश्न आता है तो यह कहा जाता है कि पार्लियामेन्ट में ऐसा नियम है तो हमें इसमें भी पार्लियामेंट के नियम के माफिक चलना चाहिये। इसके लिए जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है वह ठीक नहीं है, वे खुद भी १-१० को रखना उचित मानते हैं, उन्होंने गलती से अमेन्डमेन्ट दे दिया है आशा है वे वापिस लेने की कोशिश करेंगे। और सिलेक्ट कमेटी ने रखा है वैसा पास करेंगे।

श्री द्वारकादास पुरोहित— ननीय अध्यक्ष, यह मसला वाकई में गवर्नमेन्ट के लिये सोचने का है। यह हाउस हमारा जो है १६० का है और आगे बढ़कर भी १७८ का होगा। ऐसे छोटे हाउस में बहुत ज्यादा तादाद रखना यह डेमोक्रेसी के लिहाज से अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

democracy main Government to essentially a Government of breaks and checks होती है। कम से कम अपोज़ीशन को इतना मौका तो होना चाहिये कि एक तरह से वे अगर सरकार की पोलिसी से इत्तफाक नहीं करे और इस बेसिस पर नॉन कान्फीडेन्स भी लावें तो उसको डिसकस तो कर सकें और एक्सपोज भी कर सकें उसमें कुछ हो तो। इसलिये ज्यादा तादाद रखना उचित नहीं होगा। आज जो स्थिति यहां के विरोध पक्ष की है उसको देखते हुए रूलिंग पार्टी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिये यह सहूलियत देने में। उनको खुलकर इजाजत दी जानी चाहिये कि वे गवर्नमेंट की पोलिसी को क्रिटिसाइज़ करें और जो कुछ भी वे बातें करें उनको यहां ला सकें। इसलिये निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी ने जो राय दी है वह काफी ठीक है। बहुत सी जगह इस प्रकार की बात है भी। पार्लियामेन्ट में १-१० परसेन्ट है।

श्री अध्यक्ष—It is not one-tenth, it is 50.

श्री द्वारकादास पुरोहित–The number comes to 50. According to number it is 1/10th.

श्री अध्यक्ष—There is no proportion.

श्री द्वारकादास पुरोहित—यदि केल्कुलेट करें तो पार्लियामेन्ट के जितने मेम्बर हैं उनमें भी १-१० तो आ जाता है। तो ऐसी हालत में वहां भी कुछ सोचकर ही ऐसा रक्खा गया था। सिलेक्ट कमेटी में भी यही रक्खा गया था काफी सोच कर। इसका एब्यूज़ भी नहीं हो सकेगा और मौका भी अपोज़ीशन को मिल जावेगा कि वे अपनी राय हाउस में रक्खें और गवर्नमेन्ट की पोलिसी के मुताबिक अपनी राय जाहिर कर सकें। और जहां विरोधी पक्ष में ३७ ही मेम्बर हैं उसमें अगर इतने नम्बर की बात रक्खी जावे तो कभी इस सूरत में वे कोई प्रस्ताव यहां ला ही नहीं सकते और ऐसा रूल पास करना अपोज़ीशन का गला घोंटना है। इसलिये मेरी राय है कि अपोज़ीशन को खुलकर मौका देना चाहिए। हमें लिबरल बनना चाहिये इससे डेमोक्रेसी पनपेगी और ठीक ढंग से पनपेगी।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, नो कान्फीडेन्स का मोशन लाने का धारा सभाओं में हर सदस्य को अधिकार दिया गया है। लेकिन उसका कहीं दुरुपयोग न हो इसलिये उस पर कुछ रुकावटें भी रक्खी गई हैं, कुछ चैक भी रक्खा गया है। नो कान्फीडेन्स के अलावा और भी कई ऐसे मौके हैं जहां पर सरकार की नीति की आलोचना की जा सकती है और की जाती भी है। राजप्रमुख के मोशन आफ थैंक्स पर और बजट के सिलसिले में उसकी बहस पर गवर्नमेन्ट की पालिसी को क्रिटिसाइज़ करने का मौका मिलता है। तो यह कहना कि अगर इसमें यह रोक लगाई जावेगी तो अपोज़ीशन को सरकार की आलोचना करने का मौका नहीं मिलेगा यह सही नहीं है।

[श्री रामकिशोर व्यास]

और भी बहुत सी बातें सेन्टीमेन्टल और इमोशनल कही गई हैं उनका मैं जवाब देना उचित नहीं समझता।

एक बात और कही गई कि सदन के कोरम के लिए जितनी उपस्थिति रिक्विजिट हो उतनी ही संख्या इसके लिए नियत कर दी जावे। मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रोसीजर कहीं भी होगा नहीं। सब जगह इसकी संख्या कोरम से ज्यादा ही रक्खी जाती है। दिनों में फरक भी बहुत हैं। नो कोन्फीडेन्स में ज्यादा सीरियसनेस आती है और आम तौर से ज्यादा ही संख्या जगह जगह देखने को मिलती है।

और बात कही गई कि अगर संख्या ज्यादा रक्खी गई तो डेमोक्रेसी सनपेगी नहीं, तो डेमोक्रेसी का प्रयोग और दूसरी स्टेटों में किस तरह से किया जा रहा है यह देखें। और कोई डेमोक्रेसी का ५० आदमियों की संख्या रखने से राजस्थान में ही दूसरा असर होता हो ऐसी बात नहीं है। तो यह १-५ यहीं रक्खा गया है ऐसी बात नहीं है। मध्यभारत, यू० पी०, मैसोर वहां भी १-५ ही रक्खा है। ट्रावन्कोर-कोचीन में १-३ है, ईस्ट बंगाल में और हैदराबाद में १-४ रक्खा गया है। तो ऐसी बात नहीं कि राजस्थान के लिये ही यह रक्खा गया है। हमारी बराबर की दूसरी स्टेटों में भी यही है। एकाध जगह ज्यादा भी है। हमने बीच का मार्ग अपनाया है।

श्री भैंरूसिंह—On a point of Order, sir.

श्री रामकिशोर व्यास—मैं कह दूं वह तो डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन था।

श्री वेदपाल त्यागी—मेजोरिटी अपोजिशन को खत्म कर रही है।

श्री भैंरूसिंह—यह सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके आखिरी पैराग्राफ में लिखा है:—

"The Committee very much regret the delay in the submission of their report to the House, but this was inevitable in view of the fact that no particular set of rules was referred to them and that they had consequently to undertake a comparative study of the Rules of Procedure in force in the lok Sabha and in other States Legislatures in India."

तो यह जो अब कहा जा रहा है कि इस प्रांत में यह व्यवस्था है और दूसरे प्रांतों में इस प्रकार की व्यवस्था है और उसी के आधार पर यहां किया जा रहा है। तो मैंने जो पोइन्ट आफ आर्डर रेज़ किया इसी कारण से।

श्री अध्यक्ष—No point of order.

श्री भैरूंसिंह—हमारे सदन में ऐसी परम्परा थी कि सिलेक्ट कमेटी में नोट आफ डिस्सेन्ट (Note of Dissent) नहीं दिया जावे। इसके बाद कोई अमेन्डमेन्ट या तो किसी भी मेम्बर द्वारा उसमें नहीं आना चाहिये, कन्वेन्शन के तौर पर जिस मेम्बर ने उसको पूरी तरह से सिलेक्ट कमेटी में सपोर्ट किया हो उस मेम्बर को तो बाद में सदन में उसमें संशोधन नहीं लाना चाहिये। यह हमारा एक तरह का कन्वेशन रहा है। पर मुझे खेद है कि श्री रामकिशोरजी कमेटी के सदस्य होते हुए भी इस तरह का संशोधन ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—He has a right to say. You cannot deprive him of the right to say.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भटनागर ने रूल ७८ के भाग ३ में रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(मतदान के पश्चात्)

('हां' पक्ष जीता)

श्री भैरूंसिंह—नहीं साहब, 'ना' पक्ष जीता, 'ना' पक्ष जीता।

श्री वेदपाल त्यागी—'ना' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—You want to have a trial of strength or only ring.

श्री वेदपाल त्यागी—Trial of strength.

(विभाजन घन्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—(While the division bell was on) This question was discussed in the Speaker's Conference as to whether check should be put or not.

श्री वेदपाल त्यागी—What was the opinion ?

श्री अध्यक्ष—That I will say after this is voted.

श्री गोपीलाल यादव—पहले बता देवें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि....

श्री गोपीलाल यादव—आप बता दीजिये, साहब।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात)

हां पक्ष जीता, संशोधन स्वीकार किया जाता है।

भैंरूसिंह—नहीं साहब, ना पक्ष जीता। Noes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member should take my decision.

श्री भैंरू सिंह—No, Sir, counting कराइये।

श्री अध्यक्ष—Those who are in favour of the amendment should stand on their seats.

श्री वेदपाल त्यागी—Let there be a record of it, Sir.

श्री अध्यक्ष—The record will be maintained here and now. I wil just maintain the records.

The names of the dissenting members should be noted.

श्री वेदपाल त्यागी—No Sir, those who have voted for it, their names should also be noted.

अध्यक्ष—It will be noted and rechecked

(श्री सचिव से) इनके जो नोज़ में हैं नाम नोट कर लीजिये।

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि यह तरीका ठीक नहीं है। इससे हमको नुकसान होने वाला है। कई माननीय सदस्य जो हमारे पक्ष में नहीं आ सकते हैं वे बाहर तो जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—क्या इसी सपोर्ट पर आप वन टेन्थ की मेजोरिटी चाहते हैं। It is only putting a portest to it.

श्री भैंरू सिंह—इससे हमारा जबरदस्त नुकसान होने वाला है। हम तो चाहेंगे कि सब मेम्बर्स के लाबी में जाकर नाम लिखे जांय।

श्री अध्यक्ष—It is no use to have division for the Rules of conduct of Business.

श्री वेदपाल त्यागी—यह बहुत इम्पोर्टेन्ट रूल है।

श्री अध्यक्ष—(श्री सचिव से) नोज़ के नाम नोट कर लीजिये।

श्री वेदपाल त्यागी—हम लोगों के लिख लीजिये जो इधर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—उधर जाकर लिखा दीजिये।

श्री वेदपाल त्यागी—उधर वाले इधर जाकर लिखा देंगे।

श्री अध्यक्ष—जो न्यूटरल रहना चाहें वे यह कह देंगे कि न्यूटरल हैं।

श्री गोपीलाल यादव—आप अपनी राय बतला रहे थे वह बता दें।

श्री अध्यक्ष—Still you could not follow it, that was an unanimous verdict.

(पुनः विभाजन घंटी एवं विभाजन के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—So the Ayes have it. (pause) The Ayes have it.

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, कितने हां में हैं, कितने ना में हैं व कितने न्यूटरल रहे।

श्री अध्यक्ष—सारा नम्बर जानना चाहते हैं। That would be very discouraging.

श्री वेदपाल त्यागी—That will be encouraging for us, sir.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—All right. There are 35 for the support of the amendment and those against it are 6. So the Ayes have it.

(विभाजन सूची के लिए कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा।

(घंटी)

Page No 113

श्री अध्यक्ष—The member will have opportunity.

श्री भैरूं सिंह—इस सम्बन्ध में........

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order please!!

(विराम)

Amendment for Rule 75 is accepted.

(विराम)

So the question is that Rule 75 be accepted ?

श्री भैरूं सिंह—On a point of convention, sir, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order please ! Order please !!

रूल ७५

(स्वीकृत)

Rule 75, as amended, is accepted.

श्री भैरूं सिंह—Noes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Rule 75 is added to the Bill.

श्री भैरूं सिंह—On a point of order, Sir. मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—This is not convention that when the Speaker is on his legs the hon'ble member should rise and distrub.

श्री भैरूं सिंह—क्लॉज........

श्री अध्यक्ष—The rule has been passed after full opportunity was givin to the members to say, and after a division.

श्री भैंरू सिंह—क्लॉज़ के बारे में तो निवेदन करना चाहता था लेकिन........

श्री अध्यक्ष—Order please ! Rule 76

प्रश्न यह कि रूल ७६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

रूल ७६ स्वीकृत हुआ।

The Hon'ble Member should not be so hard and in anguish.

श्री भैंरू सिंह—मैं यह कहना चाहता था कि जितना बुरा हथियार हमारे ऊपर चलाना था चला दिया और हम चाहते हैं कि हमको फुल प्रोटेक्शन मिले।

श्री अध्यक्ष—I have given full protection to every member at every stage, and I can assure that full protection will be given to the Members in future also.

श्री भैंरू सिंह—लेकिन जो चलाना था सो चला दिया।

श्री अध्यक्ष—But the Hon, ble Member should not be so personal and in anguish against the Treasury Benches while passing the Rules of Business in consonance with other legialatures, if the Hon'ble Member is in such anguish and behaves so hard while the Rules of the Rules of .Procedure and Business of the House are passed while these are exactly in consonance with other Legialatures, it shows that the Hon'ble member has not studied them it is not my fault.

श्री भैंरू सिंह—उनको स्टडी करने का सवाल नहीं है। स्पीकर की कॉफ्रेंन्स में ऐसा हुआ है १। १० के बजाय १।५ करना चाहिए। स्पीकर्स की कान्फ्रेन्स में ऐसा हुआ है...

श्री अध्यक्ष—(कुछ अनौपचारिक चर्चा के पश्चात)

Now tell me one thing. Is there any single opportunity which the Speaker has refused ? It was tabled once it was discussed and it was accepted by the House. What can the majority do ? What can the rules do ? It was the numerical strenght, the opposition that carried the majority. If there are oppor-tunities to ventilate their grievances against the majority party, they are provided in the rules.

श्री वेद्पाल त्यागी—These opportunities are taken away by such rules and the opposition is denied the legitimate rights. It is callous rule of the majority. Minority is treated so badly and on the majority of their party that they substitute I/5 th insteed of 1/10 th.

That strength can be ignored. That is no guide for us. We have to frame our legislation with the condition...

श्री अध्यक्ष—It is not condition or regard. It will lead us nowhere

श्री वद्पाल त्यागी—It may lead us somewhere.

श्री अध्यक्ष—Objections and protests have been registered. Division has been made and the result was announced. What is the point ?

श्री वेद्पाल त्यागी—Our resentment against the majority on the floor of the House.

श्री अध्यक्ष— It can be shown. But the grievances should not be high and so hard. After all it is the business. At any time the opposition wants to show their grievances they can, I have extended aii the leniency to them under the rules for presenting their view points

श्री वेद्पाल त्यागी—No doubt there are many ways to put our grievances, there is no question of griovancos here but by the ways adopted by the majority to-day. Do not think that the minority may have any opportunity to put their grievances in future. They are taking our right which must be given to the minority keeping in view the number of the opposition.

श्री भैंरू सिंह—मैं, माननीय अध्यक्ष, निवेदन करूंगा।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Let us go with the busines

श्री भैंरू सिंह—हमारे ऊपर करना था सो कर दिया।\

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Come to order please ! We should not misuse the time we get here

श्री भैंरुसिंह—मिसयूज का सवाल नहीं है। नियम वही बनावें जहां कि विरोधी पक्ष को भी प्रोटेक्शन मिलता हो। मैं वाक आउट करता हूँ, जहां विरोधी भावना को कुचलने के लिए इस तरह का कार्य करें।

(घंटी)

मैं इसमें भागी नहीं हो सकता।

(घंटी)

श्री हिम्मतसिंह—We walk out on this point, sir.

श्री वेदपाल त्यागी—We cannot cooperate with this type of majority here.

श्री जवानसिंह—सिलेक्ट कमेटी की जो खिल्ली उड़ाई जा रही है........

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—order please!

(विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा वाक आउट के लिए अपनी जगह से उठ जाना)

The Select Committee is not bigger than this House.

(सदस्यों का वाक आउट करना)

विराम

रूल ७७.

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल ७७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम-७७ स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

रूल ७८

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर-माननीय अध्यक्ष, नियम ७८ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल के रेज़ोल्यूशन के बारेमें है और इसका प्रोसिजर इसमें ले डाउन किया हुआ है। मिनिस्टरीके रिमूवलके सम्बन्धमें नियम ७५ में प्रोविज़न किया गया है और १।१० के बजाय १।५ की नोकोन्फीडेन्स मोशन लाने के लिए रखा गया है। इसमें सब क्लाज ३ में दिया हुआ है कि—"The Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may be, shall thereupon, place the motion before the House and shall request those member who are in favour of leave being granted to rise in their places. If not less than one tenth of the total number of members rise accordingly, the speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may be, shall say that leave has been granted and that the resolution will be taken up on such day, not being more than ten days from the date on which leave is as asked for as he may appoint. If less than one tenth of the total number of members rise the Speaker shall inform the member that he has not leave of the House."

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने मिनिस्टरी के खिलाफ नो कोन्फीडेन्स मोशन से सम्बन्धित रूल के समय अर्ज किया था वही चीज़ स्पीकर के खिलाफ नोकोन्फीडेन्स मोशन के बारे में लागू पड़ती है। और उसके साथ ही एक बात और बढ़कर है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद बहुत ही ज्यादा उच्च है और Salutary है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सारे सदन के सदस्यों और पार्टीज़ के राइट्स के कस्टोडियन हैं। ऐसी सूरत में बहुत जरूरी हो जाता है इस बात को देखना कि कहीं ऐसा न हो जाय कि बार बार ऐसे प्रस्ताव लाये जावें जो फ्रिवलस और एब्यूज़ ऑफ पॉवर हों और मामूली कारणों से किसी एक रूलिंग या दूसरी चीज को लेकर कोई प्रस्ताव ले आवे कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटा दिया जाय, बिना मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखे ही ऐसे प्रस्ताव ले आवें इसको सेफ गार्ड करने के लिये यह जरूरी है कि इसमें जो १।१० का प्रोपोरशन है वह बहुत ज्यादा है इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि १।१० के बजाय १।५ कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन नियम ७८ में श्री सोहनलाल जी भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि रूल ७८, संशोधनानुसार स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

रूल ७८, संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम ७९ से ८४.

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ७९,८०,८१, ८२,८३ और ८४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

रूल ७९,८०,८१,८२,८३ और ८४ स्वीकार किये गये।

(विराम)

रूल ८५

श्री सोहनलाल भटनागर—अध्यक्ष महोदय, यह धारा ८५ एडजोर्नमेंट मोशन के प्रोसिजर को ले डाउन करती है। इसके अन्दर दिया हुआ है सब क्लॉज (२) में;....

"If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those mebmers who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than one-tenth of the total number of members rise accordingly, the speaker shall intimate tbat leave is granted......"

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐडजोर्नमेंट मोशन का प्रोविजन लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट में रखा है उसे स्पेरिंगली यूज़ करना चाहिये। जैसा हम देखते हैं कि छोटे मोटे मामलों के लिये एडजोर्नमेंट मोशन्स लाकर सदन का समय बर्बाद किया जाता है। जिस चीज को लाने के लिये एडजोर्नमेंट मोशन का तरीका एडोप्ट किया जाता है उसको लाने के लिये दूसरे तरीके भी हैं, जैसे हाफ एन आवर डिस्कशन, शोर्ट नोटिस क्वेश्चन आदि लाये जा सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये १।१० के प्रपोरशन का जो प्रोविजन रखा हुआ है उसके बजाय १।५ कर दिया जाय। इसके लिये ही मेरा संशोधन है।

(श्री गोपीलाल यादव, सभापति, पदासीन)

Page No 119

श्री सभापति—रूल ८५ में जो संशोधन श्री सोहनलाल जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल ८५, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

रूल ८५, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

रूल ८६

श्री सोहनलाल भटनागर—"Time for taking of the motion"; इसके लिये सिलेक्ट कमेटी ने ११ ए.एम. का समय रखा है। जैसा कि पहले के क्लॉज़ में आया है विधान सभा का समय ११ से ५ का कर दिया गया है। ऐसी सूरत में ११ बजे का समय रखा फिजूल सा रहता है। "If leave is granted, the motion shall be taken up on the same day at 11 A. M."

इसके बजाय स्पीकर के डिस्क्रीशन पर छोड़ा जाना चाहिये कि वे टाइम स्पेसिफाई करें। इसलिये मैंने अपना संशोधन रखा है: "at such time as the speaker may decide"

श्री सभापति—रूल ८६ में जो संशोधन श्री सोहनलाल जी ने रखा है क्या उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल ८६, संशोधनानुसार, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

रूल ८६, संशोधित रूप से पास हुआ।

(विराम)

रूल ८७ से ९०

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल्स ८७,८८,८९, और ९० स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

रूल्स ८७,८८,८९ और ९० पास किये गये।

(विराम)

रूल ९१

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, रूल ९१ है वह Notice of motion for leave to introduce a Bill by Private member:

उसका सब क्लॉज (३) इसमें डील करता है कि यदि कोइ बिल ऐसा है जिसको इन्ट्रोड्यूस करने के लिये राजप्रमुख या प्रेसिडेन्ट की सेन्कशन लेना आवश्यक है तो उनकी सेन्कशन कैसे ली जायगी ? इसमें मैंने जो एमेंडमेंट रखा है वह माइनर अमेन्डमेन्ट है, इसलिए उसे पास किया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि रूल ९१ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल ९१, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

रूल, ९१ संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

(विराम)

[श्री सभापति]

रूल्स ९२,९३,९४.९५,९६, ९७,९८, और ९९

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल्स ९२ से ९९ तक पास किये जायं ।

(स्वीकृत)

रूल्स ९२,९३,९४,९५,९६,९७,९८और ९९ स्वीकार किये गये ।

(विराम)

रूल १००

श्री सोहनलाल भटनागर—रूल १०० सिलेक्ट कमेटी के कंपोजिशन के बारे में हैं। ओरिजनल में यह दिया है:—"The Minister to whose department a bill relates and the member-in-charge of the Bill shall be member of every Select Committee; and it shall not be necessary......."
इसकी स्प्रिट को वैसा का वैसा रखा है, केवल शब्दों में कुछ हेर फेर मैंने अमेंडमेन्ड में सजेस्ट की है इसलिए इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सभापति—रूल १०० में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है क्या उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल १००, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

रूल १०० स्वीकार किया गया ।

श्री सोहनलल भटनागर—माननीय चेयरमेन, रूल १०१ में मेरा संशोधन यह है कि सिलेक्ट कमेटी में कोई वेकेन्सी हो जाती है, कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है, या कोई मर जाता है तो उसके लिये अभी तक कोई प्रोविजन नहीं था, उसके लिये प्रोविजन किया गया है कि असेम्बली सेशन में हो तो असेम्बली कर देगी, और अगर असेम्बली सेशन में नहीं होगी तो स्पीकर कर देंगे। यह कोई बड़ा संशोधन नहीं है, अतः इसे स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—प्रश्न यह है कि नियम १०१ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसी स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न है यह कि नियम १०१, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम १०१, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम १०२ से १०८

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७ और १०८ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

नियम १०२ से १०८ तक स्वीकार किये गये।

(विराम)

नियम १०९, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्लॉज १०९ में मेरा संशोधन यह है कि जिस प्रकार प्रिविलेज कमेटी को यह पॉवर्स हैं कि वह डोक्यूमेंट्स मंगा सकती है, एवीडेन्स रेकर्ड कर सकती है; उसी तरह के पावर्स सेलेक्ट कमेटी को भी होने चाहिए। कोई भी मेटर रिलेवेन्ट है कि नहीं। यह स्पीकर डिसाइड करेंगे और जहां गवर्नमेंट का कोई खास मामला हो तो वहां गवर्नमेण्ट डिसाइड करेगी। प्रिविलेज कमेटी के सामने जो प्रोविज़न्स थे, वही सिलेक्ट कमेटी के लिये प्रस्तुत किये हैं। मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह संशोधन को स्वीकार किया जावे।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि नियम १०९ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम १०६, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

नियम १०६, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया ।

(विराम)

नियम ११० से ११२

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ११०, १११ और ११२ स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

नियम ११०, १११ और ११२ स्वीकार किये गये ।

(विराम)

नियम ११३, श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्रीसोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, मैंने रूल ११३ के लिये प्रस्ताव किया है कि इसे विलोपित किया जाय ।

श्री सभापति—रहने दिया जाय ? आप ही लोग ओपोजिशन का काम करिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं सदन से अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति—क्या इन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि रूल ११३, as it is, पास किया जाय ।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

रूल ११३ पास किया गया।

(विराम)

नियम ११४, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैंने यह प्रस्ताव किया है कि ११४ सिलेक्ट कमेटी के रिपोर्ट करने के बारे में है; मैंने प्रस्ताव किया है कि सब रूल (१) के अन्त में यह बढ़ा दिया जाय....

'and shall make a report thereon whithin the time fixed by the House.'

जो सदन टाइम मुकर्रर करेगा उसमें रिपोर्ट पेश करेगी, यह जरूरी है।

दूसरा यह है सब क्लॉज (२) से (८) विलोपित कर दिये जायं, इन्हें विलोपित कर दिया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि श्री सोहनलाल भटनागर ने नियम ११४ में जो एड करने का और वर्ड्स डिलीट करने के संशोधन रखे है उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ११४, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

नियम ११४, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम ११५ व ११६

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ११५ और ११६ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

नियम ११५ और ११६ स्वीकार किये गये।

(विराम)

नियम ११७।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, नियम ११७ में मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह भी फोर्मल है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि नियम ११७ में जो संशोधन श्री भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ११७, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम ११७, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम ११८ से १३२ तक कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम ११८ से १३२ तक स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

नियम ११८ से १३२ तक स्वीकार किये गये।

(विराम)

नियम १३३।

श्री सोहनलाल भटनागर—नियम १३३ विदड्रावल ओफ बिल्स को डील करता है, इसके लिये मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है—

"Provided that where a Bill is under consideration by a Select Committee notice of any motion for the withdrawal of the Bill shall automatically stand referred to the Committee and after the Committee has expressed its opinion in a report to the House, the motion shall be set down in the list of business."

इसमें ऐसी इमरजेन्सी को डील करता है, एक बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया हुआ है और मिनिस्टर विदड्रावल के लिये प्रार्थना करता है तो वह मोशन सिलेक्ट कमेटी को रेफर करेगा। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा, इसे स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि नियम १३३ में जो संशोधन श्री भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम १३३ को, संशोधितरूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम १३३ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाता है।

(विराम)

नियम १३४

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम १३४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम १३४ स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम १३५।

श्री सोहनलाल भटनागर—नियम १३५ ओथेन्टिकेशन ओफ बिल्स का है :

"when a Bill is passed by the Assembly, two copies thereof shall be signed by the speaker."

यह एक मामूली प्रेक्टिस का है, रूल में यह नहीं आना चाहिये, इसलिये इसको डीलिट किया जाय।

श्री सभापति—क्या छोड़ दिया जाय ?

प्रश्न यह है कि नियम १३५ को डिलीट करने का प्रस्ताव जो श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

[स्वीकृत]

नियम १३५ डिलीट किया गया।

श्री सभापति—रूल १३६।

श्री सोहनलाल भटनागर—सभापति महोदय, १३६ रूल के बारे में मेरा यह संशोधन है : "Substitute the marginal heading by the following:--Authentication and submissin of a Bill to Rajpramukh." इसमें हेडिंग चैंज करने के लिये एमेन्डमेन्ट है और यह एक फोर्मल एमेन्डमेन्ट है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसको मानेगी।

श्री सभापति— "Authentication and submission of a Bill to Rajpramukh"

यह तो लेंग्वेज गल्त हो जावेगी, यह होना चाहिये :

"Authentication of the Bill and its submission to the Rajpramukh."

श्री रामकिशोर व्यास—यह कर दीजिये।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि रूल १३६ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है : और जैसा कि संशोधन मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है उसे उसी रूप में इस प्रकार स्वीकार किया जाय :

"Authentication of the Bill and its submission to the Rajpramukh."

(स्वीकृत)

संशोधित संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि रूल १३६, संशोधित रूप से, पास किया जावे।

(स्वीकृत)

रूल १३६, संशोधन रूप से, पास किया गया।

(विराम)

रूल १३७

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल १३७ पास किया जावे।

(स्वीकृत)

रूल १३७ पास किया गया।

श्री सभापति—चेप्टर १६।

श्री सोहनलाल भटनागर—१३८ से १४२ तक मेरे संशोधन हैं।

श्री सभापति—क्या ये सारे आपके ही हैं?

श्री सोहनलाल भटनागर—१३८ से १४२ तक मेरे संशोधन हैं। यह रूल को एमेन्ड करने के प्रोविजन हैं। इसके जरिये प्रोसीजर वगैरह एमेन्ड करने के लिये यह एमेन्डमेन्ट के तौर पर प्रस्तुत किये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—ये मुझे स्वीकार हैं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि रूल्स १३८, १३६, १४०, १४१ और १४२, जैसा कि ड्राफ्टबिल में हैं उनकी जगह पर ये नये नियम जो श्री भटनागरजी ने रखे हैं, स्वीकार किये जावे।

(स्वीकृत)

नये क्लॉज़ेज़ स्वीकार किये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल्स १४३ से १५८ तक के नियम, जैसे बिल में आये हैं, स्वीकार किये जावें।

[श्री सभापति]

(स्वीकृत)

१४३ से १५८ तक नियम स्वीकार किये गये ।

(विराम)

नियम १५६ ।

श्री सोहनलाल भटनागर—सभापति महोदय, नियम १५६ में मैंने प्रस्ताव किया है कि सब क्लॉज का (१) प्रोविजो है :

"Provided that the day so appointed shall not be earlier than three clear days subsequent to the day on which the Budget is presented."

उसको हटाया जावे । १५६ में बजट प्रेजेन्ट किया जाता है तो उसके लिये डेज एलोट किये जाते हैं । इसमें यह है कि तीन दिन पहले का प्रोविजन है :

"Provided that the day so appointed shall not be earlier than three clear days subsequent to the day on which the Bubget is presented."

तीन दिन से पहले नहीं होगा । मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे हार्डशिप फील होती है । ऐसी हालत में इस प्रोविजो को हटा दिया जावे ।

श्री सभापति—आप क्या चाहते है, समझ में नहीं आया ? क्या आप इतना ही चाहते है कि तीन दिन हार्डसिप पैदा करते हैं तो वे बिल्कुल हटा दी जावें ।

"Provided that the day so appointed shall not be earlier than three clear days......"

You want to delete this proviso and not amend it.

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि रुल १५६ में जो संशोधन इस प्रोविज़ो को डिलीट करने के लिये श्री भटनागर ने रखा है स्वीकार किया जावे ।

(विराम)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि रुल १५६, संशोधित रुप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

रूल १५६, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया ।

(विराम)

रूल्स १६० से १६७ तक कोई संशोधन नहीं हैं ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि रूल्स १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५ १६६ और १६७ को स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

उपरोक्त नियम स्वीकार किये गये ।

(विराम)

नियम १६८ ।

श्री सोहनलाल भटनागर—सभापति महोदय, १६८ रुल में मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसके प्रोविजो को उडा दिया जावे । इसमें लिखा है :

"Provided that the provisions of three elear days referred to in rule 159 shall not apply in the case of these grants.'

जब कि हमने १५६ रुल में प्रोविजो को उड़ा दिया है तो इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि नियम १६८ में प्रोविजो को डिलीट करने का जो संशोधन श्री सोहनलालजी ने रखा हैं उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ । प्रोविजो डिलीट किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम १६८, संशोधित रूप से, पास किया जावे ।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

नियम १६८, संशोधित रुप में, स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम १६६ व १७०

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम १६६ और १७० स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

नियम १६६ और १७० स्वीकार किये गये।

श्री सोहनलाल भटनागर—नियम १७१ पर कोई मेरा संशोधन नहीं है। १७१ ए नया क्लॉज जोड़ने का मेरा एमेन्डमेन्ट है इसमें यह बताया गया है कि फाइनेन्स बिल पेश करने का क्या प्रोसीजर होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है इसको पास कर दिया जावे।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि नियम १७१, जिस प्रकार बिल में दिया हुआ है, पास किया जावे।

(स्वीकृत)

नियम १७१ पास किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम १७१ ए. जैसा कि श्री भटनागरजी ने पेश किया है, एड किया जावे।

(स्वीकृत)

नियम १७१ ए स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम १७२ व १७३

(विराम)

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि नियम १७२ और १७३ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

नियम १७२ और १७३ स्वीकार किये गये।

(विराम)

नियम १७४ से १९८

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम १७४ से १९८ तक स्वीकार किये।

(स्वीकृत)

नियम १७४ से १९८ स्वीकार किये गये।

(विराम)

नियम संख्या १९९

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, मैंने प्रस्ताव किया है कि नियम १९९ के नीचे दो प्रोविज़ो और सबस्टीट्यूट कर दिये जांय :

"Substitute the following two provisos for the provisos to sub-rule (1),"

सब रूल के प्रोविजो के बजाय दो प्रोविजो दिये हैं जैसा कि पिटीशन कमेटी द्वारा या सिलेक्ट कमेटी द्वारा एवीडेन्स लेने का तरीका था वही मैंने वर्डिंग्ज रख कर यह प्रोविजो प्रस्तुत किया है। आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि नियम संख्या १९९ में जो संशोधन श्री भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम संख्या १९९, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

नियम १९९, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम २००

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम २०० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम २०० स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम २०१ से २०४

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम २०१ से २०४ तक स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

नियम २०१ से २०४ स्वीकार किये गये।

(विराम)

नियम संख्या २०५

श्री सोहनलाल भटनागर—सभापति महोदय, इस नियम में मेम्बर्स द्वारा जो नोटिस दिया जायगा उसका प्रोसीजर बताया गया है और उसके लिये समय का निर्धारण किया गया है। यह फोर्मल चीज है। आशा है सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि नियम संख्या २०५ पर जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

संशोधन स्वीकार किया गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम संख्या २०५, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

नियम २०५, संशोधित रूप में स्वीकार, किया गया ।

(विराम)

नियम २०६ से २१६

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम संख्या २०६ से २१६ स्वीकार किये जांय ।

(स्वीकृत)

नियम २०६ से २१६ स्वीकार किये गये ।

(विराम)

नियम सख्या २१७

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन महोदय, नियम संख्या २१७ में "Rules to be observed by members while present in the House" के लिये है । माननीय सदस्यों क्या क्या रुल्स एडोप्ट करने चाहिये जब कि वे सदन में उपस्थित हों । मैंने भी उनमें कुछ एड करने के लिये प्रस्ताव किया है उसमें पहला यह है "(x) shall not applaud when a stranger enters any of the galleries or Rajpramukh's box"

अगर कोई स्ट्रेन्जर किसी गैलेरी के अन्दर या राजप्रमुख के प्रकोष्ठ के अन्दर आवें तो वे माननीय सदस्य तालो वगैरह नहीं बजायेंगे ।

दूसरा यह है कि—

"(xi) shall not, while speaking, make any reference to the strangers in any of the galleries."

[श्री सोहनलाल भटनागर]

अगर गेलरी के अन्दर कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ हो उनकी तरफ इशारा करके माननीय सदस्य कोई बात नहीं कह सकते। यह पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर के लिये महत्वपूर्ण रूल्स हैं। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे स्वीकार करें।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि नियम संख्या २१७ में दो उप नियम श्री भटनागर ने जो रखे है उन्हें स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

दोनों उपनियम स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित नियम संख्या २१७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम २१७, संशोधनानुसार, स्वीकृत हुआ।

(विराम)

नियम २१८ से २३६

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम संख्या २१८ से २३६ तक स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

नियम २१८ से २३६ स्वीकार किये गये।

(विराम)

नियम संख्या २४०

श्री सोहनलाल भटनागर—चेयरमैन महोदय, यह नियम संख्या २४० है, वह डिवीजन के रेकार्ड करने के बारे में है। जो सिलेक्ट कमेटी प्रोसीजर दिया है उसमें कोम्प्लीकेशन्स हैं।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

डिवीजन के बारे में बहुत कम समय लगे, उसके साथ ही हां पक्ष और ना पक्ष की गिनती हो जाय इसलिए सिम्पलीफाइड प्रोसीजर मैंने इस संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया है। आशा है सदन इसे स्वीकार करेगा

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि नियम संख्या २४० में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम संख्या २४०, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम संख्या २४०, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

(विराम)

नियम २४१

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम संख्या २४१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम २४१ स्वीकार किया गया।

(विराम)

नियम संख्या २४२

श्री सोहनलाल भटनागर—चेयरमैन महोदय, यह नियम संस्पेन्शन आफ मेम्बर से डील करता है। यह जो संशोधन है बहुत फार्मल नेचर का है—

[श्री सोहनलाल भटनागर]

"Substitute the words 'for a period not exceeding the remainder of the session' for the words 'during the remainder of the session' occurring at the end"

इसमें सिर्फ वर्डिंग्ज़ की हेरफेर हैं। आशा है, सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि नियम संख्या २५२ के भाग (२) में जो संशोधन श्री भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम संख्या २४२, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नियम २४२, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

(विराम)

नियम २४३ से २५३

(विराम)

प्रश्न यह है कि नियम संख्या २४३ से २५३ स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

नियम २४३ से २५३ स्वीकार किये गये।

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर—चेयरमेन महोदय, मैंने सेकन्ड शिड्यूल एड करने के लिये प्रार्थना की है—

[श्री सोहनलाल भटनागर].

"Form of communication regarding arrest, detention, conviction or release, as the case may be, of a Member."

पहले जो शिड्यूल लिखा गया है उसके बाद यह सेकन्ड शिड्यूल एड करने के लिये मैंने अपना संशोधन दिया है। कभी कभी ऑफिसर्स क्या करते हैं, सम्मानीय सदस्य अरेस्ट होते हैं या डिटेन्शन में होते हैं या कनविक्शन में होते हैं या रिलीज़ होते हैं तो इसकी सूचना यहां अलग-अलग तरीके से देते हैं। उसके लिये एक तरीका हो, उसके लिये रूल्स ऑफ बिजिनेस में फोर्म दिया गया है इन्हीं वर्डिंग्ज में, इसी फोर्म में नोटिस दिया जायगा, इसलिये जो शिड्यूल मैंने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन दूसरा शिड्यूल एड करने के लिये श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

द्वितीय शिड्यूल जोड़ने का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

द्वितीय संशोधन नियमावली में जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २ (ए) में "असेम्बली" शब्द की डेफिनिशन छोड़ दी गई थी। (श्री विधि मन्त्री से) क्या इसको आप ऐसा ही रखना चाहते हैं।

(स्वीकृति प्राप्त होने पर)

प्रश्न यह है कि रूल २ के सब रूल (ए) को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

रूल २ (ए) स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री सभापति].

प्रश्न यह है कि नियम १ स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

नियम १ स्वीकार किया गया ।

(विराम)

(श्री बद्रीप्रसाद से) आप मोशन मूव करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली के इन ड्राफ्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर एन्ड कन्डक्ट आफ बिजनेस को पारित किया जावे ।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री बद्रीप्रसाद जी ने रक्खा है उसको पास किया जावे ।

(स्वीकृत)

राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस पास किये गये ।

(विराम)

Now we adjourn for tomorrow to meet at 11 A. M.

(तत्पश्चात् मध्यान्ह के चार बजकर ३२ मिनट पर सदन की कार्यवाही दिनांक २५ अप्रेल, १९५६ के दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

राजस्थान विधान सभा,
जयपुर,
दिनांक २४ अप्रेल, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो संबन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये और जिनके प्रकाशित कराने की संबन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है।)

५६४. (४१। सी. आई. एम.) श्री जयचन्द्र मोहिल एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ६५:-क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या राजस्थान में हरिजन वर्ग से नौकरियों में लिये जाने वाले हरिजन निर्धारित कोटे के अनुसार भर्ती कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो इस समय Gazetted & Ministerial Services में कितने हरिजन वर्ग के व्यक्ति हैं तथा ये किस किस पद पर कहां कहां तैनात हैं और कितने कितने अर्से से ?

(आ) Class IV Services में कितने हरिजन वर्ग के व्यक्ति इस समय हैं ?

(इ) क्या उपरोक्त संख्या निर्धारित कोटे के अनुसार है ?

(ई) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब कोटा पूरा करने का कष्ट करेगी ?

उत्तर

(अ) नहीं।

(आ) इस समय निम्न लिखित व्यक्ति उच्च नौकरियों पर नियुक्त हैं :

१. श्री रामचन्द्र मीणा, आर. ए. एस.

२. श्री शंकरलाल पंचाल असिस्टेंट इन्जीनियर बिजली विभाग। पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं है, एकत्रित किए जा रहे हैं। अब तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार २८१ हैं।

(इ) सारी सूचना प्राप्त होने पर ही कोटा मालूम किया जा सकता है।

(ई) कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विभागों को आदेश दिये गये हैं, एवं इस सारे प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है जिसके निम्न सदस्य हैं :

(१) उप सचिव, सामान्य प्रशासन।

(२) उप सचिव, योजना व विकास।

(३) संचालक, समाज कल्याण विभाग।

Page No 141

५६५. (३५। एम.एल.एम.) श्री गोपाल सिंह, एम.एल.ए, डिविजन नम्बर २०:—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि म्युनिसिपैलिटी नागौर लोहियों के चौक में जो गणेशजी का स्थान है उसको तुड़वाना चाहती है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि इसकी मरम्मत वगैरह का कभी कोई खर्चा म्युनिसीपैलिटी ने नहीं किया है ?

(ग) क्या वहां के मोहल्लेवालों ने इसके विरुद्ध, कलेक्टर नागौर के इजलास में रिपोर्ट करने के लिये म्युनिसीपैलिटी से उक्त हुक्म की नकल मांगी, तो वह भी उनको नहीं दी गई?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(क) नगर पालिका की जानकारी में कोई ऐसा मन्दिर बताये गये स्थानों पर नहीं है।

(ख), (ग) व (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

५६८ (४७।सी आइ.एम) श्री कस्तूरचन्द एम,एल,ए, डिविजन नम्बर ७२:—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान निर्माण के बाद अनुसूचित जाति के कितने गजटेड ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है ?

(ख) अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) आठ

(ख) प्रश्न नहीं उठता

६११ (६५।आर. एम.) श्री बृजेन्द्रपाल एम.एल. ए. डिविजन नम्बर २३:—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील करौली में रजिस्ट्री कराने वालों से पांच रुपया नाजायज टैक्स वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्या ऐसा टैक्स लगाने का अधिकार सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दे दिया है ?

उत्तर

(क) जी नहीं

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ५६३ का उत्तर देखिये)

LIST OF TEACHERS WHO WERE APPOINTED AS SUBSTITUTES AND WERE RELIEVED AT THE AND OF THE SESSION.

S. No.	Name ot the Teacher	Name of School	Pay & Grade	Date of Apptt.
1.	Shri Shyamlal Sharma	Middle Schol, Sarwar	35/- (35-1-40)	22-2-55
2.	„ Madan Singh	-do-	-do-	-do-
3.	„ Bhgirath Singh Nagar	Primary School, Ralawta	-do-	24-7 54
4.	„ Damodar Das	„ „ Chitakhera	-do-	19-3-55
5.	„ Damodar Lal	Middle School, Manoharpura	-do-	17-2-55
6.	„ Ram Kumar	Primary School, Banethi	-do-	15-1-55
7.	„ Mahabir Pd. Sharma	High School, Naraina	-do-	31-8-54
8.	„ Raghu Raj Singh Tiwari	„ „ Sambher	-do-	20 9-54
9.	„ Joyti Prasad	„ „ Barath	-do-	29-9-54
10.	„ Girdhari Singh	Middle School, Phulera	50/- (50-4-70)	20·9-54
11.	„ Kanahiya Lal Bohra	„ „ „	-do-	7-1-55
12.	„ Durvijay Singh	„ „ Kishangarh	-do-	20-9-54
13.	„ Ratan Lal	„ „ Bhanslana	-do-	15-12-54
14.	„ Kalash Prasad	Primary School, Harsoli	-do-	31 3-55
15.	„ Jiwan Lal	„ „ Hirnoda	35/- (35-1-40)	10 2-55
16.	„ Kishanchand Jat	„ „ Dhani (Shyampura)	-do-	10 2-55

LIST GF TEACHERS APPOINTED IN KISHANGARH INSPECTORATE ON SUBSTANTIVE POSTS FROM 1-5-55.

S. No.	Name of the teacher.	Grade.	Place of Pasting.	Remarks.
1.	Shri Durvijey Singh	50-4-70	M.S. Kishangarh	
2.	„ Chhailbehari Lal	„	„ Sambherlake	
3.	„ Baghuraj Singh	90-5-120	H.S. „	
4.	„ Bhupendra Kumar	70-4-90	„ Kotputli	
5.	„ Mahavir Pd. Sharma.	90-5-120	„ Naraina	
6.	„ Hanuman Sahai Pareek	50-4-70	M.S. Banethi	
7.	„ Berisal Singh	„	H,S, Barth	
8,	„ Permatma Saran	90-5-120	„ „	
9.	„ Parsottam Acharya	„	„ „	
10.	„ Hanuman Sahai	„	„ Shahpura	
11.	„ Puran Chand	„	„ Phulera	
12.	„ Hari Shanker Sharma	„	„ Sarwar	
13.	„ Kishansingh	„	P. S. Gidani	
14.	„ Mahidhar Pd.	„	„ Dungri ka Bas	
15.	„ Bhanwar Lal Varma	„	„ Rampura	
16.	„ Amarsingh Shekhawat	„	„ Turka Bas	
17.	„ Jank Das Goldsmith	„	„ Ramjipura Khurd	
18.	„ Banshidhar Verma	„	„ Devka Bas	
19.	„ Anandi Lal	„	„ Pratappura	
20.	„ Mukat Behari	„	„ Nakhawala	
21.	„ Mali Ram, Verma	„	„ Jaswantpura	
22.	„ Ghasi Lal Gupta	„	„ Kishanpura	
23.	„ Nathulal	„	„ Dhannawala	
24.	„ Ramesh Chandra	„	„ Jawanpura	
25.	„ Behari Lal	„	„ Paner	
26.	„ Goverdhan Das	„	„ Nituti	
27.	„ Sita Ram Pareek	„	„ Indergarh	
28.	„ „	„	„ Kharkheri	
29.	„ Shyam Narain Sharma	„	„ Arawasi	

S. No.	Name of the teacher.	Grade	Place of Posting.	Remarks.
30.	Shri Ram Ratan Kabra	35-1-40	P. S. Udaipur Kalan	
31.	„ Hanuman Pd. Sharma	„	„ Jharna	
32.	„ Jagdish Pd. Joshi	„	„ Bhankrota	
33.	„ Bhairon Lal Tailor	„	„ Raghunath pura	
34.	„ Ramesh Chandra	„	„ Sarjoli	
35.	„ Nand Kishore Sharma	„	„ Chatripura	
36.	„ Madan Lal Garg	„	„ Churi Pawanwala	
37.	„ Jagdish Pd.	„	„ Chanipura	
38.	„ Balchandra	„	„ Dhandholi	
39.	„ Shiv Dayal	„	„ Gagardu	
40.	„ Raghubir Singh	„	„ Bhojpura	
41.	„ Ram Swaroop	„	„ Manjipura	
42.	„ Ganda Lal Yadav	„	„ Gonakasar	
43.	„ Madan Lal	„	„ Mantakalan	
44.	„ Bhanwar Lal Verma	„	„ Khoontoli	
45.	„ Joshi Lal Mali	„	„ Patan	
46.	„ Mohan Lal lakhera	„	„ Mandoti	
47.	„ Rameshwar Lal	„	„ Sandolia	
48.	„ Laxman Singh Mehta	„	„ Jalia	
49.	„ Rameshwar Pd.	„	„ Ghatalia	
50.	„ Satya Narain	„	„ Jorhindabhojpura	
51.	„ Brij Mahon	„	„ Mohan ka Bas	
52.	„ Ram Lal Yadav	„	„ Bhanslana	
53.	„ Suwa Lal Mina	„	„ Chamapura	
54.	„ Prahalad Sahai	„	„ Sujat Nagar	
55.	„ Krishna Dutta	„	„ Kherli	
56.	„ Chotulal Varma	„	M. S. Mandoti	
57.	„ Bhanwar Lal Jat	„	P. S. Raghunathpura	
58.	„ Prakash Chandra Shastri	90-5-120	H. S. Barath	
59.	„ Devi Singh Mehana	35-1-40	P. S. Hingtara	
60.	„ Mohan Lal Sharma	90-5-120	H. S. Rainwal	

S. No.	Name of the teacher.	Grade.	Place of Postingf	Remarks.
61.	Shri Badri Pd.	35-1-40	M. S. Kishangarh	
62	„ Shiv Ratan Maheshwari	90-5-120	H. S. Kotputli	
63.	„ Joyti Prakash Mathur	„	„ Narainpure	
64.	, Ramesh Chandra Sharma	„	M. S. Madanganj	
65.	„ Swaroop Narain Mathur	„	H. S. Phulera	
66.	„ Ram Kishana Eawat	„	„ Sarwar.	
67.	„ Niranjan Pd. Tak	90-5 120	„ Naraina	
68.	„ Ram Niwas Sharma	„	„ Amarsar	
69.	, Kaloo Ram Sharma	„	„ Shahpura	
70.	„ Ram Sahai	„	„ Naraina	
71.	„ Nand Lal Sharma	„	„ „	
72.	„ Mangal Chand Sharma	50-4-70	„ Phulera	
73.	„ S.J.F. Noble	45-4-55	P. S. Sambherlake, No. 2	
74.	„ Viahnubehari Saxena	35-1-40	M. S. Manoharpura	
75.	„ Ganpat Singh	„	„ Sarwar	
76.	„ Padam Chand	50-4-70-5-80	H. S. Phulera	
77.	„ Bajrang Lal	„	„ „	
78.	„ Durga Prasad	35-1-40	P. S. Mandolia	
79.	„ Prabhu Dayal	„	„ Jhadol	
80.	„ Satya Narain	„	„ Chesta Khera	
81.	„ Vijey Narain Mathur	„	„ Khanddhaoh	
82.	„ Ram Jeewan Jain	„	„ Khotali	
83.	„ Vinod Kumar Arya	„	„ Sarwar	
84.	„ Govind Narain	50-4-70	„ „	

LIST OF TEACHERS INTER TRAINED, INTER, MATRIC TRAINED,
MATRIC IN THE GRADE 35-1-40.

S. No.	Name of the teacher with designation.	Date of Apptt.	Qualification	Grade
1.	Shri Laxminarain Shrma A.T.M.S. Nanda Bimsingh	16-7-46	Inter, S.T.C., Visharad Advance	35-1-40
2.	,, Mansukh Lal Pareek A.T.P.S. Phulera	25-9-48	Matric, J.T.C.	-do-
3.	,, Abdul Wahab Khan P.S. Sambherlake L.	11-11-47	,, S.T.C.	-do-
4.	,, Dineshchandra	1-9-54	Inter	-do-
5.	,, Bhanwar Lal Joshi	1-9-54	J.T.C. Matric	-do-
6.	,, Shyam Sunder Lata A.T. High School, Bhanpur	16-3-42	Matric, J.T.C.	-do-
7.	,, Ranjeet Singh M.S. Wair	17-7-55	Inter	-do-
8.	,, Chain Singh, M.S. Dhanota	17-7-52	Inter	-do-
9.	,, Bhagwan Mathur, H.S. Shahpura	4-9-52	B.A.	-do-
10.	,, Baliram, H.S. Amarsar	14-9-53	Bombay Inter	-do-
11.	,, Musida Lal	24-10-49	B.A.	40-3-55
12.	,, Kaloo Ram, H.S. Kotputli	15-7-45	B.A.ED.	35-1-40
13.	,, Bhagwan Sahai M.S.	31-12-49	Matric, S.T.C.	35-1-40
14.	,, Murlidhar Sharma M.S. Bhansalov	16-7-47	-do-	-do-
15.	,, Inder Singh, M.S. Bhansalov	1-9-54	-do-	-do-
16.	,, Radhey Shyam, M.S. Nanda Bimsingh	4-7-48	Inter. C.T.	40-1-55
17.	,, Prahlad Das, M.S. Bhusal	25-7-50	Matric S.T.C.	-do-

S. No.	Name of the feacher with designation.	Drte of Apptt.	Qualification	Grade
18.	Shri Rameshwar Lal M.S. Roop Nagar	14-8-45	Inter	40-1½-55
19.	„ Sitaram M.S. Madanganj	1-7-48	B.A.	35-1-40
20.	„ Chaturbhuj -do-	1-7-54	Inter	-do-
21.	„ Durga Pd. -do-	16-9-55	Inter	-do-
22.	„ Kamal Singh -do-	5-4-47	Inter, S.T.C.	40-2-55
23.	„ Nand Lal Vyas, M.S, Kishangarh	1-9-53	Matric, S.T.C.	35-1-40
24.	„ Gajanand M.S. Manoharpur	11-9-53	Matric Trained.	-do-
25.	„ Dharmbir, M.S. Kherladhani	5-7-49	Matric, S.T.C.	-do-
26.	„ Ganpt Singh M.S. Pragpura	31-7-52	Commerce	-do-
27.	„ Bhanwar Lal, M.S. Nareda	6-12-45	B.A.	45/-
28.	„ Rnmji Lal -do-	1-7-45	Inter	35/-
29.	„ Ramswaroop Varma M.S. Madhorajpura	6-11-48	Matric, S.T.C.	35-1-40

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ५६६ का उत्तर देखिये)

LIST OF TRANSFERS MADE ON COMPLAINT DURING THIS SESSION 1955-56.

S. No.	Name of the teacher with disignation	From	To	Remarks
1.	Shri Harisingh H. M. S. Mehroli	Mehroli	Khachariyawas	After Enquiry
2.	„ Ramautar H. T. M. S. Guhala	Guhala	Bhudoli	-do-
3.	„ Bhishambhar Dayal H. T. P. S. Rawasa	Rawasa	M.S. Mehroli	-do-
4.	„ Ghisalal A. T. P. S. Rawasa	Rawasa	P.S. Mahwa	-do-
5.	„ Laxminarain H. T. P. S. Khotiya	Khotiya	M.S. Batranau	-do-
6.	„ Durjan Sing A. T. M. S. Batrannu	Batarannu	P.S. Khotiya	-do-
7.	„ Chain Singh A. T. M. S. Balara	Balara	M.S. Chala	-do-
3.	„ Gordhan Lal H. T. P. S. Aloda	Aloda	P.S Fachar	On S.B.I. report
9.	„ Phaliram A. T. P. S. Pachar	Pachar	„ Aloda	-do-
10.	„ Devidutta T. I. P. S. Roopgarh	Roopgarh	„ Banura	-do-
11.	„ Ram Pd. H. T. P. S. Dansroli	Dansroli	„ Lamiya	-do-
12.	„ Banshidhar H. T. P. S. Lamiya	Lamiya	„ Dansroli	-do-
13.	„ Mohan Lal T. I. P. S. Haripura	P. S. Haripura	„ Salayas	-do-
14.	„ Mangi Lal T. I. P. S. Samer	Samer	„ Aloda	-do-
15.	„ Radha Krishan T. I. P. S. Mandha Surera	Mandha Surera	„ Karad	-do-
16.	„ Durga Pd T. I. P. S. Dhanireedhmal	Dhanireedhmal	M.S. Gurara	On complaint
17.	„ Satyanarain T. I. P. S. Shiv Rana ka Bas	Shiv Rana ka Bas	P.S. Dhanireedhmal	-do-

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ६१४ का उत्तर देखिये)

पर्मानेन्ट कम्पाउन्डर जो ट्रेनिंग पा रहे हैं उनकी सूची

१. श्रीमती जे० बी० लाल
२. श्रीमती एम. लाल
३. ,, गायकवाड़
४. ,, केदार
५. ,, टी० मशीह
६. ,, ई० खान
७. ,, पी० एन्ड्रू
८. ,, जी० अर्जेन्ट
९. ,, एम० पी० डूके
१०. ,, एस० के सिंह
११. ,, पी० बी० सिंह
१२. ,, बन्शी सिंह
१३. श्री सैयद नूरमोहम्मद
१४. श्री रोशनलाल
१५. ,, किशन शर्मा
१६. ,, रामचरण
१७. ,, किशनचन्द्र
१८. ,, प्यारेलाल
१९. ,, रेवरमल
२०. ,, गुलजारीलाल
२१. श्रीमती आई फिलिप्स
२२. ,, मुलकराज
२३. ,, एस० डेनियल
२४. श्रीमती आर० ए० लाल
२५. ,, एच० जोहन
२६. ,, ई० एम० लाल
२७. ,, बी० नावानियल
२८. ,, एम० जे० दयाल
२९. ,, जी० के० सिंह
३०. ,, एल० एच० सिंह
३१. ,, एस० पी० डूके
३२. ,, डी० वेकप
३३. ,, एल० किशन
३४. ,, एम० लाल
३५. ,, ई० बाइ० मशीह
३६. ,, ई० मानसिंह
३७. ,, आर० सागर
३८. ठाकुर श्री किशन सिंह
३९. श्री गट्टूलाल
४०. ,, फतेहसिंह
४१. ,, मानसिंह
४२. ,, मोटीलाल
४३. ,, रामस्वरूप व्यास
४४. ,, रामजीलाल
४५. ,, देवीशंकर
४६. ,, इन्द्रसिंह
४७. श्री हुकम चंद
४८. श्रीमती एम० अगस्टस
४९. श्री हुकमचंद
५०. श्री मोहनलाल

Page No 151

५१. श्री अमृतलाल

५३. ,, जगदम्बालाल

५५. ,, देवनारायन

५७. ,, बाल गोविन्द

५९. ,, पूसाराम

६१. ,, भंवरलाल हन्डा

६३. श्रीमती एम० टिक्कू

६५. श्री हरिदत

६७. ,, ओमप्रकाश

६९. ,, इन्द्र चन्द्र

७१. ,, गोपीलाल गर्ग

५२. श्री किशनलाल

५४. श्रीमती के० रावत

५६. श्री नाथूराम

५८. ,, पोकरदास

६०. ,, राधाकिशन

६२. ,, नारायण दास

६४. श्रीमती इ० टाइटस

६६. श्री ईश्वरचन्द्र

६८. ,, घनशयामसिंह

७०. ,, कैलाशनारायण

७२. श्रीमती भीमा खनालिया

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये)

१. (६४१ सी० आई० एम) श्री भैरूंसिंह (१६) क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में सोशियल वेलफेयर सेन्टर (समाज कल्याण केन्द्र) कहां कहां खोले गये हैं ? कृपया प्रत्येक जिले के समाज कल्याण केन्द्र की कमेटियों के संयोजक और कमेटी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सूची देने की कृपा करें।

(ख) उक्त समाज कल्याण केन्द्रों में अब तक कितनी मोटरों पर और अन्य कार्यों पर कितना रूपया खर्च किया जा चुका है ?

उत्तर

२. राजस्थान राज्य में समाज कल्याण खंड निम्नलिखित जिलों में खोले गये हैं....

१. चुरू।

२. अलवर।

३. जयपुर।

४. उदयपुर।

५. झुंझुंनू।

६. नागौर।

७. गंगानगर।

८. भीलवाड़ा।

९. बूंदी।

१०. भरतपुर।

संचालन समिति की संयोजिका एवं सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

१० समाज कल्याण खंडों को १० जीप गाडियां दी गई हैं। इन समाज कल्याण खंडों पर माह जनवरी तक ५६,५९७ रूपये चार आने खर्च हुए हैं।

क्रम सं०	नाम समाज कल्याण खंड	जिला	संयोजिका	सदस्य	३१ जनवरी ५६ तक खर्च की गई रकम	विशेष
१	२	३	४	५	६	७
					रू० आ० पा०	
१.	समाज कल्याण खंड, गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर	चूरू	श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा	१. श्री कन्हैयालाल शर्मा		
				२. ,, जिलाधीश		
				३. श्रीमती भागीरथी देवी जैन	११,१७८-१०-६	
				४. ,, अचरज देवी दूगड़		
				५. ,, गंगा देवी तनेजा		
				६. ,, सावित्री देवी भार्गव		
				७. कुमारी तारा रुद्रा		
				८. ,, मुकुल रानी भट्टाचार्य		
२.	समाज कल्याण खंड, महिला मंडल, अलवर	अलवर	श्रीमती कलावती देवी	१. श्री जिलाधीश		
				२. ,, भवानीसिंह सेनी		
				३. श्रीमती गंगा देवी डाटा	१०,३७२–७–६	
				४. ,, शान्ति देवी गुप्ता		
				५. ,, रूप रानी मेहता		
				६. ,, सीता देवी		

१	२	३	४	५	६	७
					रु० आ० पा०	
				७. ,, कमला देवी पराग		
				८. सुश्री विन्ध्यवासिनी दत्त		
३. समाज कल्याण खंड, महिला उत्थान समिति हनुमानपुरा, झुंझुनू		झुंझुनू	श्रीमती किशोरी देवी	१. श्रीमती करुणा दत्ता		
				२. ,, सुमित्रासिंह		
				३. ,, डा० राव		
				४. ,, लीला पेंडसे	४,०६७-६-६	
				५. श्री सरदार हरलालसिंह		
				६. ,, ईश्वरीसिंह यादव		
				७. ,, डा० काशीनाथ पेंडसे		
				८. ,, जिलाधीश		
४. समाज कल्याण खंड, महिला आश्रम, ——भीलवाड़ा		भीलवाड़ा	श्रीमती स्नेहलता वर्मा	१. श्रीमती काशी देवी सक्सेना		
				२. ,, सुशीला माथुर	२,५४६-०-३	
				३. श्री सरपंच ग्राम पंचायत हमीरगढ़		
				४. ,, सरपंच ग्राम पंचायत सरूपगंज		
				५. ,, सरपंच तहसील पंचायत भीलवाड़ा		
				६. ,, भंवरलाल भदादा		

१	२	३	४	५	६	७
					रू० आ० पा०	
				७. ,, लक्ष्मीनारायण शर्मा		
				८. ,, जिलाधीश		
	५. समाज कल्याण खंड, महिला मंडल, उदयपुर	उदयपुर	श्रीमती मोहन देवी शर्मा	१. श्री केसरीलाल बोर्दिया		
				२. ,, जिलाधीश		
				३. ,, सुन्दरलाल बेचाणी	६,२७६-४-३	
				४. ,, भवानी शंकर वैद्य		
				५. ,, दया शंकर श्रोत्रिय		
				६. श्रीमती कमला कुमारी श्रोत्रिय		
				७. ,, विजया लक्ष्मी नागर		
				८. ,, भागीरथी मेनन		
	६. समाज कल्याण खंड, ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया	गंगानगर	श्रीमती सावित्री देवी	१. श्री डा० गुरुबख्शसिंह		
				२. ,, स्वामी केशवानन्द		
				३. ,, जिलाधीश		
				४. ,, केप्टिन शाही राम	७,१७७-६-३	
				५. ,, शिवकरनसिंह		
				६. ,, हेतराम		

१	२	३	४	५	६	७
					रू० आ० पा०	
				७. श्रीमती माया देवी ८. ,, शीला देवी गुप्ता		
७. समाज कल्याण खंड, किसान वोर्डिंग हाउस, छोटी खाटू	नागौर	श्रीमती विमला चौधरी	१. श्रीमती शान्ति देवी २. ,, मोहनी देवी ३. ,, तीजां देवी ४. ,, नारायणी देवी ५. ,, जानी देवी ६. श्री डालम चन्द्र भंडारी ७. ,, चतराराम ८. ,, जिलाधीश	६,२६२-१४-०	
८. समाज कल्याण खंड, जयपुर	जयपुर	श्रीमती शीला गोयल	१. श्रीमती वृन्दा शान्तिलाल २. ,, गीता बजाज ३. ,, शकुन्तला श्रीवास्तव ४. ,, कुसुम देवी बोथरा ५. ,, एल० जी० लूटर ६. श्री जी० के व्यास ७. ,, एस० सी० भटनागर ८. ,, जिलाधीश	७,२४२-८-०	

१	२	३	४	५	६	७
					रू० आ० पा०	
	६. समाज कल्याण खंड, महिला उद्योग शाला, बूंदी	बूंदी	श्रीमती पुष्पा माथुर	१. श्री जी० के दत्त २. ,, जिलाधीश ३. श्रीमती कमला भाटिया ४. ,, एल० आर० दत्त ५. ,, श्यामा शर्मा ६. ,, लाड कुमारी ७. ,, श्यामा कुमारी अग्रवाल ८. ,, रत्ना देवी	१,१४६–०–०	
	१०. समाज कल्याण खंड, आर्य कन्या विद्यालय, भरतपुर	भरतपुर	श्रीमती अनार देवी गुप्ता	१. श्री रामस्वरूप गोयल २. ,, जिलाधीश ३. श्रीमती लक्ष्मी देवी ४. ,, यमुना देवी चतुर्वेदी ५. ,, माया देवी ६. ,, प्रियम्वदा चतुर्वेदी ७. ,, डा० सुमन तलवार ८. ,, कुमारी सत्या एम० ए०	२६१–७–६	
				कुल योग	५६,५६७–४–०	

परिशिष्ट ६

(नियम ७५ के अन्तर्गत श्री सोहनलाल भटनागर द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर विभाजन)

'हां' पक्ष–३५

क्र.सं.	वि.सं.	नाम सदस्य
१.	६	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
२.	१३	„ भैंरूसिंह
३.	१८	„ भोगीलाल पंड्या
४.	२१	„ विश्वम्भर नाथ जोशी
५.	२६	„ चन्द्रकान्त राव
६.	३१	„ चुन्नीलाल बिड़ला
७.	३२	„ दलीपसिंह
८.	३४	„ दीनबन्धु परमार
९.	४०	„ दुर्लभसिंह
१०.	४५	„ घीसीसिंह कटैला
११.	४७	„ गोपीलाल यादव
१२.	५६	„ हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री
१३.	६२	„ द्वारकादास पुरोहित
१४.	६६	„ कानसिंह
१५.	८१	„ लादूराम चौधरी
१६.	८२	„ लाल बहादुर
१७.	९१	„ गौरीशंकर आचार्य
१८.	९२	„ महादेवप्रसाद बंका
१९.	९६	श्री मनफूलसिंह
२०.	१०४	„ मोटाराम
२१.	१०६	„ मोतीलाल चौधरी
२२.	११८	„ ब्रजसुन्दर शर्मा
२३.	१२२	„ रामचन्द्र चौधरी
२४.	१२४	„ रामजीलाल यादव
२५.	१२६	„ रामकिशोर व्यास
२६.	१२८	„ रामरतन टिक्कीवाल
२७.	१३०	„ रोशनलाल शर्मा
२८.	१३२	„ केप्टन सज्जनसिंह
२९.	१३५	„ अंगदराम
३०.	१४२	„ श्रीदास गोयल
३१.	१४३	„ श्रीगोपाल भार्गव
३२.	१४५	„ सोहनलाल भटनागर
३३.	१५३	„ टीकाराम पालीवाल
३४.	१५४	„ त्रिवेणी श्याम शर्मा
३५.	१५५	„ उदयलाल वरदिया

'ना' पक्ष ६

नं०	विसं०	नाम सदस्य
१.	१६	श्री भैंरूसिंह
२.	६१	„ हिम्मतसिंह कुनाडी
३.	६३	„ ईश्वरसिंह
४.	६६	श्री जसवन्तसिंह
५.	१३७	„ राव राजा सरदारसिंह
६.	१५७	„ वेदपाल त्यागी